खण्ड-361, अंक-5
गुरूवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(10 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	665
प्रश्नोत्तर	....	675
भदोही नगरपालिका (वाराणसी) के सीमान्तर्गत हरिजनों एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोगों की भूमि को विकास प्राधिकरण द्वारा बलात् अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	749
स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश से गोरखपुर मेडीकल कालेज में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु निर्धारित सीटों की संख्या में कमी कर देने से छात्रों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	750
जे०बी० सेल्स आर्म्स डीलर (रामपुर) द्वारा ब्लेक से असलहा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	750
राम भरोली (आजमगढ़) के अन्तिम भूचित्र बनाने में चकबन्दी विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	751
फूलपुर इलाहाबाद के उर्वरक करखाना के प्रदूषित जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	751
जालौन जिले के कोंच नामक स्थान पर आयोजित सभा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	....	751
श्री दल गंजन सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	....	755
जालौन जिले के कोंच नामक स्थान पर आयोजित सभा में पुलिस द्वारा लाठी जार्ज किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	....	756
कार्य स्थगन के प्रस्तावों की सूचनायें	...	761
वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	769
वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा	....	774
1982-83 के द्वितीय अनुपूरक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान	...	786
अनुदान संख्या 1—आवकारी विभाग (स्वीकृत)	....	786
अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत)	....	787

अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) (स्वीकृत) 787

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत).... 787

अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) 788

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामिग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) 788

अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) 788

अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग (स्वीकृत) 789

अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) (स्वीकृत) ... 689

अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) 789

अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) 790

अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग (स्वीकृत) ... 790

अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)... 790

अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) 791

अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) 791

अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 791

अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) 792

अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) 792

अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत).... 792

अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) 793

अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग (स्वीकृत) 793

अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्यन विभाग (स्वीकृत) 793

अनुदान संख्या 24 नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत) ... 793

अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग (स्वीकृत) 794

अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग (स्वीकृत) 794

अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग (स्वीकृत) 794

अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग (स्वीकृत) 795

अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ... 795

अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) ... 795

अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग (स्वीकृत) ... 796
अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)... 796
अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ... 796
अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वफ्फ विभाग (स्वीकृत) 796
अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) 797
अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत) ... 797
अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 797
अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) 798
अनुदान संख्या 46—वन विभाग (स्वीकृत) ... 798
अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ... 798
अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) 799
अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अन्य बचत, सामूहिक बीमा आदि) (स्वीकृत) ... 799
अनुदान संख्या 53—विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) 799
अनुदान संख्या 54—विज्ञान एवं प्रोद्योग (स्वीकृत) 800
अनुदान संख्या 55—शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ... 800
अनुदान संख्या 56—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) 800
अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत) 800
अनुदान संख्या 58—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत).... 801
अनुदान संख्या 59—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) 801
अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) 801
अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) 802
अनुदान संख्या 62—सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) 802
अनुदान संख्या 63—सर्तकता विभाग (स्वीकृत) ... 803
अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग (स्वीकृत) 803
अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ... 803
अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) 803

अनुदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत).... 803

अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) 804

अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) 804

अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ... 804

अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) 805

अनुदान संख्या 74—सिचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) 805

अनुदान संख्या 75—सिचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) 805

अनुदान संख्या 76—सूचना विभाग (स्वीकृत) 806

अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ... 806

अनुदान संख्या 78—स्पोंटस् विभाग (स्वीकृत) 806

अनुदान संख्या 79—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) 807

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 (पारित) 807

1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान ... 813

अनुदान संख्या 76—सिचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77—सिचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी) ... 813

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी) ... 824

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री दिग्विजय सिंह केन्द्रीय उपमंत्री से भेंट हेतु बैठक की सूचना 824

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 824

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दरें पुनः निर्धारित करने विषयक दिनांक 1 मार्च, 1983 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2

नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 825

नत्थियाँ 833

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 10 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—364

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री(फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग़ाइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब मेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)

बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)

राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)

सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 10 मार्च, 1983 ई०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, फैजाबाद के कतिपय अधिकारियों द्वारा दवाओं एवं राज बैण्डेज के अनियमित क्रय के सम्बन्ध में शिकाततो पत्र

1—श्री प्रदीप कुमार यादव—(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, फैजाबाद, के कतिपय अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 81-82 में अमान्यता प्राप्त कम्पनियों से सब स्टैंडर्ड दवायें व अन्य सामग्री (जैसे गाज पट्टी) क्रय करने में व जिला फैजाबाद के विभिन्न सिविल अस्पतालों में उनका वितरण करने में गम्भीर अनियमियताएं और लाखों रुपयों का घोटाला किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किससे, कब और कितनी शिकायतें पहली अप्रैल, 81 व 5 जून 82 के बीच शासन व विभाग को मिलीं ? क्या उनकी जाँच करायी गई ? यदि हां, तो कब, किससे तथा जांच का परिणाम क्या है ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा बिभाग फैजाबाद के कतिपय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 में दवाओं एवं गाज बैण्डेज के अनियमित क्रय के संबंध में श्री राम शकल दुबे अध्यक्ष चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय सहायक अधीनस्थ संघ (उ० प्र०) का एक शिकायती पत्र दिनांक 11-2-82 को प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जाँच तत्कालीन संयुक्त निदेशक (मण्डल) डा० तारा चन्द्र ने दिनांक 20-4-82 को की। जांच का परिणाम निम्नवत् था।

1— उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय के भंडार में औषधियों व अन्य सामान का अनियमित क्रय वर्ष 1981-82 में हुआ।

2— औषधि निरीक्षक को संबंधित कर्मचारी द्वारा नमूना लेने से मना किया गया और धमकाया गया।

3— संबंधित कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण अंचल में दवा वितरण में जल्दबाजी की गई।

4— बिना क्रय समिति के अनुमोदन के दो उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टोर कीपर्स की सहयोग से स्थानीय स्तर पर दवाओं का क्रय किया गया। उक्त परिणामों के आधार पर आगे की कायवाही की जा रही है।

***2—श्री छत्तर सिंह—**

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

*3—सरदार सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

[बृहस्पतिवार, 10 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सेना के अवकाश प्राप्त सैनिकों के निजी भवन को खाली करवाने में सुविधा प्रदान किये जाने का विचार

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेना के अवकाश प्राप्त सैनिकों को शासन की नई नीति के अनुसार आवंटन अथवा उनके निजी मकान पर कब्जा दिलाने हेतु केन्द्रीय आदेशों का पालन उ० प्र० रेंट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक यह कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह) —

भवनों का आवंटन 'जो पहले आये उसकी पहले सेवा की जाय' के सिद्धान्त पर जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में किसी विशेष वर्ग के लिये रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम में कोई भी प्राविधान नहीं है।

अवकाश प्राप्त भारतीय सैनिकों को अपने निजी भवन जो किराये पर उठे हैं उन्हें किरायेदारों से खाली करवाने में सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोई भी उ० प्र० रेन्ट कन्ट्रोल बोर्ड नहीं है, अतएव केन्द्रीय आदेशों का पालन उनके द्वारा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित मामले के सिलसिले में अवकाश प्राप्त जो सेना के अधिकारी हैं, उनके बारे में केन्द्र सरकार की क्या नीति है या केन्द्र सरकार के क्या निर्देश हैं ? उन निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिये रेन्ट कंट्रोल बोर्ड तो हमारी सरकार के पास है नहीं ? इन्होंने कौन सा साधन बनाया है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का कार्यान्वयन हो रहा है ?

श्री वासुदेव सिंह —

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर्याप्त हैं। केन्द्र से जो मार्गदर्शन है उसके लिये उत्तर प्रदेश में मंत्रि परिषद है, वह इसको देखता है, बोर्ड नहीं। रह गयी दूसरी बात, यह सही है कि करीब-करीब शासन ने यह विचार कर लिया है कि जो सैनिक मर गये हैं, यदि उनकी विधवा के पास मकान हो, तो खाली कराने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में क्या व्यवस्था की जाये, यह शासन के विचार में है।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में इस बात को माना है कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन उनके द्वारा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि रेंट कंट्रोल बोर्ड नहीं है। लेकिन केन्द्रीय सरकार का आदेश तो कोई न कोई है ही ? वह आदेश क्या है ? दूसरी बात यह कि किस तरह से उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार करा रही है ? यह स्पष्ट कर दें।

श्री वासुदेव सिंह —

मैंने बता दिया कि बोर्ड नहीं है । इसलिये रेंट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको देखने का प्रश्न नहीं उठता । दिल्ली का जो मार्ग दर्शन होता है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार कार्य करती है । मैंने बताया कि करीब-करीब इस पर निर्णय ले लिया गया है । पूरा मामला मंत्रि परिषद के सामने चला जायेगा, सदन के सामने आ जायेगा । शीध्र ही कोशिश करेंगे कि सैनिकों की विधवाओं का यदि मकान है तो उसको खाली कराने में कोई कठिनाई न हो ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि जो वर्तमान कानून है उसके अनुसार जो फौज से वापस होकर आते हैं । मान्यवर, उनको अपना मकान खाली करवाने में बहुत असुविधा होती है ।तो जो कानून उस संबंध में बना है उसमें सरलीकरण करने में आपको क्या आपत्ति है ? उसमें सरलीकरण करने से उनको अपने मकान आसानी से मिल जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष —

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि यह विचाराधीन है, कैबिनेट में जा रहा है तब उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा --

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा । माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय आदेशों का जिक्र किया है तो इसलिये मुझे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि मैं उन केन्द्रीय आदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूँ ...

श्री अध्यक्ष—

इसमें केन्द्रीय आदेश कहाँ है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में देखें कि कोई रेन्ट कन्ट्रोल बोर्ड नहीं है अतएव "केन्द्रीय आदेशों का पालन" बिलकुल अन्तिम लाइन में लिखा है । मैं माननीय मंत्री जी से साफ जानना चाहता हूँ कि अवकास प्राप्त सैनिकों के बारे में केन्द्र के क्या आदेश हैं, उसे माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, यह मेरी तरफ से जानकारी नहीं है, यह प्रश्नकर्ता ने की है कि उनके निजी मकान पर कब्जा दिलाने हेतु केन्द्रीय आदेश का पालन उत्तर प्रदेश रेन्ट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है जो माननीय सदस्य की कल्पना है और उनका यह अनुमान है । उनको केन्द्रीय आदेशों की मुझसे ज्यादा जानकारी हो सकती है ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्माजी, जब तक मैं आज्ञा नही दूँगा तब तक आप नहीं बोल सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, गलती ही गई, इसके लिये मैं क्षमा चाहूँगा। मान्यवर, यदि केन्द्रीय आदेश नहीं है तो माननीय मंत्री जी स्पष्ट कह दें कि केन्द्रीय आदेश इस सिलसिले में नहीं है। अगर इस सिलसिले में केन्द्रीय आदेश हैं तो माननीय मंत्री जी बतायें कि अवकाश प्राप्त सैनिकों के बारे में केन्द्रीय आदेश क्या हैं? तो मान्यवर, यह मेरा एक सीधा-साधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया है मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

***2—श्री राम कुमार राय**—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश बांट माप नियंत्रक द्वारा देहरादून में सहायक नियंत्रक की बैठक में लिये गये निर्णय

***3—श्रीमती गौरी देवी**—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० बाट माप नियंत्रक द्वारा देहरादून में 28, 29 व 30 नवम्बर, 81 को सहायक नियंत्रकों की एक बैठक बुलाई गयी थी? इस बैठक को बुलाने का कारण क्या था और उसमें क्या निर्णय लिये गये? क्या यह सत्य है है कि इस बैठक में बाट माप नियंत्रक उ० प्र० ने सरकारी वाहनों और अधिकारों का दुरुपयोग किया जिसकी शिकायत खाद्य एवं रसद मंत्री जी से जनवरी, 1982 में अनुग्रह नारायण सिंह भू० पू० अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा लिखित की गयी? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और क्या कार्यवाही हुई?

श्री वासुदेव सिंह—

उक्त बैठक विभागीय प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की अर्धवार्षिक समीक्षा तथा अन्य विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु बुलाई गई थी। उसमें निम्न लिखित निर्णय लिये गये:—

(1) प्रदेश के दो सचल दस्तों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि वे सभी संभागों में प्रतिवर्ष दो बार चेकिंग कर सकें तथा सचल दस्तों में निरीक्षकों की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की जाय।

(2) प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर चैकिंग का एक केन्द्र हो।

(3) विवादग्रस्त भवनों के किराये के मामले आपसी समझौते द्वारा निपटाये जाएं तथा जहां यह संभव न हो, जिला सरकारी वकील की राय लेकर भवनों का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जाय।

(4) केन्द्रों की आय लक्ष्यों की समीक्षा की गई तथा जिन केन्द्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली गई उनकी ओर अधिक तेजी से कार्य करने को कहा गया तथा जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया उनसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कहा गया।

(5) सभी व्यापारियों की चेकिंग की जाय तथा गुणात्मक मामलों के पकड़ने पर अधिक बल दिया जाय ।

(6) लाइसेंस शुल्क बढ़ाना ।

(7) दूसरे राज्यों के व्यापारियों के साथ हुए समझौते के नवीकरण की भी शुल्क निर्धारित की जाय ।

(8) प्रदेश के सीमेंट निर्माताओं को निर्देश दिये जाँय कि वे सीमेंट पठसन के नये बोरों में भरें ताकि छीजन कम हो ।

(9) पर्वतीय विभाग के दो सम्भागों के लिये गाड़ी का प्रस्ताव औचित्य के साथ मुख्यालय भेजें ।

(10) सरकारी कर्मचारियों के लम्बित मामले शीघ्रता से निबटाये जाँय । सम्भागीय अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार दिये जाँय ।

(11) आगरा व वाराणसी की वैभागिक गाड़ियों की बैटरी के क्रय की स्वीकृति का मामला अध्ययन करके प्रस्तुत किया जाय ।

(12) सत्यापन/प्रमाणन फार्म सरकारी मुद्रणालय से छपवाकर आवश्यकतानुसार सहायका नियंत्रकों को भेजे जायें ।

(13) यात्रा भत्ता के बिलों को शीघ्र निस्तरित किया जाय ताकि कोई बिल प्रिआडिट के लिये बकाया न रहे । उसके बाद उपलब्ध धनराशि के अनुसार यात्रा भत्ता के लिये आवंटन के प्रश्न पर विचार किया जाय ।

उक्त अवधि में प्रश्न में लिखित व्यक्ति की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्रीमती गौरी देवी—

क्या मा० मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बैटक प्रदेश के अन्दर राजधानी में न बुलाकर देहरादून में बुलाये जाने का क्या कारण था ? जिसके कारण भत्ते पर अधिक खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता । देहरादून भी प्रदेश में ही आता है । आप दूसरा प्रश्न करें ।

श्रीमती गौरी देवी—

जैसा मा. मन्त्री जी ने कहा है कि वाहनों के दुरुपयोग की शिकायत इस अवधि में नहीं मिली, तो क्या इसके आस-पास किसी दिन मिली ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह का शिकायती पत्र 19 मार्च, 1982 को प्राप्त हुआ था, जिसमें कई आरोप लगाये गये थे कि—

1–देहरादून बैठक का कार्यक्रम अपने पुत्र के स्वास्थ्य सुधार हेतु रखा,

2—बैठक के दिनों में सहायक नियंत्रक, देहरादून तथा व्यापारियों द्वारा आयोजित भोजों में भाग लिया,

3—सरकारी वाहनों में धन का अपव्यय किया ।

4—अर्द्ध कुम्भ मेले में भी सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया आदि । इसके अलावा श्री नीरज कुमार तथा श्री घनश्याम पाण्डेय के भी शिकायती पत्र प्राप्त हुए । इन शिकायतों के फलस्वरूप उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है और उनकी जाँच विशेष सचिव कर रहे हैं । जांच का काम करीब करीब पूरा हो रहा है । अभी जांच की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

धान के घोटाले के संबंध में जांच करने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन

*4—**श्री रियासत हुसैन** —

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में 50 करोड़ रुपए के धान घोटाले से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनाँक 2-8-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

शिकायती पत्र दिनाँक 2 अगस्त, 1982 को प्राप्त होने के पूर्व ही रुपये 50 करोड़ के कथित घोटाले के सम्बन्ध में जांच करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका था । जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत ही कोई कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मा. मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कमेटी बनायी है, उसके मा. सदस्य कौन-कौन हैं और कौन सी तारीख को इसको एप्वाइन्ट किया है ? क्या अभी तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट मिली है ? यदि नहीं, तो 2 साल हो गये हैं क्या आपने अपनी तरफ से उस कमेटी से कहा कि अन्तिम रिपोर्ट दें ताकि ऐक्शन हो सके ?

श्री वासुदेव सिंह—

मुख्य सचिव और खाद्य सचिव तथा सतर्कता अधिष्ठान के डायरेक्टर एवं सचिव इसकी जांच कर रहे हैं । यह जाँच 9-7-82 को निवर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित थी और नये मुख्यमंत्री जी ने 8-2-83 को यह कहा है कि 31 मार्च तक रिपोर्ट दे दी जाय । इसको शासन पूरी गम्भीरता से ले रहा है और उच्चस्तरीय जाँच चल रही है । कुछ दिनों से सम्बन्धित अधिकारी इस देश में नहीं हैं, इथोपिया में हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मा. मन्त्री जी ने जैसा कहा कि 31 मार्च तक उस समिति की रिपोर्ट मांगी गयी है, आज 10 मार्च तो हो ही गयी । सम्बन्धित अधिकारी बाहर हैं तो क्या मा. मंत्री जी इसके बारे में आश्वस्त हैं कि 31 मार्च तक वह रिपोर्ट आपको मिल जायगी ? यदि न मिल सकी तो अभी तक जिस नतीजे पर वह समिति पहुँची हो उसके आधार पर अधिकारी के खिलाफ या घोटाले वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन सदस्य जो कह रहे हैं, यह मामला शासन ने गम्भीर समझा, मुख्यमन्त्री जी ने गम्भीर समझा, उन्होंने निर्देश दिया, समिति बनाई। हमें आशा है कि 31 तक वे जांच पूरी कर लेंगे और रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मा. मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में, इस 50 करोड़ के धान के घोटाले के काण्ड में माननीय मंत्री जी कृपया उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम बताने की कृपा करें जो इस 50 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। दूसरे माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह जाँच अधिकारी इथोपिया चले गये, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार जाँच सही तरह से हो संबंधित अधिकारी को फिर वापस बुलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

फिलहाल आवश्यकता नहीं है, आवश्यकतानुसार शासन अवश्य कार्यवाही करेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं आया कि कौन-2 से अधिकारी व कर्मचारी इस मामले में शामिल हैं, कृपया उनके नाम बता दें ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इस मामले की गम्भीरता तो सरकार की इस बात से पता चल रही है कि दो साल हो गये और अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, दूसरे जिन अधिकारियों को इस मामले में जांच सदस्य बनाया है, उनका नाम तथा कमेटी की बैठकें इन दो सालों में हुई भी हैं या नहीं, यदि हुई तो उसकी अन्तरिम रिपोर्ट तो अवश्य सरकार को प्राप्त हो गयी होगी, यदि हो, तो वह रिपोर्ट क्या है ? और यदि नहीं प्राप्त हुई. तो देरी के क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह –

कमेटी की बैठकें हुई हैं, लेकिन अन्तरिम रिपोर्ट हमें अभी कोई प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अब वह जल्दी ही 31 मार्च तक प्राप्त हो जायेगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी –

मान्यवर, मैंने सीधा सा एक सवाल पहले भी किया था कि इस 50 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित जिन-जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आयी हों, कृपया उनके नाम माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेवसिंह —

मैं नहीं बता सकता, जब तक पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी कृपया बताने की कृपा करें जैसा कि मा० मोहन सिंह जी ने कहा कि इस मामले को हुए दो साल हो गये और इतना गम्भीर 50 करोड़ के घोटाले से

सम्बन्धित मामला है और इसमें किसी ने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई प्राईमाफेसी केस भी बना होगा, जिसकी सतही तौर पर जांच हो रही होगी, तो उस अधिकारी व कर्मचारी का का नाम कृपया बताने का कष्ट करें और जांच की प्रक्रिया अब किस स्टेज पर है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाले हैं हमारे माननीय सदस्यगण । माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 9-7-82 को जांच हेतु आदेश और जांच कमेटी बनायी गयी और यह मामला इस उच्च स्तरीय समिति के सुपुर्द कर दिया गया और जांच रिपोर्ट 31 मार्च को आ जायेगी तब सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ माननीय मन्त्री जी से कि जुलाई, 82 में कमेटी जांच के लिए बनायी गयी तो यह कमेटी किस मामले की जांच के लिए और किस अधिकारी के खिलाफ यह जांच हो रही है ?

श्री वासुदेव सिंह

किसी के ऊपर जांच नहीं हो रही, 50 करोड़ के घोटाले की जांच हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सम्बन्धित जांच अधिकारी इथोपिया चले गये, उनका नाम क्या है, दूसरे यह कि जब यह जाँच आदेश 9-7-82 को हुए, उससे पहले गये हैं या बाद में और क्या वे सरकारी काम से गये हैं ? यदि हाँ, तो किसने उनको भेजा है ?

(शोर)

श्री वासुदेव सिंह—

पहले के खाद्य सचिव जो कि भारत सरकार के अधीन वहाँ सर्विस में हैं, इथोपिया चले गये हैं । लेकिन इसमें मुख्य बात तो यह है कि 50 करोड़ के घोटाले की जांच हो रही, है यह नाम से किसी के नहीं है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अरे मान्यवर, देश लुट रहा है ।

श्री पंचानन राय

इस तरह से प्रदेश की जनता के साथ भ्रष्ट्राचार हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप बैठें ।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह बहुत गम्भीर मामले का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यदि अनुभव करते हैं कि यह गम्भीर प्रश्न है पर यह भी आपने महसूस किया होगा कि यह प्रश्न 8-9 मिनट तक चला और इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। यदि आप इसे गम्भीर समझते हैं तो इस पर चर्चा की मांग कर लीजियेगा।

इलाहाबाद के कतिपय अस्पतालों में दवा की खरीद में अनियमिततायें तथा दोषी अधिकारियों का निलम्बन

*5— **श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि नवम्बर, 1977 व फरवरी, 1978 की अवधि में इलाहाबाद के सिविल अस्पतालों के मरीजों हेतु उस जिले के मोती लाल नेहरू व सर तेज बहादुर सप्रू अस्पतालों में दवाओं के क्रय करने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लघन कर अधिकारियों ने जानवरो की औषधियां खरीद कर सरकार को भारी नुकसान पहुँचाया जिसकी निन्दा और भर्त्सना करते हुए लेखा परीक्षकों व विधायक श्री गौरी शंकर की अध्यक्षता वाली विधान मण्डल की लोक लेखा समिति ने इस खरीद के दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की सांस्तुति की ? यहि हां तो कौन अधिकारी दोषी पाये गये और क्या 31 मार्च, 1982 तक संस्तुति के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इलाहाबाद के कुछ अस्पतालों में दवा की खरीद में की गयी अनियमितताओं आदि के विषय में प्रथम दृष्टया डा० आई० बी० सिंह, तत्कालीन अधीक्षक मोती लाल नेहरू अस्पताल, डा० जी० एस० सक्सैना, तत्कालीन अधीक्षक, सर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, डा० हरेन्द्र सिंह तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डा०वी०के० सक्सेना, तत्कालीन उप मुख्य चिकित्साधिकारी को दोषी पाया गया था। इन चारों अधिकारियों को 31-3-82 तक निलम्बित कर दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका बांगरमऊ में अनियमित चुंगी लगाये जाने के विरोध में हड़ताल

*6—**श्री भीखा लाल—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने कि कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बांगरमऊ, जिला उन्नाव में अनियमित चुंगी लगाये जाने के विरोध में 9 अगस्त 1982 से कस्बे की बाजार व मण्डी अनिश्चित काल के लिए बन्द है ? यदि हां, तो शासन ने इस अनियमितता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना) —

नगरपालिका, बाँगरमऊ में चुंगी कर विधिवत लगाया गया है। चुंगी कर लागू किये जाने के विरोध में दिनांक 9, 10 व 11 अगस्त, 1982 को आंशिक रूप से कस्बे की कुछ दुकानें बन्द रही थी। परन्तु नगर के सम्भ्रान्त नागरिकों को प्रशासक द्वारा नगरपालिका की शोचनीय आर्थिक स्थिति से अवगत कराये जाने और यह बताये जाने पर कि इस कर की आय से पालिका के विकास कार्यों में प्रगति होगी, जो दुकानें बन्द थी वह भी खुल गई, और तब से चुंगी की वसूली नियमतः की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो चुंगी की दरें पहले लगायी गयी थी वह बहुत ज्यादा थी। जब कस्बे के लोगों ने हड़ताल की तो वहाँ के प्रशासक ने चुंगी की दरें घटाई और तभी यह हड़ताल वापस हुई। क्या यह सही है कि यह चुंगी की दरें बाद में लगायी गयी थीं।

श्री राम सिंह खन्ना—

ऐसा तो नहीं है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ के चिकित्सा कर्मियों को नया वेतनमान लागू किया जाना

*7—**श्री राम लाल वर्मा—(अनुपस्थित)**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ के चिकित्सा कर्मियों के वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नये वेतनमान किस दिनांक से लागू किये गये हैं ? यदि नहीं, तो वे कौन से कारण हैं जिनके फलस्वरूप उक्त वेतनमानों का लाभ अभी तक इनको नहीं मिल सका तथा किस दिनांक से सन्दर्भित वेतनमान लागू किये जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उक्त संस्थानों में नये वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1979 से लागू किये गये।

*8 – **श्री जयदीप सिंह बरार—**

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

झांसी नगर में अवैध कब्जे हटा देने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

*9 – **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28-9-82 का, झांसी नगर में लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा कर लिए जाने से मार्ग छोटे हो गये हैं और लोगों द्वारा सार्वजनिक कूड़ा-स्थल पर भी कब्जा कर लिए जाने में आवागमन में परेशानी से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी को प्रसंगगत मामले में नियमानुसार कार्यवाही तुरन्त कराकर आख्या भेजने हेतु आदेशित किया गया था। उनकी आख्यानुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अवैध कब्जे हटा दिये गये हैं। कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्त्ता को भी शासन द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैंने 28-9-1982 को एक पत्र माननीय मंत्री जी को दिया था। आपने उस के आधार पर जिलाधिकारी, झांसी को कार्यवाही के लिए निर्देश दिए थे और जिलाधिकारी

द्वारा यह सूचना आयी कि अनधिकृत कब्जों को हटा दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पत्र के अनुसार कौन-कौन से कब्जे हटा दिए गये हैं, जो सूचना जिलाधिकारी झांसी ने दी है, उनकी सूचना से बताने की कृपा करें ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ओरछा और चन्नी पुरा, यह दो मुहल्ले हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जो मैंने 28-9-82 को पत्र दिया था, उस में मैंने 10 स्थानों का जिक्र किया था, परन्तु माननीय मंत्री जी केवल दो ही स्थान बता रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि जिलाधिकारी, झांसी द्वारा दी गयी सूचना के द्वारा क्या सभी अवैध कब्जे हट गये हैं, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना

आपका 28-9-1982 का जो पत्र था, उसको 30-9-1982 को ही जिलाधिकारी, झांसी को भेज दिया गया। आपने जो पत्र लिखा है, वह मेरे पास मौजूद है, इसके अलावा जो आप कह रहे है उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि कब्जों को हटाने के लिए मैंने पत्र दिया था और जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि सब कब्जे हटा दिए गये हैं। तो यह सूचना सही है या गलत इसको माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे, इस बात का मैं आश्वासन चाहता हूँ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने आपके पत्र की जांच करा ली है जिससे आपको आपत्ति न हो। जिलाधिकारी ने सूचना दी है, उसी के अनुसार मैंने आपको बताया और अगर अब आप कुछ और कहते हैं तो हमें बता दें दोनों को देख लूंगा और तब तक इसी सूचना को सही मानता हूँ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मैंने पत्र आपको 28-9-1982 को दिया था, उसमें मैंने बताया था कि 10 स्थानों पर अवैध कब्जे हैं, आज आपने जो सूचना दी है, उससे यह प्रतीत होता है कि केवल एक स्थान से अवैध कब्जे को हटाया गया है। तो क्या मेरी सूचना को सही मानते हुए माननीय मंत्री जी जांच कराने की की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, अवश्य कराऊँगा। पहले आपने एक शिकायत किया, उसकी जांच करा लिया, दूसरी देंगे तो उसकी भी जांच करा लूंगा।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के पैथोलाजी विभाग के अध्यक्ष डा० बी० लहरी द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद देहली गेट के पास खोली गयी पैथोलोजी की दुकान

***10—श्री विजय सिंह राना—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा में सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के पैथोलोजी विभाग के अध्यक्ष डा० श्रीमती बी०एल० लहरी के पति जो पहले इसी पद पर नियुक्त थे, ने आगरा में ही देहली गेट पर पैथोलोजी सेन्टर के नाम से अपनी व्यक्तिगत पैथोलोजीकल दूकान खोल रखी है और एस०एन० अस्पताल के मरीजों को श्रीमती लहरी अस्पताल से विमुख कर अपनी दुकान पर भेजती रहती हैं ? क्या यह भी सही है कि टेस्टिंग का अधिकांश सामान अस्पताल से चोरी कर इसी दुकान पर भेजा जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो जाँच आख्या क्या है और यदि नहीं, तो अब जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

जी हाँ, डा० (श्रीमती) लहरी के पति डा० बी० लहरी ने सेवा निवृत्त के बाद देहली गेट के पास अपनी पैथोलाजी की दुकान खोल रखी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि डा० (श्रीमती) लहरी एस०एन० अस्पताल के मरीजों को अपने पति के दुकान पर भेजती हैं ।

इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राना—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप के पास सूचना विभाग है और जन सम्पर्क अधिकारी भी हैं, उनके माध्यम से आपके पास अखबारों की कटिंग आती है तो इनमें साफ लिखा हुआ है कि 1980 में पैथोलोजी से माइक्रोस्कोप के लेन्सेस जो हजारों रुपये की कीमत के होते हैं, वह इनके स्थान पर भेज दिए गए । और वहाँ का कीमती फिल्टर उनको दे दिया और दुकान पर भेज दिया । इसके अलावा बहुत सारा सामान भी वहाँ पर भेज दिया गया जिसकी रिपोर्ट अखबारों में निकली हैं....

श्री अध्यक्ष—

आपको भी मालूम है या नहीं ?

श्री विजय सिंह राना—

जी हाँ, मुझे मालूम है ।

श्री अध्यक्ष—

तो वही पूछिये न ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी आपने उसकी जाँच करायी है ! मैं पूछना चाहता हूँ कि उस जाँच का क्या आधार है और किस एजेन्सी से आपने जाँच कराई है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जो शिकायत माननीय सदस्य ने की वह हमारी जानकारी में नहीं आयी। यदि माननीय सदस्य हमें यह लिखकर देंगे तो हम मुस्तैदी के साथ और बारीकी से उसकी जाँच करायेंगे ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसी के सन्दर्भ में मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने पैथोलोजी सेन्टर के नाम से अपनी व्यक्तिगत पैथोलोजिकल दुकान खोल रखी है इसे आपने स्वीकार किया है। आगे लिखा है कि एस०एन० अस्पताल के मरीजों को श्रीमती लहरी अस्पताल से विमुख कर अपनी दुकान पर भेजती रहती हैं, इसके बारे में आपने कहा है कि प्रमाण नहीं मिलता। आपने किस आधार पर यह कहा कि प्रमाण नहीं मिलता। क्या आपने कोई जांच करायी है ? यह स्टेज तो बाद में आयेगी। दो आरोप तो माननीय सदस्य ने लगाये थे एक तो मरीजों के अपने अस्पताल में भेजने का और दूसरा सामान की अदला-बदली का। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रश्न के आधार पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में जाँच न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक शिकायत हमको लिखकर देंगे तो हम जाँच करा लेंगे। अभी तक हमको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। जहाँ तक विभाग का ताल्लुक है हमारा वहाँ पर रजिस्टर होता है, वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, हमें कोई ऐसा इन्डीकेशन नहीं मिला है जिसमें विभाग का अहित हो। अगर इस तरह की हमारे विभाग की कोई कमजोरी या शिकायत हमें मिलती है तो वह हमारे विभाग के हित में है, उसकी हम जरूर जाँच करायेंगे।

श्री मारकण्डेय चन्द—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि श्रीमती लहरी के पति डाक्टर बी० लहरी ने अवकाश ग्रहण करने के बाद अस्पताल के सामने ही अपनी निजी पैथोलोजी की दुकान खोल ली है और वे वहाँ पर काम कर रहे हैं अगर यह बात प्रमाणित नहीं है कि वह वहाँ पर इस तरह का सामान भेजती हैं तो क्या आप स्वतः ही नहीं सोचते हैं कि उनकी श्रीमती जो वहाँ पर अध्यक्ष हैं उनके पति जो पहले उसी जगह पर थे उन्होंने प्राइवेट दुकान खोली है तो वे वहाँ पर अवश्य भेजते होंगे। क्या जनहित में यह मानकर कि ऐसा होता है, उनका स्थानांतरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह हाइपौथिटिकल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि यह सवाल कैसा है। आप उत्तर के लिये सूचना माँग सकते हैं। आपको उत्तर देना ही चाहिए।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, खेद की बात है कि आपके द्वारा स्वीकार किये हुए प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री जी ने हाइपोथिटिकल कह दिया। जहाँ तक प्रश्न का सम्बन्ध है वह साफ और

स्पेसिफिक है। उन्होंने कहा कि डाक्टर लहरी ने अवकाश प्राप्त करने के बाद अपना पैथालोजिकल सेन्टर खोल लिया है और वे सारा सामान अपनी दुकान पर भेजती रहती हैं क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप उनका वहाँ से स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य लिखकर ऐसी शिकायत देंगे तो उस पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया है कि यदि हम लिखकर देंगे तो वे जाँच करायेंगे। मान्यवर, मैंने प्रश्न इसलिये किया था कि वे इस पर कराने के बाद उत्तर देंगे तो आपने बिना जाँच कराये क्यों उत्तर दिया है ?

जब मैं यहां पर प्रश्न कर रहा हूँ मामला आपके सम्मुख है तो उस पर जाँच न कराने के क्या कारण हैं ? जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि डा० लहरी जो इस विभाग में पहले तैनात थे और उनकी सेवा निवृत्ति के बाद कायदे के विरुद्ध पैथोलोजी में अध्यक्ष पद पर एपोइंट हुई और डा० लहरी अपना पैथालाजी सेंटर चला रहे हैं। तो क्या इस बात का पता लगायेंगे कि श्रीमती लहरी का एपोइंटमेंट उस पद पर कैसे और किस आधार पर हुआ ? उनके पति प्राइवेट पैथालाजी सेंटर चला रहे हैं और वह अस्पताल में पैथालाजी की इन्चार्ज हैं। इसलिए जनहित में उनका वहां से स्थानान्तरण होना आवश्यक है तो क्या माननीय मंत्री जी उनका स्थानानान्तरण करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

जैसा आपने कहा कि डा० श्रीमती लहरी की कैसे वहां नियुक्ति हुई इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे ?

श्री विजय सिंह राना—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ डा० लहरी पहले विभागाध्यक्ष थे और सेवा निवृत्ति के बाद पैथालाजी सेंटर चला रहे हैं। अस्पताल के सारे मरीज, सारी दवायें और सारा सामान वहाँ ट्रांसफर किये जाते हैं। तो क्या कारण है कि जब उनके पति पैथालाजी सेंटर चला रहे हैं और श्रीमती लहरी पैथालाजी की विभागाध्यक्ष हैं तो उनका स्थानान्तरण वहां से क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री हरि सिंह—

ट्रांसफर सिर्फ इस कारण कि किसी के पति रिटायरमेंट के बाद अपना क्लीनिक आसपास शहर में खोल लिये हों उनका ट्रांसफर हो जाय यह नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं आभारी हूँगा आप स्पैसिफिक रूप में लिखकर दे दें उसकी गंभीरता से जाँच करवायेंगे।

श्री दलगंजन सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जैसा उन्होंने बताया कि ट्रांसफर का यह कारण नहीं हो सकता है। ट्रांसफर का कारण भ्रष्टाचार भी नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एफ०आई०आर० भी नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष ---

आप प्रश्न कीजिये।

श्री दलगंजन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि किसी के ट्रांसफर के कौन से कारण हो सकते हैं कृपया बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

जिला चिकित्सालय, मथुरा के महिला वार्ड की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

*11—**श्री सरदार सिंह—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र जिला अस्पताल मथुरा के महिला वार्ड की इमारत के सम्बन्ध में तत्कालीन मण्डलीय मन्त्री, आगरा को दिनाँक 13-5-82 को दिया था जिसे उन्होंने अपनी संस्तुति के साथ स्वास्थ्य मन्त्री को भेज दिया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी हाँ !

जिला चिकित्सालय, मथुरा के महिला वार्ड की मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है मथुरा अस्पताल में महिलाओं को पुरुष मरीजों के साथ रखा जाता है और महिला वार्ड खराब पड़ा हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कितना धन उन्होंने मरम्मत के लिए दिया और उसमें कितनी प्रगति हुई है क्योंकि कल तक मेरी जानकारी में कोई मरम्मत नहीं हुई है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, इसके लिये 83 हजार रुपया स्वीकार किये गये हैं और पी०डब्लू०डी० को इस बात के लिए लिखा गया है कि अस्पताल का काम अपने हाथ में लें ।

श्री सरदार सिंह—

मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी मरम्मत हो चुकी है ? मेरी जानकारी के अनुसार अभी मरम्मत नहीं हुई है ।

श्री हरि सिंह—

मरम्मत का काम अभी शुरू नहीं हुआ है ।

श्री सरदार सिंह —

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब से मरम्मत शुरू हो जायेगी और कब तक यह महिला अस्पताल मरम्मत होकर तैयार हो जायेगा ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जल्दी से जल्दी उसकी मरम्मत करायेंगे ।

मिट्टी के तेल की फुटकर दुकानदारों को लाईसेन्स देने की योजना

*12—श्री ओम प्रकाश जिंदल —

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की कोई योजना मिट्टी के तेल की फुटकर दुकानदारों को लाइसेन्स देने की है और उसी के अन्तर्गत आगरा शहर में मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेता बनाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा को कोई शासनादेश भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर जिलाधिकारी, आगरा ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपदों में उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल का वितरण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों/सहकारी समितियों/निजी फुटकर विक्रेताओं द्वारा ही कराया जाता है जिसके लिये इन विक्रेताओं को उ०प्र० मिट्टी का तेल नियंत्रण आदेश, 1962 के अन्तर्गत लाइसेन्स लेना अनिवार्य होता हैं। यही व्यवस्था आगरा जनपद के लिए भी है और इस जनपद के लिए अलग से कोई शासनादेश नहीं है। अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश जिंदल —

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1981-82 में कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों, कितनी सहकारी समितियों और कितनी निजी फुटकर विक्रेताओं को मिट्टी तेल वितरण के लिये लाइसेन्स दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि 1981-82 में मिट्टी के तेल की फुटकर दुकानों को लाइसेन्स क्यों नहीं दिये गये हैं जिससे आगरा में सारा मिट्टी का तेल ब्लैक में बिक गया, तो लाइसेन्स क्यों नहीं दिये गये ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, 25 फरवरी, के शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी आगरा ने 521 लाइसेंस जारी किये जिसमें 138 लाइसेंस आगरा शहर के हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में पहले से सरकारी सस्ते गल्ले एवं सहकारी समितियों द्वारा मिट्टी का तेल वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार 138 फुटकर विक्रेताओं द्वारा मिट्टी का तेल वितरण किया जा रहा है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

मान्यवर, प्रदेश में इस समय मिट्टी के तेल का एक संकट पैदा हो गया है और हर जगह ब्लैक बढ़ गया है। इसलिये क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि जो वीकर सेक्शन के लिये तेल का कोटा निर्धारित किया गया है कि कार्डों पर तेल मिलेगा, लेकिन कार्ड बने नहीं हैं, तो वीकर सेक्शन के लिये जल्दी ही क्या मंत्री की कार्ड बनवाने एवं फुटकर दुकानों से तेल वितरण कराने का प्रबंध करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, यदि मा० सदस्य कार्यसूची को पढ़े होते तो मालूम हो जाता कि इस संबंध में अल्पसूचित प्रश्न है जिसमें मा० सदस्य प्रश्न कर लेगें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मिट्टी तेल पर मंत्री जो पढ़ने को कहते हैं, आज 30 वर्ष की आजादी के बाद भी मिट्टी का तेल, नमक और दियासलाई पर यहां सदन में चर्चा हो तो बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, उ० प्र० के जनजीवन से तेल का संबंध है, आगरा, इटावा और बलिया का प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था तेल के वितरण की बनायी है, यह तेल गरीबों के शोषण का साधन बना है, तो क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि चाहे किसी भी दर पर, यह मिट्टी का तेल कंट्रोल से मुक्त रहेगा जिससे हर व्यक्ति को मिल सके ?

श्री वासुदेव सिंह —

मान्यवर, सभी प्रश्न मिट्टी तेल के बारे में एक साथ करलें तो उनका जवाब हम दे देंगे । अभी तो आगरे का जवाब मैं देने के लिये तैयार हूँ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाँय । मैं श्री जिंदल के अलावा किसी को इजाजत नहीं देता हूँ । आप लोग बैठ जांय ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बात को सत्य मानकर 1981-82 में किसी भी फुटकर विक्रेता द्वारा मिट्टी का तेल वितरित नहीं कराया गया और सारा ब्लैक में बिक गया, तो क्या मंत्री जी इसमें जिनकी साजिश थी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मा० सदस्य कह रहे हैं तो मैं इसकी जाँच करा लूंगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल —

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने डबुल पौलिसी डिक्लेयर की । 70 प्रतिशित तेल कन्ट्रोल से 30 प्रतिशत बिना कन्ट्रोल के इसका दाम साढ़े तीन रुपया रखा और कन्ट्रोल का 2-10 रखा । माननीय मन्त्री जी इस सदन में कह चुके हैं मिट्टी के तेल का वितरण····

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप प्रश्न करें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी यह जो शहरी क्षेत्र में कोटेदार हैं इनको····

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

मन्त्री जी ने बताया कि पुराने जो लाइसेन्स होल्डर थे उनमें से कुछ को नये आदेशों के अनुसार पुनः वितरण का लाइसेन्स दे दिया गया तो मैं मन्त्री जी ये यह जानना चाहता हूँ कि जो पुराने लाइसेन्स धारक थे उनमें से कुछ के विरुद्ध शिकायत थी तो उनमें से किसी को दिया गया है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

ऐसे लोग चाहे आगरा में हों या बरेली में सब के खिलाफ कार्यवाही होगी ।

प्रा० स्वा० केन्द्र खेसरहा जिला ब ती के डाक्टर द्वारा ग्राम सभा चिडटहा ग्राम प्रधान के लड़के की जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में नियुक्ति के संबंध में रजिस्टर्ड शिकायती पत्र

***13—श्री विजय सिंह—(अनुपस्थित)—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र खेसरहा जिला बस्ती के डाक्टर ने ग्राम सभा चिउटहा के ग्राम प्रधान के लड़के डा० जलालुद्दीन, जो अपनी प्राइवेट दवा की दुकान चला रहे हैं, को जन-स्वास्थ्य रक्षक के रूप में नियुक्त किया है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दवाओं को ग्रामवासियों से काफी पैसा लेकर देते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फर्जी हस्ताक्षर युक्त कागजात प्रस्तुत करते हैं ? क्या कह सही है कि इस सम्बन्ध में ग्राम सभा चिउटहा की जनता द्वारा रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 18-8-82 एवं 2-11-82 क्रमशः नम्बर 1955 व 224 को मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती एवं मा० स्वास्थ्य मन्त्री को दिनांक 1-8-82 को रजि० प० सं० 223 भेजा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका श्रेणी 3 और सहायक कर अधीक्षक नगर महापालिका के वेतनमानों में असमानता

***14—डा० शिवानन्द नौटियाल—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक्जीक्यूटिव आफिसर तृतीय श्रेणी नगरपालिका और सहायक कर अधीक्षक, नगर महापालिका एक ही कैडर के थे और उनका समान वेतनक्रम था तथा एक दूसरे के पद पर स्थानान्तरित होते रहे हैं ? यदि हां, तो इन दोनों पदों के वेतनमानों में असमानता किये जाने के क्या विशेष कारण हैं ? क्या यह सही है कि अब यह अलग-अलग कैडर हो गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रेणी 3 और सहायक कर अधीक्षक नगर महापालिका के पद उ० प्र० पालिका प्रशासी [अधीनस्थ] सेवा के पद हैं और उनका पुराना वेतनमान समान था तथा उनके पद धारक एक दूसरे पद पर स्थानान्तरित होते रहे हैं ।

तृतीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर इन पदों के वेतनमानों में असमानता हुई है।

जी नहीं, इनका नया वेतनक्रम अलग अलग हो गया है किन्तु ये पद अभी उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासी [अधीनस्थ] सेवा में है।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है अधिशासी अधिकारी नगरपालिका श्रेणी 3 और सहायक कर अधीक्षक नगर महापालिका के पद पर समान रूप के है और उनका वेतनमान समान था और यह भी स्वीकार किया है कि अलग से कैडर नहीं बना है। क्या मंत्री जी इस असमानता को दूर करने के लिये प्रयास करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस विसंगति को दूर करने के लिये सिफारिश कर दी गई है।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे यह जो वेतनमान स्वीकार किया गया है और चला आ रहा है उसमें फिर से चलाने के लिये कब से शुरू कर दिया गया है और संस्तुति कब की गई है ? और इनके कैडर को एक समान बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, नवम्बर, 82 से संस्तुति कर दी गयी है और यह वित विभाग के विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज से धान, चावल व गेहूँ की तस्करी की जांच

*15—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के स्थान महाराजगंज (मऊ पाकड़) से धान, चावल व गेहूँ की तस्करी एस०एम०आई० व एम०आई० द्वारा मिलकर बड़े व्यापक पैमाने पर की जा रही है जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता ने एक शिकायती-पत्र दि० 29-10-82 में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर को दिया है ? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं।

मा० सदस्य का प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित पत्र क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर को प्राप्त हुआ। पत्र में उल्लिखित आरोपों की जाँच क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा करायी गयी। जाँच के आधार पर पत्र में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, इसी सदन में मैं 15, 16 17 और 18 फरवरी को इस तस्करी के मामले को बराबर उठाता रहा और सँयोग से माननीय नन्द किशोर सिंह की सूचना पर चर्चा भी करवाई गयी थी । मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि मैं बराबर नियम 56 के अन्तर्गत सूचना भी देता रहा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पत्र आर०एफ०सी०, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है, उसमें मूल शिकायत क्या हैं, और उसकी जांच करते समय क्या शिकायतकर्त्ता को भी साक्ष्य का अवसर जाँच में दिया गया कि नहीं ? यदि नहीं, तो वह कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने यह अवसर नहीं दिया ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने किया, इसको मैंने देखा, माननीय सदस्य जिन्होंने शिकायत की थी, जाँच के दौरान में उनका कोई बयान नहीं लिया गया । मैंने आदेश दिया है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह चाहे जहाँ भी हों, आप उनको रजिस्ट्री भेजिये, किसी तरह से भी सम्पर्क करिये । यह जांच तब तक पूरी नहीं मानी जायगी, जब तक कि माननीय सदस्य से सम्पर्क नहीं स्थापित किया जायगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, तस्करी में आखिर कोई सामान का नाम तो लेना पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को बतायेंगे कि वहाँ से नेपाल और देवरिया होते हुए बिहार होकर चीन से तस्करी होती है और वहाँ पर दरोगा एक है, वह भी मिला हुआ है, एस० एम० आई० वगैरह मिल कर तस्करी करा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इसकी गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच करवा देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, जाँच का प्रश्न नहीं है, इस पर कार्यवाही हो रही है, कहिये तो सदन में पढ़कर सुना दूँ कि क्या-क्या कार्यवाही हुई ।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, मऊ पाकड़ जो गोरखपुर में नेपाल के बार्डर पर स्थित है, माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, कि इस मऊ पाकड़ बाजार से नेपाल और बिहार को तस्करी की जाती है, तो आप यह जाँच करायेंगे कि यहाँ पर कितने गल्ले की आमद होती है और कितनी निकासी होती है और वह कहाँ-कहाँ जाता है ? आपने इसकी जो जाँच कराने का आश्वासन दिया है, उसमें यह भी बिन्दु रखेंगे ।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य जिन-जिन बातों को बतायेंगे, हमको बता देंगे, तो उसकी भी जाँच करा ली जायगी ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने पूरे सदन को गुमराह कर दिया है अपनी दो बातों से, एकबार इन्होंने कहा कि इसकी जाँच हुई । फिर कहा कि शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ । तो दोनों बातों में विरोधाभास है । फिर आपने कहा कि पत्र लिखा है कि जाँचकर्त्ता शिकायतकर्त्ता से मिल लें । मान्यवर,

जब आपने यह कहा कि हमने पत्र लिख दिया है, शिकायतकर्त्ता से जाँचकर्त्ता की बात हो जाय, शिकायतकर्त्ता की गवाही हो जाय, तब जाँच पूरी मानी जायगी और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसकी जाँच करवा लिये, तो मान्यवर, यह दोनों विरोधाभास है। यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य गुमराह हो गये। अब इनको राह पर लाने के लिये मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों बातें सही हैं। यह जो जाँच हुई है इसमें मैंने पाया कि माननीय सदस्य का साक्ष्य नहीं लिया गया। तो यह जरूरी समझा गया कि माननीय सदस्य को विश्वास में लेकर जाँच की जाय।

सेवा मुक्त राज्य कर्मचारियों तथा विधायकों हेतु स्वीकृत आवास योजना

***16—श्री केसरी प्रसाद पाण्डेय**—

क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा मुक्त राज्य कर्मचारियों तथा विधायकों के लिए कोई आवासी योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस योजना का प्रारूप क्या है और वह कब तक क्रियान्वित हो जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जी हाँ। राज्य सरकार द्वारा वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए एक आवासीय योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 29-1-1982 के बाद सेवानिवृति कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के किसी जिला मुख्यालय में उनके विकल्प के अनुसार निर्मित भवन आवन्टित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत केवल उसी कर्मचारी को भवन आवन्टित किये जायेंगे जिसके पास अथवा जिसकी पत्नी या अवयस्क बच्चों के पास अपना कोई निजी आवास उत्तर प्रदेश के किसी जिला मुख्यालय पर न हो, जिसे आवास विकास परिषद् या विकास प्राधिकरणों द्वारा या किसी राजकीय संस्था द्वारा भवन आवन्टित न किया गया हो तथा जिसने राज्य सरकार से भवन निर्माण/खरीदने हेतु अग्रिम न लिया हो। यह योजना स्वयं वित्त पोषित है। इसका संचालन बिना लाभ हानि के आधार पर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा।

माननीय विधायकों के लिए भी आवास एवं विकास परिषद् द्वारा एक आवासीय योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके लिए वित्तीय व्यवस्था का प्रश्न अभी निर्णीत नहीं हो सका है। इस योजना के लिए लखनऊ में मार्टिनपुरवा में भूमि अध्याप्ति के लिए परिषद् प्रयत्नशील है। इसके अलावा आवास विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित उच्च एवं मध्य आय वर्ग के भवनों में भी 4 प्रतिशत का आरक्षण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं विधायको के लिए उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी करना चाहता हूँ अपनी जानकारी के लिये। आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके लिये वित्तीय व्यवस्था का प्रश्न अभी निर्णीत नहीं हो सका है। तो यह जो बजट में एनांउस था।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, एक टोकेन प्रोविजन एक लाख का किया गया है। इसमें मंशा यह थी, अभी पूरी तरह से योजना तैयार नहीं हुई है, लेकिन करने का इरादा है इसलिये टोकेन प्रोविजन किया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी इस बात का प्राविजन कुछ निश्चित समय के अन्दर 15 दिन या 1 महीने में करने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में जहाँ-जहाँ भी इनके डेवलपमेंट अथारिटी, हाउसिंग बोर्ड, बगैरह की कोलोनीज बन रही हैं अगर इसे माननीय सदस्य लेना चाहते हैं तो प्रायरिटी के आधार पर उनको मकान मिल सकें ?

श्री राम सिंह खन्ना --

यह तो 4 परसेंट का आरक्षण है या जो नयी योजनायें हैं किस संबंध में आप जानना चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, सदस्यों ने बैठकर स्कीम बनायी थी, आपने घोषणा किया था कि कहीं भी जहाँ पर हमारे डेवलपमेंट अथारिटी हैं, या हाउसिंग बोर्ड वगैरह जहाँ पर बना रहे हैं, जहाँ पर विधायक का आप्शन होगा उसको हम सीक कर लेंगे और जहाँ पर मकान निर्मित हो रहे हैं उनको हिदायत कर देंगे कि वह प्रायरिटी पर माननीय विधायकों को एलाट करेंगे ? इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, अभी निर्णय नहीं लिया है लेकिन सिद्धान्त रूप से मान लिया है। इसमें शीघ्रता की जायगी।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, कुछ शर्तें हैं जिन पर आप देंगे, मान लीजिये कि 10 एलाट करना है, वहाँ सब शर्तें पूरी हों और लेने वाले 20 हों तो क्या तरीका देने का होगा ?

श्री राम सिंह खन्ना --

इसमें सबसे सही तरीका लाटरी का हो सकता है, उस पर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की जो राय है, जैसा कि वह मुझसे भी आकर कहते हैं और आपसे मिलते होंगे तो इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करें।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

जल निगम में अवर अभियन्ताओं को तथा उसी के समकक्ष योग्यता प्राप्त संगणकों की सेलेक्शन ग्रेड में भिन्नता

*17—**श्री सुरेन्द्र कुमार**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम में अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड उनके 5 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण होने पर देय है तथा उसी के समकक्ष योग्यता प्राप्त संगणकों को सेलेक्शन ग्रेड उनके 10 वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने पर देय है ? यदि हाँ, तो इस भिन्नता का कारण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ। किन्तु इस विसंगति को दूर करने के लिए उ० प्र० जल निगम द्वारा यह मामला अपने निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जा रहा है।

जनपद देवरिया से गेहूँ की कथित तस्करी

*18—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया से गेहूँ की तस्करी चीन को होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 4-10-82 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय विधायक महोदय, का पत्र दिनांक 4-10-82 शासन को प्राप्त हुआ। कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर)

टी०बी० डिमोन्स्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेंटर, आगरा में क्षय रोग से ग्रसित कर्मचारी

*19—**श्री बदन सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि टी०बी० डिमोन्स्ट्रेशन एवं ट्रेनिग सेंटर आगरा में 60 कर्मचारियों के स्टाफ में से 24 कर्मचारी गत 10 वर्षों में क्षय रोग से ग्रसित हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

टी०बी० डिमान्स्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा में गत 10 वर्षों में केवल 15 कर्मचारी क्षय रोग से ग्रसित हुये हैं। केन्द्र पर क्षय रोग की रोकथाम और उपचार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया व नगर पालिकाओं आदि के चुनाव की मांग

*20—**श्री रघुवीर सिंह यादव**—

क्या सरकार टाउन एरिया, नोटीफाइट एरिया व नगर पालिकाओं आदि के चुनाव जब तक सरकार नहीं करा पा रही है तब तक इनका इन्तजाम देखने के लिए पब्लिक के

लोगों की कोई कमेटी बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। 1981 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों के वर्गों का परिसीमन एवं मतदाती सूचियों के पुनरीक्षण के उपरान्त इन निकायों का सामान्य निर्वाचन कराने के बारे में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायगा। चूँकि इन निकायों का निकट भविष्य में पुनर्गठन किये जाने की सम्भावना है अतः पब्लिक के लोगों की कमेटी गठित करने पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मिट्टी के तेल तथा डीजल की मूल्य निर्धारण की नीति

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 15-2-83 से लागू मिट्टी का तेल तथा डीजल की नई दर क्या है ? मिट्टी के तेल के विक्रय की दोहरी नीति का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मिट्टी के तेल तथा डीजल के मूल्य निर्धारण की नीति का विषय पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है। प्रदेश में वर्तमान में डीजल की कोई समस्या नहीं है। अतएव, इस सम्बन्ध में फिलहाल प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वर्ल्ड मार्केट का 10 डालर प्रति बैरल से मार्केट का स्तर नीचे गिर गया, यानि 40 डालर प्रति बेरल खरीदा, जबकि कीमत कुछ थी, अब बढ़ा दिया भारत सरकार ने, 30 डालर प्रति बेरल में खरीदना पड़ रहा है, तो यह तो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है, हम उसमें जानकारी नहीं कर पायेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं, उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे, जैसे पहले के सवाल में माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी, कि यह जो सब्सीडाइज्ड और नान-सब्सीडाइज्ड दो तरह का मिट्टी का तेल आप बाटेंगे जिसकी कीमत बहुत बढ़ी है, उनको एक डीलर से ही बिकवायेंगे या अलग-अलग इसकी व्यवस्था करायेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि यह दोनों चीजें एक ही के पास रहेगी, तो उसमे भ्रष्टाचार की पराकाष्टा हो जायेगी, जैसीकि सीमेंट में हो रही है, तो इस सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है, यह माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो विचार रखा है उससे मैं सहमत हूँ। यह अभी एक प्वाइंट पर दोनो तेल रखा गया है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह करना पड़ेगा। यह 14-15 तारीख को तय हुआ है, भारत सरकार की नीति है। वैसे जो बँट रहा है, 70 सैकड़ा सब्सीडाइज्ड कर दिया है और 30 सैकड़ा प्रतिष्ठानों, उद्योगों के लिए किया है, तो अभी एक प्वाइंट है। वहाँ से हम परमिट पर बड़े थोक विक्रेताओं को दे देंगे और शेष 70 सैकड़ा जो है वह अपनी सब्सीडाइज्ड दर से वितरित करायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, मैंने जो पहला सवाल किया था, जिस सुझाव से माननीय मन्त्री जी ने सहमति प्रकट की । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से साफ-साफ यह जानना चाहता हूँ कि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज जो बिक्री की व्यवस्था आप ने की है, एक ही दुकानदार, चाहे वह कोआपरेटिव में हो या निजी कोटेदार हो, दोनों तरह का तेल बेच रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार हो रहा है । मिट्टी का तेल वैसे ही पहले गरीबों को नहीं सुलभ हो पाता था, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और यदि मिलेगा तो भारी कीमत पर । जब सुझाव से सहमत हैं, तो सरकार ने अब तक कोई रूपरेखा इस सम्बन्ध में क्यों नहीं बनाई ? यदि बनाई है, तो वह क्या है ? दूसरी मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शहरों में ही नहीं, ग्रामीण अंचलों में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके राशन कार्ड अभी नहीं बने हुए हैं, तो क्या युद्ध स्तर पर कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि जिन जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनको राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे, क्योंकि मान्यवर, इसके अभाव में आपकी यह योजना सफल नहीं हो पायेगी, इसके बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य का निष्कर्ष तो अपनी जगह पर है लेकिन दो बातें उन्होंने कहीं । 14/15 से यह नया लागू किया गया है और इसे देखा जा रहा था । मैं इस राय का हूँ और आदेश भी करना चाहता था कि एक ही दुकान से दो तरह का तेल न बिके । यानी एक से 70 वाला और दूसरी से दूसरा । जहाँ तक शहर में जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था करें, इस पर हम सकिय ढंग से सोच रहे हैं और दूसरी चीज कही, तो भारत सरकार ने तय किया है 70 सैकड़ा गरीब वर्ग के लिए है, उसमें कोई अन्तर नहीं आयेगा, जैसा माननीय सदस्य ने कहा । अब कोई नई चीज शुरू होती है तो कुछ भ्रम पैदा करके भी कह लेते हैं, जैसे चीनी में हुआ, सीमेंट में भी रुझान कमी की तरफ हो रही है । तो अभी जो मिट्टी के तेल और डीजल का भाव है, 30 सैकड़ा है, करीब-करीब बराबर कर दिया गया है । इसमें अपमिश्रण बहुत होता था । मिट्टी का तेल मिला दिया जाता था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो डीजल है वह 3·52 और ग्रामीण क्षेत्र में 3.48 है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को 4 पैसा चुंगी नहीं देनी होती है । इसलिए कम है और मिट्टी का तेल 2·10 है और ग्रामीण क्षेत्र मे 2·00 है । तो कुछ भ्रम हो गया है इसलिए मूल सवाल तो यह है कि दो दुकानें रहनी चाहिए । कुछ 30 सैकड़ा और शेष 70 सैकडा वाली । दूसरी चीज कार्ड की व्यवस्था की जो है, अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूँ कि 7 लाख रुपया सरकार ने स्वीकृत कर दिया है । शहरो में सब हो गया है। ग्रामीण इलाके में कागज की कमी की वजह से प्रेस उसको छाप नहीं सके हैं लेकिन हम उसे कर रहे हैं । जब तक नये कार्ड नहीं देते हैं पुराने कार्ड पर ही मिट्टी का तेल, चावल, चीनी आदि ली जा सकती है लेकिन बात अपनी जगह है, सही है, उनको रिप्लेस करके नये कार्ड बँटवाने का प्रयास है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, 70 प्रतिशत मिट्टी का तेल सब्सीडाइज्ड है । मैं समझता हूं कि सरकार के पास आँकड़े भी हैं, तो जो भी मिट्टी के तेल की खपत है उसका 90-95 प्रतिशत दरिद्र, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, धनी आदमी कम करता है, उद्योग में भी कहीं खर्च नहीं होना । तो 90-95 प्रतिशत जो खर्चा हैं उसके लिए एक ही रेट सारे प्रदेश में रखने के

(व्यवधान)

लिए किरासीन तेल डीजल में, पेट्रौल में मिला दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसे एक दर से बिकवाने का प्रयास करेंगे और जो सब्सीडाइज्ड दर है उसको खजाने से पूरा करें और नियंत्रण गरीब जब चाहे, जहाँ चाहे उसको मिट्टी का तेल उपलब्ध हो जाय, इस नीति को करवाने में आपको क्या दिक्कत है, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री वासुदेव सिंह—

मुझको शासन को कोई कठिनाई नहीं है, केन्द्र सरकार का फैसला है, उनका निर्णय है···

श्री काशीनाथ मिश्र—

जहाँ तक गरीब का प्रश्न है, केन्द्र का फैसला अगर गलत हो···

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य सुनें। जाकर दिल्ली में बोल कर हमारी मदद करते। यह बात सही है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप उनको उत्तर देने दीजिये।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि दो मास हो गये हैं, यह भारत सरकार के द्वारा मूल्य नीति के सामान्य नियंत्रण के अधीन हैं। हर चीज का दाम केन्द्रीय सरकार तय करती है, अब उसने इसका भी तय कर दिया। अब अगर गरीब रह गया, तो 70 सैकड़ा तो गरीब के लिए है और 30 सैकड़ा दूसरों के लिए है। इस वक्त मुख्य समस्या दाम की नहीं है, मुख्य समस्या यह है कि अगर केन्द्र के द्वारा कोटा बढ़ा दिया जाए जैसा कि हम 75 हजार मी० लीटर चाहते हैं, वह हो जाए तो कोई समस्या न रहे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी अनुज्ञा से जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन महीने में और इस माह में जिसमें दोहरी नीति पैदा कर दी गयी है, उस समय जो भारत सरकार से मिट्टी के तेल का कोटा मिलता था, उसमें एक लीटर का भी इजाफा नहीं हुआ है, पर उसमें से ही 30 फीसदी काट कर हाई कीमत पर बेचने का निर्णय कर लिया

गया, तो क्या इसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के सामने अपनी ओर से कोई असहमति प्रकट की है या विरोध किया है ? और उनको मालूम होना चाहिए कि जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के मामले में गरीबों को कम कीमत पर देने का कार्य प्रारम्भ किया है और अपने पास से देकर काश्तकारों को लाभान्वित किया है, तो क्या उसी प्रकार से इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने पास से सब्सीडाइज्ड करके गरीब उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर–सबको एक ही दर पर मिट्टी का तेल दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो न करने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य ने एक तो जानकारी चाही है और दूसरा उनका सुझाव है। जो नीति इस समय है, उसके अन्तर्गत मैंने निवेदन किया··· (व्यवधान) अगर कांग्रेस दल नहीं चाहता है (व्यवधान) जब भी मैं गया हूँ 20 हजार, 25 हजार, 15 हजार मी० टन गेहूँ जरूर वहाँ से ले आया हूं। जो कमी है उसे नही होने दिया जायगा। मिट्टी का तेल जितना आप चाहेंगे, दिया जाएगा। आपको इसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको चाहिए, केन्द्र से माँगकर उत्तर प्रदेश को दे सकता हूँ·····

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया··· (व्यवधान) मैंने एक स्पष्ट सवाल पूछा था···

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय—

श्रीमन्, विषय की गम्भीरता को देखते हुए आप इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर लिख कर दे दीजिएगा।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इनके सरकार की दोहरी नीति चीनी और सीमेंट के मामले में थी और अब मिट्टी के तेल पर भी आग्रह है। मेरी निश्चित जानकारी है कि हमारे पूरे प्रदेश में ग्रामीण आँचलों में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है और यदि हो रहा है तो दो-ढाई रुपये लीटर हो रहा है। तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि मिट्टी का तेल सही दामों पर ग्रामीण अंचलों में गरीबों को मिल सके ?

श्री वासुदेव सिंह—

जरूर इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं बार बार एक ही सवाल दोहराना चाहता हूँ और में समझता हूँ कि इस सवाल के साथ इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की भावना निहित है, तो आप कृपा करके उसका उत्तर दिलवा दें। मेरा साफ सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र की सरकार को मिट्टी के तेल के दाम घटाने के लिये कोई संस्तुति करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों के लिये 70 सैकड़ा मिट्टी का तेल कम कीमत पर ही मिलेगा····

(दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शोर व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें । जो दाम 14-15 फरवरी के पहले थे मिट्टी के तेल के, उसी हिसाब से 70 प्रतिशत तेल निर्बल वर्ग के लोगों को मिलेगा ···

(दोनों पक्ष से शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य कृपया बैठें, यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

जहां तक गरीबों का सवाल है, उनको वही दाम देने पड़ेंगे । जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं उनको बढे हुए दाम देने होंगे (शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वे दिशा विहीन हो जाते हैं । आप 70 प्रतिशत की बात कहते हैं, कहीं पर 2.10 रुपये प्रति लीटर से कम पर तेल गरीबों को नहीं मिल रहा है । यह गलत बयानी मंत्री जी कर रहे हैं । किसी भीं जिले में, किसी भी गरीब को पुराने रेट पर तेल नहीं मिल रहा है । क्या मंत्री जी सुनिश्चत तौर पर कह सकते हैं कि सस्ते भाव पर गरीबों को तेल मिल रहा है ? अगर नहीं मिल रहा है तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

55 हजार किलो लीटर तेल मिल रहा है । इस समस्या का निदान है कि हम अधिक से अधिक तेल प्राप्त करें····(व्यवधान) ।

अब दूसरा प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) कृपया आप लोग बैठें । माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री वासुदेव सिंह—

जहाँ तक 7० सैकड़े मिट्टी के तेल का सम्बंध है उसके दाम अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शासन उसको पूरा करके उतने ही दामों पर गरीब एवं निर्बल वर्ग को देगा ।

(व्यवधान)

श्री भीखालाल —

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा प्रश्न कुछ होता है माननीय मंत्री जी से उत्तेजित होकर जबाब कुछ देते हैं। प्रश्न मिट्टी के तेल पर है। उत्तर दे रहे हैं कि दिल्ली से वह गेहूँ लाये। गेहूँ लाये एन आर. ई. पी. के अन्तर्गत, बँटवा दिया शहरों में। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आरोप लगाने का मौका यह नहीं है। पूँजीपतियों, उद्योगपतियों के लिये दोहरी प्रणाली लागू करते हैं। मिट्टी के तेल में, शकर में, सीमेंट में दोहरी वितरण प्रणाली व्यवस्था लागू की गयी। सदन की भावना को देखते हुए क्या मानीय मंत्री जी केन्द्र को लिखेंगे कि मिट्टी का तेल एक दाम पर बँटवाया जाय ?

श्री श्रीपति मिश्र —

माननीय अध्यक्ष महोदय, भीखालाल जी ने दोहरी नीति के बारे में बताया, बताया क्या, इशारा किया कि किन-किन कारणों से हो रहा है। दोहरी नीति का आर्थिक कारण भी होता है। (कुछ सदस्यों के द्वारा कुछ कहने पर) उसी बात पर आ रहा हूँ। आप तो इतनी भूमिका बनाते हैं। हमारे एक वाक्य कहने पर एतराज है। दोहरी नीति पहले किस बात पर थी। दोहरी नीति के हटाने पर गन्ना जलाना पड़ा। दोहरी नीति से लाभ भी होता है, इसकी जरूरत भी होती है, इससे नुकसान भी हो सकता है। आज तेल के संबंध में दोहरी नीति अपनायी गयी है। इसके संबंध में सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए अपने विचार राज्य ने केन्द्र सरकार को भेजा है। आज सदन की भावना को देखते हुए पुनः केन्द्र सरकार को हम लिखकर भेजेंगे।

(व्यवधान)

एक सदस्य —

मान्यवर, एक बात रह गयी।

श्री अध्यक्ष —

नियम 49 में चर्चा की मांग कर सकते हैं, बैठें।

श्री धनीराम वर्मा —

मा० मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री धनीराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

मिट्टी के तेल, डीजल उपलब्ध कराने हेतु दोहरी नीति

****2 —श्री थम्मन सिंह गहलौत —**

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार मिट्टी तेल के वितरण के लिए दोहरी नीति अपनाई है क्या उसी प्रकार कृषि कार्यों के लिए लेवी से डीजल उपलब्ध कराने

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हेतु दोहरी नीति अपनायेंगे और यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार से ऐसी नीति के लिए सिफारिश करेंगे यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

दिनांक 14/15 फरवरी, 1983 की मध्य रात्रि से प्रदेश में स्थित विभिन्न आयल डिपो पर लागू मिट्टी के तेल की सब्सीडाइज्ड तथा नान-सब्सीडाइज्ड एवं हाई स्पीड डीजल की भारत सरकार द्वारा संशोधित दरें संलग्न हैं ।

मिट्टी के तेल की दुहरी नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रदेश को आवंटित मिट्टी के तेल का 70 प्रतिशत सब्सीडाइज्ड दर पर तथा शेष 30 प्रतिशत नान-सब्सीडाइज्ड दर पर आपूर्ति कराने का निर्णय लिया है । इसके अन्तर्गत शासन द्वारा सब्सीडाइज्ड दर पर मिट्टी का तेल लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा नियत किये गये मात्रा में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त होस्टल, शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी विभाग तथा अस्पतालों को भी सब्सीडाइज्ड दर पर मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था है । नान सब्सीडाइज्ड दर पर मिट्टी का तेल बिना राशन कार्ड के सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों, बल्क कन्जूमर्स तथा अन्य बड़े उपभोक्ताओं को देने की व्यवस्था है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर ।)

अतारांकित प्रश्न

झांसी नगरपालिका क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बन रहे भवन की सीमा से झांसी मऊरानीपुर रोड तक कथित भूमि अधिग्रहण

1—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में आवास व्यवस्था हेतु झाँसी नगरपालिका क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बन रहे भवन की सीमा से झाँसी मऊरानीपुर रोड तक आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहण होने एवं विकास परिषद् द्वारा भवनों को बनाकर जनता की समस्या हल किये जाने से सन्दर्भित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह 30 सितम्बर, 1982 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

आवास व्यवस्था हेतु झाँसी नगर क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बन रहे भवन की सीमा से झाँसी मऊरानी रोड तक परिषद् द्वारा भूमि अधिग्रहण करने तथा भवन बनाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

2—श्रीमती गौरी देवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

3—श्री हर गोविन्द वर्मा—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अरबन सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत कृषि प्रयोग में आने वाली भूमि को न लेने का प्राविधान

4—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबन सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जो जमीन कृषि कार्य में आती है उसको न लेने का प्राविधान किया गया है ? यदि हाँ, तो वाराणसी में रेवन्यू रिकार्ड पर-ताल जिन्सवार और मौका देखा जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वाराणसी में अरबन सीलिंग ऐक्ट का मुकदमा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1876 के अन्तर्गत कृषि प्रयोग में आने वाली उसी भूमि को न लेने का प्राविधान है जिसका महायोजना में भू उपयोग कृषि हो एवं राजस्व अभिलेखों में अधिनियम के प्रवर्त्तन तिथि के पूर्व कृषि किया जाना अंकित हो। उपरोक्त में से किसी भी शर्त के अपूर्ण होने पर वह भूमि कृषिक नहीं मानी जायेगी। उपरोक्त शर्तें पूर्ण हैं अथवा नहीं, यह देखने के लिए नगर भूमि सीमारोपण विभाग वाराणसी के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेवेन्यू रिकार्ड परताल जिन्सवार एवं मौके पर जाकर जांच की जाती है। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना अनिवार्य है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पिता की भूमि में हिस्सा पाने हेतु श्री विश्वनाथ पुत्र दुक्खी ग्राम छित्तपुर, वाराणरसी पर चलाया गया मुकदमा

5—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबन सीलिंग ऐक्ट में जो लड़के बालिग हैं उन्हें भी अपने पिता की जमीन में हिस्सा लगाने का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो विश्वनाथ पुत्र दुक्खी गांव छित्तपुर, परगना देहात अमानत जिला वाराणसी की आराजी नं० 151/2, 96/2, 96/3, 96/4 को क्यों अरबन सीलिंग ऐक्ट में नोटिस देकर ए० डी० एम० सीलिंग (अरबन) के यहाँ मुकदमा चलाया गया है ? क्या उपरोक्त नम्बरों का रेवेन्यू रिकार्ड जिन्सवार परताल मौके का मुआइना किया गया है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 में अपने पिता को भूमि में बालिग पुत्रों का हिस्सा लगाने का कोई प्राविधान नहीं है, किन्तु उक्त अधिनियम को धारा 4(7) में यह प्राविधान है कि हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य को इस अधिनियम के लागू होने के दिनाँक पर यदि परिवार द्वारा धारित भू सम्पत्ति का बटवारा होने पर हिस्सा पाने का अधिकार रहा हो तो उस सदस्य का वह हिस्सा लगाकर कार्यवाही की जायेगी उपरोक्त तथ्यों की जानकारी एवं सही कार्यवाही के लिये मुकदमा चलाया जाना आवश्यक होता है और इसी कारण विश्वनाथ पुत्र दुक्खी को प्रश्नगत आराजी के विषय में अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देकर ए० डी० एम० सीलिंग (अर्बन)/सक्षम प्राधिकारी के यहाँ मुकदमा चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान उपरोक्त नम्बरों का रेवन्यू रिकार्ड जिन्सवार परताल एवं मौके का मुआयना किया गया है।

6—श्री हरिद्वार पाण्डेय—

[7वे गुरुवार के लिये स्थगित]

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत सी प्रकार के भूखण्डों का आवंटन

7—श्री बलवीर सिंह—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत "सी' प्रकार के भूखण्डों का आवंटन नवम्बर, 1976 में किन-किन व्यक्तियों को किया गया, उनके क्रमांक क्या-क्या थे ? क्या यह सही है कि 784/1051 (सी) को उक्त लाटरी में भूखण्ड न आवंटित न करने का क्या कारण है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष नवम्बर 1976 में अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अंतर्गत "सी" प्रकार के भूखण्डों का आवंटन 363 व्यक्तियों को किया गया था। आवंटन का आधार यह था कि समस्त पंजीकृत व्यक्तियों से आवंटन से पूर्व रु० 2500 जमा कराकर लाटरी में उनका नाम सम्मिलित किया जाना था। क्रमांक 784/1051 पर पंजीकृत व्यक्ति ने यह धनराशि लाटरी के पूर्व दिनांक 18-10-76 को जमा की थी किन्तु लिपिकीय त्रुटि वश इनका नाप इस आवंटन सूची में शामिल न किया जा सका। त्रुटि मालूम होने पर दुबारा होने वाले आवंटन दिनांक 26-4-77 में इनका नाम आवंटन सूची में सम्मिलित किया गया जिसके फलस्वरूप इन्हें भूखण्ड संख्या सी–21 सेक्टर "सी"–"एस" में आवंटित किया गया। इन्होंने यह भूखण्ड अब सेक्टर आई में परिवर्तित करा लिया है जो सी-61 है। संबंधित लिपिक इस त्रुटि हेतु उत्तरदाई है।

नगरपालिका मथुरा में सुअर पालने का लाइसेन्स प्राप्त हेतु आवेदन पत्र

8—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका मथुरा के प्रभारी अधिकारी के यहां वर्ष 1982 में कितने सुअर पालकों ने सुअर पालने हेतु नवीन लाइसेन्स प्राप्त करने के आवेदन-पत्र दिये हैं ? उनमें से कितनों को नगरपालिका द्वारा लाइसेन्स प्रदान किये गये ?

श्री रामसिंह खन्ना—

नगरपालिका मथुरा में वर्ष 1982 में सुअर पालने हेतु नवीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 9 आवेदन प्राप्त हुए थे।

म्यूनिस्पिल बाइलाज के अनुसार सुअरों के बाड़े आवासीय क्षेत्र से 400 फीट दूर होने चाहिए। उक्त आवेदकों के द्वारा इस शर्त की पूर्ति न करने के कारण उनमें से किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया।

9— श्री सरदार सिंह —

[8 वे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के अंतर्गत स्थानांतरित]

जिला अस्पताल, आगरा में चोरी गई दवाइयों का अनुमानित मूल्य

10—**श्री सरदार सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5--6 दिसम्बर, 1982 की रात्रि को जिला अस्पताल आगरा में लाखों रुपये की दवाइयों की चोरी हुई है ? यदि हाँ, तो कुल दवाइयों की कीमत क्या हैं और इस संबंध है अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ, चोरी गई दवाइयों का अनुमानित मूल्य 1,23,709.00 रुपये है। चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6 दिसम्बर 1982, को पुलिस में लिखा दी गई थी और पुलिस द्वारा तफशीस की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभागीय जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी से कराई गई है तथा निदेशालय के संयुक्त निदेशक (चेचक) को मामले में अध्ययन तथा अग्रिम कार्यवाही के सुझाव देने तु निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद जौनपुर, सुरैला न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण गोदाम को निर्माण की मांग

11—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत न्याय पंचायत सुरैला के मुख्यालय पर ग्रामीण गोदाम न रहने से क्षेत्रीय जनता को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु सरकार उक्त स्थल पर ग्रामीण गोदाम का शीघ्र निर्माण करायेगी ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

सुरैला न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत सकरा साधन सहकारी समिति स्थित है, जिसका ग्रामीण गोदाम ग्राम सकरा में पहले से ही निर्मित है। अतः सुरैला में दूसरा गोदाम बनाये जाने की योजना नहीं है ।

मेडिकल कालेज गोरखपुर हेतु अध्याप्ति की गई कृषकों की भूमि तथा परिवार के सदस्यों को नियुक्ति देने में प्राथमिकता

12—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश सं० 3919 से 1-प० वि०-66/69 दि० 30 अप्रैल, 1974 के अधीन मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिए जिन किसानों की भूमि अध्याप्ति की गयी है उन्हें नौकरी में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश का परिपालन प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर ने किया ? यदि नहीं, तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, संदर्भित शासनादेश में इस तरह के निर्देश जारी किये गये थे कि जिन किसानों की भूमि प्रश्नगत मेडिकल कालेज के लिए अध्याप्त की गई है उनके परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यतानुसार मेडिकल कालेज के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने में प्राथमिकता दी जाय ।

उक्त निर्देशों का अनुपालन प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13-14—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2-3 के अन्तर्गत स्थानान्तीरत]

श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्त, फूड इन्सपेक्टर, बिजनौर के विरुद्ध आरोप संबंधी पत्र तथा उसकी जांच

15—**श्री श्याम लाल बाजपेयी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को 25-11-82 को श्रीमति संध्या गुप्त पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, उप निदेशक, अभियोजन (उ० प्र०), लखनऊ ने कोई प्रार्थना-पत्र श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्त, फूड इंसपेक्टर, बिजनौर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुए दिया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में कौन से गम्भीर आरोप थे ? क्या सम्बन्धित विषय पर प्रश्नकर्त्ता ने भी मंत्री जी को 16-12-82 को कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित विषय पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ ।

उस पत्र में श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, फूड इंसपेक्टर, ब्लाक कोतवाली, जिला बिजनौर के विरुद्ध निम्न मुख्य आरोप लगाये गए थे :—

(1) यह कि श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने दहेज के रुप 45 हजार शिकायतकर्त्ता के माता पिता से लिया था ।

(2) यह कि श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने शिकायतकर्ता के सोने चांदी के जेवरात अपनी पत्नी के लाकर में रख दिए और शिकायतकर्ता के प्रयोग के लिए कोई भी जेवर नहीं दिया ।

(3) यह कि श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता अनेक वर्षो से अपने निवास जनपद में ही नियुक्त है और मोहल्ला भाटान में अपने मकान में रहते हैं ।

(4) यह कि श्री गुप्ता से दुकानदारों के घनिष्ट सम्पर्क हैं, जिनसे वे प्रतिदिन एक हजार रुपये के लगभग रिश्वत के रूप में प्राप्त करते हैं । श्री गुप्ता सैम्पुल भर लेते है और रुपये लेकर छोड़ देते हैं ।

(5) यह कि श्री गुप्ता के पास लाखों रुपये तक्षा विदेशी समान हैं । यह धन श्री गुप्ता ने अपनी पत्नी एवं बच्चों के नाम अनधिकृत रूप से बैंकों में जमा कर रखा है ।

(6) यह कि श्री गुप्ता के अनेकों बार स्थानान्तरण होते हैं, और रुपये के बल पर हाथों हाथ रुकवा लेते हैं ।

(7) श्री गुप्ता सरकारी नियमों के विपरीत अपने गृह जनपद में तैनात हैं ।
जी हाँ ।

उक्त पत्र तथा शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 25-11-82 में उल्लिखित आरोपों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर ने की थी। जांच के उपरान्त कोई ऐसी बात नहीं पाई गई जिसपर कोई कार्यवाही अपेक्षित हों।

टाउन एरिया मझौली राज को राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि, व्यय तथा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

16—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत मझौली राज टाउन एरिया में अक्तूबर, 1978 से जनवरी, 1982 तक कितनी धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई तथा टाउन एरिया ने टैक्स तथा अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि प्राप्त कर विकास कार्य में लगायी ? क्या टाउन एरिया के कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से दिया जा रहा है ? इस प्रकार हर माह में वेतन पर कितना व्यय है तथा इसकी पूर्ति किन स्रोतों से की जाती है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

अक्टूबर, 1978 से जनवरी, 1982 की अवधि में राज्य सरकार से टाउन एरिया मझौली राज को कुल धनराशि रुपये 2,51,750.00 प्राप्त हुई। टाउन एरिया को टैक्स तथा अन्य श्रोतों से रु० 36,500.00 प्राप्त हुये। रुपये 2,62,090.00 विकास कार्यों पर व्यय किया गया।

उक्त अवधि में टाउन एरिया कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया गया।

प्रत्येक माह वेतन पर 1456 रुपये व्यय है, जिसकी पूर्ति टाउन एरिया की आय गृहकर, विविध मदों एवं अंशदान से की जाती है।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझौली राज टाउन एरिया में सीमेन्ट का वितरण

17—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत मझौली राज टाउन एरिया में जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कितनी-कितनी बोरी सीमेंट का वितरण किया गया तथा किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी मात्रा में दिया गया ? क्या ये पात्र व्यक्ति हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर इन्हें सीमेंट आवंटित किया गया ? क्या इनके भवन निर्माण का नक्शा प्रभारी अधिकारी से स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझोली राज टाउन एरिया में जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक जिन-जिन व्यक्तियों को जितनी-जितनी बोरी सीमेंट का वितरण किया गया है उसका वितरण निम्नवत है :—

क्र० संख्या	परमिट धारक का नाम	मात्रा बोरी में
1	श्री ओम प्रकाश	5
2	श्री जगदीश नरायन दूबे	20
3	श्री रामलखन	15

4	श्री जब्बार	20
5	श्री बंशीधर मलिक	10
6	श्री रामअवध	20
7	श्री राम आसरे	20
8	श्री राम अशीष	10
9	श्री मजीद	10
10	श्री नन्द किशोर	15
11	श्री मदन लाल गुप्त	10
12	श्री बाँके लाल	5
13	श्री परमहंस पांडेय	15
14	श्री दिवाकर यादव	10
15	श्री यादव लाल हलवाई	10
16	श्री शिव शंकर लाल	5
17	श्री सुदामा यादव	5
18	श्री कृष्ण नन्द जैसवाल	40
19	श्री घनश्याम दास	40
20	श्री जगदीश नरायन दूबे	40
21	श्री जब्बार	33
22	श्री मदन लाल गुप्त	14
23	श्री रामाश्रय	15
24	श्री मूंगा सिंह	30
		417 बोरी

उपरोक्त सभी व्यक्ति लेवी सीमेंट के पात्र थे । इनको प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन नक्शों पर सीमेंट दी गई है ।

18 **श्री हरिवंश सहाय**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

क्षेत्रीय सहकारी समिति, राय जनपद मथुरा में फर्जी ऋण के पत्रों पर प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

19—**श्री सरदार सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-10-82 को क्षेत्रीय सहकारी समिति, राया, जनपद मथुरा से 3000 रुपया का ऋण श्री रामजी लाल पुत्र श्री हौती, निवासी ग्राम व पोस्ट कारब, जिला मथुरा के नाम से लेने वाला व्यक्ति वास्तविक (सही) रामजी लाल नहीं है ? यदि हाँ, तो ऋण लेने वाला व्यक्ति कौन है ? किस-किस व्यक्ति (अधिकारी अथवा कर्मचारी) ने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं व गारन्टी ली है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों (अधिकारियों या कर्मचारियों) के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ। फर्जी ऋण लेने वाले व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं है। ऋण के पत्रों पर प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर समिति के प्रशासक तथा आंकिक द्वारा किये गये हैं तथा जमानत भी समिति के प्रशासक तथा एक अन्य सदस्य द्वारा दी गई है। समिति के प्रशासक को प्रशासन पद से हटा दिया गया है तथा आँकिक की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। समिति के सचिव को स्थानान्तरित कर निलम्बित कर दिया गया है तथा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

रेवा विकास खंड विसवां, जिला सीतापुर में ग्रामीण गोदाम निर्माण के लिए ग्राम प्रधानों द्वारा दिया गया सामूहिक पत्र

20—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति लि०, रेवा विकास खण्ड बिसवाँ, जिला सीतापुर का ग्रामीण गोदाम बनाने के लिए समिति के क्षेत्र के 10 ग्राम प्रधानों में से 8 प्रधानों ने अपनी सामूहिक लिखित संस्तुति रेवा में गोदाम बनाने के पक्ष में दिनांक 6-12-82 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन से सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, सीतापुर को दिया था जिसमें यह भी लिखा था कि समिति रेवा के नाम से पंजीकृत है जिसके कारण भवन रेवा में ही बनना औचित्यपूर्ण है? यदि हां, तो गोदाम का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? यदि रेवा से भिन्न किसी स्थान पर कराया जा रहा है, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

समिति क्षेत्र के आठ प्रधानों का हस्ताक्षरित गोदाम रेवा में बनवाने के लिये सहायक निवन्धक सहकारी समितियां सीतापुर को दि० 17-7-82 को प्राप्त हुआ था। परन्तु ग्राम कन्टुकी में निर्माण कार्य हेतु समिति का भूमि सम्बन्धी प्रस्ताव जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति सीतापुर द्वारा विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के सहायक अभियन्ता सीतापुर को दिनांक 17-4-82 को भेजा गया था, अतः बाद में दि० 17-7-82 को प्राप्त प्रधानों के उक्त पत्र पर सहायक निबंधक सहकारी समितियाँ सीतापुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम कन्टुकी में गोदाम का निर्माण करा दिया गया है।

21—**श्री मोहन सिंह**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर में महाबीर छपरा नामक स्थान पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

22—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में महाबीर छपरा नामक स्थान पर एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए फरवरी, 82 में सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा ग्राम सभा जंगल रानी सोहास कुअरी, तहसील सदर, गोरखपुर द्वारा एक एकड़ जमीन प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो महाबीर छपरा, गोरखपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें 30 रोगी शैय्याओं का प्राविधान होगा कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगा?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली के भवन का निर्माण कार्य तथा प्रगति

23—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली के भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है ? क्या यह सच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने भवन निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली जिला गोरखपुर का भवन निर्माण कार्य उसी जिले के ग्राम सभा ठर्रापार में करवाया जा रहा है । कुछ विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण अल्पावधि के लिये निर्माण कार्य रुक गया था, किन्तु अब निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है तथा काफी प्रगति पर है ।

जनपद गोरखपुर के हरिहरपुर नामक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कथित निर्माण

24—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के हरिहरपुर नामक स्थान पर सन् 1962 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित था ? यदि हाँ, तो हरिहरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का क्या कारण है ? क्या यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका बड़ौत के विस्तार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करने की मांग

25—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर विकास अनुभाग-5 की अधिसूचना सं० 694/ग्यारह–5-11 बी/69 लखनऊ दिनांक 17-2-1982 के अन्तर्गत नगरपालिका बड़ौत के विस्तार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को कब तक नगरपालिका बड़ौत (जनपद मेरठ) में सम्मिलित कर लिया जायगा ।

श्री रामसिंह खन्ना—

उक्त क्षेत्रों को नगरपालिका बड़ौत की सीमा में दिनांक 1-2-1983 से सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्रीमती सुभावती देवी, एफ. डब्लू. डब्लू. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोपागंज जिला आजमगढ़ के बकाया वेतन का भुगतान

26—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुभावती देवी, एफ. डब्लू. डब्लू., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोपागंज, जिला आजमगढ़ के बकाया वेतन माह दिसम्बर, 1972 से फरवरी 1973 तक के सम्बन्ध में दिनांक 10 मई, 1982 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है । मुख्य चिकित्साअधिकारी, आजमगढ़ द्वारा श्रीमती सुभावती देवी के प्रश्नगत अवधि के अवशेष वेतन का बिल पूर्व सम्प्रेक्षण की स्वीकृति हेतु दिनांक 2-3-1983 को महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिया गया है ।

महिला चिकित्सालय कांठ (मुरादाबाद) के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं की जांच

27—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता में अपने पत्र दिनांक 26-8-82 द्वारा महिला चिकित्सालय काँठ (मुरादाबाद) के निर्माण में की जा रही बहुत सी अनियमितताओं की जांच कराने हेत लिखा था ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक को जांच हेतु लिखा गया है ।

होम्योपैथिक चिकित्सालय, कबूलपुर के चिकित्सालय भवन की मांग

28—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के अन्तर्गत स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय कबूलपुर किराए की एक छोटी सी कोठरी में चलाया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस चिकित्सालय का अपना भवन निकट भविष्य में बनवा कर इसे पूर्णतया साज-सज्जा युक्त करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कबूलपुर, ब्लाक मुफ्तीगंज, जनपद जौनपुर इस समय एक 25 फिट लम्बे तथा 25 फिट चौड़े किराये के कमरे में, जिसके आगे बरामदा भी है, चल रहा है । संसाधनों की कमी के कारण उक्त चिकित्सालय का भवन बनाने की कोई योजना इस समय नहीं है ।

टाउन एरिया कांठ मुरादाबाद का उच्चीकरण करके नगरपालिका बनाने की मांग

29—**श्री रामकृष्ण माहेश्वरी**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कांठ, मुरादाबाद का उच्चीकरण करके नगरपालिका बनाने की मांग उनसे प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 28-7-82 द्वारा की थी ? यदि हाँ, तो इस टाउन एरिया को अभी तक नगरपालिका घोषित न करने का क्या कारण है ? तथा कब तक यह घोषणा की जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना –

जी हाँ ।

प्रस्ताव का सम्यक् परीक्षण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त से आवश्यक सूचनायें प्राप्त की जा रही हैं ।

परीक्षोपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

30—**श्री रियासत हुसैन** –

[दिनांक 10-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा उत्तरित]

झांसी नगर के रायगंज मोहल्ले में श्री जायसवाल द्वारा निजी कुंए से बिछाई गई पाइप लाइन

31—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झाँसी नगर के अन्तर्गत रायगंज मौहल्ले में श्री जायसवाल ने अपनी नगरपालिका की भूमि पर निजी कुए से पेयजल लाइन बिछायी है ? यदि हां, तो कैसे ? नगरपालिका श्री जयसवाल से इसका कितना कर वसूल करती है ? यदि नहीं, तो नगरपालिका द्वारा उनसे इसका कर न लेने का क्या कारण है ?

श्री रामसिंह खन्ना –

जी हाँ ।

यह पेयजल लाइन झांसी जल संस्थान के गठन के पूर्व से पड़ी हुई है । जल संस्थान श्री जायसवाल से इसका कोई कर नहीं वसूल कर रही है । इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अन्तर्गत इस प्रकार निजी पेयजल आपूर्ति करने वाले से कोई कर लेने का प्राविधान नहीं है ।

मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद के ग्राम सभा नगला संजय में पानी की टंकी का निर्माण

32—**श्री सरदार सिंह**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद की ग्राम सभा नगला संजय में पानी की टंकी लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 9-10-80 को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस आवेदन पत्र पर अब

तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? क्या शासन उक्त ग्राम सभा के पानी के अभाव को देखते हुए शीघ्र टंकी निर्माण करायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद के ग्राम सभा नगला संजय में पानी की टंकी बनाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार इस ग्राम में हैण्ड पम्प द्वारा पानी देना प्रस्तावित है। अतएव उपरोक्त ग्राम सभा में पानी की टंकी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी रानीखेत द्वारा निर्मित दवाओं के इन्डेन्ट की निरस्ति

33—**श्री शंकर सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी रानीखेत द्वारा दारुलशफा आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ को सप्लाई की गयी 30,000 रुपये की दवायें गत अक्टूबर माह में वापस कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस फैक्टरी द्वारा निर्मित दवाओं की उपयोगिता व गुणवर्धता के बारे में शिकायत मिलने के कारण इन दवाओं का इन्डेन्ट निरस्त कर दिया गया। ये दवायें दारुलशफा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्राप्त नहीं हुई थी।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में मांगों का विवरण

34—**श्री बदन सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी संघ आगरा द्वारा दिनाँक 5-10-82 को भेजा हुआ प्रार्थना पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उस प्रार्थना पत्र में उल्लखित मांगे शासन ने पूरी कर दी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। माँग पत्र में (1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शीघ्र स्थाई किये जाने, (2) राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन दिये जाने, (3) हैल्थ मैनुअल के आधार पर सफाई कर्मचारियों को कार्य दिये जाने, (4) जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियाँ किये जाने, (5) नवे वेतनमान का एरियर का भुगतान दीवाली से पूर्व किये जाने तथा (6) इस एरियर का भुगतान फण्ड में न काटे जाने की माँग की गई थी। इस संबंध में स्थिति निम्नांकित है।

(1) जैसे जैसे रिक्त पद उपलब्ध होते जायेंगे वैसे-वैसे दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जायगा।

(2) वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सफाई कर्मचारियों के लिए जो वेतनमान स्वीकृत है वह राज्य के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर है।

(3) सफाई कर्मचारियों से हैल्थ मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य लिया जाता है।

(4) नगर महापालिका, आगरा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(5) धनाभाव के कारण नगर महापालिका आगरा द्वारा नये वेतनमान का एरियर दीवाली के पूर्व नहीं दिया जा सका। इसके लिए प्रशासक नगर महापालिका, आगरा ने ऋण की मांग है। जो शासन के विचाराधीन है।

(6) नये वेतनमानों का एरियर 31-8-1981 तक की अवधि का फण्ड में जमा होगा। यह नीति राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से लागू है। अतएव आगरा के लिए इसे शिथिल किया जाना सम्भव नहीं है।

भदऊ आवास योजना, वाराणसी एवं बादशाह बाग आवास योजना की लागत, भवनों का निर्माण, ठेकेदारों के नाम, अध्याप्त का गयी भूमि का देय मुआवजा

35—**श्री ऊदल**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा भदऊ आवास योजना, वाराणसी एवं बादशाहबाग आवास योजना, वाराणसी कितने लागत से बनायी जा रही है ? और इन दोनों में कितने आवास कितने मंजिला बनाने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना —

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भदऊ आवास योजना रुपया 40,23,800/- तथा बादशाह बाग आवास योजना रु० 70,53,900/- की लागत से बनायी जा रही है। भदऊ आवास योजना में 29 दो मंजिले मिनी मध्यम आय वर्ग के भवन, 104 दो मंजिले अल्प आय वर्ग के भवन तथा 60 तिमंजिले आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवन बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार बादशाह बाग आवास योजना में उच्च आय वर्ग के एक मंजिले 54 भवन बनाये जा रहे हैं जिनमें से 47 बन चुके हैं तथा 7 निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम आय वर्य के ४ दो मंजिले भवन तथा निर्बल आय वर्ग के 24 दो मंजिले भवनों का निर्माण किया गया है।

36—**श्री ऊदल सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भदऊ एवं बादशाहबाग, वाराणसी की योजनायें विकास प्राधिकरण वाराणसी किन ठेकेदारों के माध्यम से बनवा रहा है या स्वयं बना रहा है ? क्या यह सत्य है कि उसमें बहुत से लोगों की जमीन एवं मकान भी लिया गया है ? यदि हाँ, तो उनको मकान तथा मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

भदऊ आवास योजना के भवन निम्नलिखित ठेकेदारों/विभागीय इकाई द्वारा बनाये जा रहे हैं :—

1. 29 मध्यम आय वर्ग-मे० के० एल० नैयर एण्ड कं०
2. 50 अल्प आय वर्ग-मे० सूर्य कंसट्रक्शन एण्ड कं०
3. 38 अल्प आय वर्ग-मे० अशोक कंसट्रक्शन कं०

4. 16 अल्प आय वर्ग मे० के० एल० नैयर एण्ड कं०
5. 30 निर्बल आयवर्ग-मे० जी० एम० कंसट्रक्शन एण्ड कं०
6. 30 निर्बल आयवर्ग-विभागीय इकाई,

बादशाह बाग आवास योजना के भवन निम्नलिखित ठेकेदारों द्वारा बनाये जा रहे हैं :—

1. 21 उच्च आय वर्ग-मे० एसोसिएटेड स्टील,
2. 9 उच्च वर्ग-मे० मदनलाल सीताराम,
3. 7 उच्च आय वर्ग-मे० अशोक कंसट्रक्शन कं०,
4. 5 उच्च आय वर्ग-मे० नेशनल इलेक्ट्रिकल्स,
5. 5 उच्च आय वर्ग-श्री वाई० एन० शर्मा,
6. 6 उच्च आय वर्ग-श्री कुलदीप सिंह सरीन,
7. 1 उच्च आय वर्ग-श्री टी० एन० यादव,
8. 8 मध्यम आय वर्ग मे० के० एल० नैयर एण्ड कं०,
9. 24 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-श्री कैलाश कुमार

इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत खाली भूमि ही ली गयी है तथा किसी भी व्यक्ति का मकान अवाप्त कर गिराया नहीं गया है। जिनकी जमीनें ली गयी हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने भवन आवंटन हेतु कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया है। जो भूमि ली गयी है, उसके प्रतिकर की धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय में जमा की जा चुकी है परन्तु प्रतिकर के संबंध में न्यायायल में विवाद चलने के कारण भू-स्वामियों ने प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नहीं लिया है।

नदेसर पैलेस, मिंट हाउस, शीशमहल, महाराज विजयानगरम, वाराणसी में सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि तथा कथित एग्रीमेन्ट

37—**श्री ऊदल**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नदेसरपैलेस, मिंट हाउस, शीशमहल, रम विजया नगरम नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी में जमीन सीलिंग से अतिरिक्त घोषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सीलिंग विभाग उक्त चारों स्थानों में अल्प आय वर्ग के लिए दुकान एवं आवास बनवा रहा है ? यदि हां, तो यह कैसे बनवा रहा है और इस सीलिंग विभाग को रुपया कहां से प्राप्त हुआ है ? क्या इस को मकान बनाने का भी अधिकार है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ, भूतपूर्व काशी नरेश, उनके परिवार तथा संस्था की भूमि जो नदेसर पैलेस, मिंट-हाउस एवं शीश महल में तथा महाराज विजयानगरम की भूमि जो भेलूपुर शहर वाराणसी में स्थित है, सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत अतरिक्त भूमि घोषित की गई है। इसमें से भूतपूर्व काशी नरेश उनके परिवार तथा संस्था को अतिरिक्त घोषित रिक्त भूमि पर धारा 21 (1) के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्ग के लिए आवास निमांण हेतु कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। सीलिंग विभाग उक्त चारों स्थानों पर अल्प आय वर्ग के लिए कोई दुकान एवं आवास नहीं बनवा रहा है। सीलिंग विभाग को भवन निर्माण

हेतु कही से कोई रुपया प्राप्त नहीं हुआ है और न उसके द्वारा मकान बनवाने का कोई प्राविधान ही है ।

38—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सीलिंग विभाग (अरबन) ने उक्त चारों स्थानों की सरप्लस जमीन को किसी के नाम एग्रीमेंट कर दिया है ? यदि हाँ, तो किसके नाम क्या सरकार उक्त एग्रीमेंट की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं, सीलिंग विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया गया है और न ही नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत ऐसा एग्रीमेन्ट किये जाने का काई प्राविधान है ।

विधान सभा मार्ग हुसैनगंज, लखनऊ स्थिति सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पार्क का रख रखाव

39—श्री रामधनी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978-80 में विधान सभा मार्ग हुसैनगंज, लखनऊ स्थिति मस्जिद खान अली खाँ और कोहेनूर होटल के ठीक बीचों बीच में नगर महापालिका द्वारा एक नये पार्क का निर्माण कराया गया जिसमें रोशनी, माली तथा नल आदि की समुचित व्यवस्था की गयी थी और लोहे की रेलिंग भी लगाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आज कल उक्त पार्क का अधिकतर भाग गुमटियों द्वारा घेर लिये जाने के कारण पार्क का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुमटियों को हटवा कर उक्त पार्क को जनता के लिए उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत स्थल पर, नगर महापालिका लखनऊ द्वारा सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वारब्ड तार लगवा कर कुछ पौधे आदि लगाये गये थे, परन्तु क्षेत्रीय जनता के असहयोग के कारण उक्त का रख रखाव संभव न हो सका ।

प्रश्नगत स्थल से गुमटियों को हटवा कर पुनः उस स्थान के सौन्दर्यीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

40—श्री रामधनी—

(7 वें गुरुवार के लिये स्थगित)

स्वास्थ्य निदेशालय के विद्युत सेल में नियुक्तियों में अनियमितताओं के संबंध में पत्र

41—श्री कुबेर भंडारी तथा श्री राम सागर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय के विद्युत सेल में नियुक्तियों में अनियमितताओं के संबंध में उन्हें, मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव को प्रेषित मा०

विधायक श्री सरदार सिंह व प्रश्नकर्त्ता राम सागर व अन्य के पत्र दिनांकित 11-11-82 तथा 20-12-82 संलग्नकों सहित प्राप्त हुए ? यदि हां, तो वे किन-किन पदों पर नियुक्ति व प्रोन्नति के संबंध में थे ? क्या पत्रों में लिखित शिकायतों पर जांच करायी गयी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जी हाँ, ये पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक (विद्युत) के एक पद तथा सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रानिक्स) के एक पद पर प्रोन्नति के आधार पर की गयी नियुक्ति से तथा श्रीमती सत्कीर्ति सक्सेना टेकनोलाजिस्ट (इलेक्ट्रानिक्स) की सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रानिक्स) के पद पर नियुक्ति किये जाने से संबंधित हैं ।

शिकायतों की जाँच की जा रही है ।

जिला चिकित्सायल, झाँसी के विस्तार करने का कथित निर्णय

42—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, झांसी का विस्तार करने का निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया जा चुका है ? यदि हाँ, तो अभी तक विस्तार न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार के सुधार के लिए कितना धन व्यय करने की योजना है और शासन द्वारा लिया गया निर्णय किस दिनांक से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जी नहीं ।

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

सहकारी बैंक, सीतापुर में सचिव पद हेतु साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यर्थी

43—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंक, सीतापुर (बिसवां) में अगस्त माह 1982 में सचिव पद के लिए इण्टरव्यू हुआ ? क्या उसमें ट्रेन्ड व्यक्तियों को वरीयता न देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या इन्टरव्यू में प्रशिक्षित व्यक्ति आये और उसमें से कितने लोगों को लिया गया ? क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस इन्टरव्यू में किन-किन लोगों को चुना गया है ?

श्री बच्चा पाठक —

जी हाँ ।

प्रश्नगत इण्टरव्यू साधन सहकारी समितियों के सचिवों के चयन हेतु हुआ था । उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हताओं में एक अर्हता यह भी थी कि 9 माह अथवा 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी । निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुआ और न ही ऐसा कोई प्रमाण-पत्र चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

कुल 749 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे तथा 474 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुये, जिनमें से निर्दिष्ट अर्हताओं की पूर्ति करने वाले 56 अभ्यर्थी चयनित हुये। चयनित व्यक्तियों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुफ्तीगंज के भवन का निर्माण

44—श्री प्रभू नारायण सिंह —

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुफ्ती-गंज का निजी भवन न होने से वह किराये के मकान में चलता है और क्षेत्रीय जनता की वांछित सेवा नहीं कर पाता ? क्या यह सत्य है कि समीपवर्ती गाँव रामपुर में इस स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्मित करायेगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। किन्तु उक्त केन्द्र द्वारा स्थानीय जनता को सभी वांछित सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

ग्राम रामपुर में डेढ़ बीघा भूमि प्राप्त हुई है जो केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है।

श्री सुरेन्द्र दत्त गौड़ का जिला संकलन, फैजाबाद के पद पर कार्यकाल तथा श्री लाल जी वर्मा, श्री राम लाल निवासी जौनपुर के प्रार्थना पत्र पर आख्या

45—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस०डी० गौड़ जिला संकलन के पद पर फैजाबाद जनपद में कब से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि श्री लालजी वर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन वर्मा, निवासी हरिपालपुर तथा श्रीराम लाल निवासी जैनापुर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र विभाग को दिया था ? यदि हां, तो उन प्रार्थना पत्रों पर सम्बन्धित अधिकारी ने क्या आख्या दी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री सुरेन्द्र दत्त गौड़ के पद का पूरा नाम संकलन [जन्म मृत्यु] हैं, तथा वे फैजाबाद में केवल संकलन के ही पद पर दिनांक 27-5-74 से दिनांक 6-9-82 तक कार्यरत थे। इसके पश्चात् वे जनपद मथुरा में उसी पद पर स्थानान्तरित होकर चले गये।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार यह सही है कि श्री लालजी वर्मा निवासी हरिपाल पुर [जिसके यदिप पिता जी का नाम सत्यापित करना सम्भव नहीं है क्योंकि उसका उल्लेख आवेदन पत्र रजिस्टर में नहीं है] का आवेदन पत्र दिनांक 22-6-1979 श्री प्यारे पुत्र माधव के मृत्यु के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। अभिलेखों के अनुसार प्यारे पुत्र माधव की मृत्यु 15-11-1978 घोषित की गई थी जिस पर जांच की कार्यवाही हो रही है। अन्तिम निर्णय अभी नही हो पाया है।

श्री राम लाल निवासी जौनपुर का प्रार्थना पत्र श्री टोड़ी पुत्र श्री बैजू निवासी जैनापुर कोल्हूपुर के मृत्यु तिथि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में जाँचोपरांत आदेश सं०वी०एस०2/81/225-230-4/15-10-81 के माध्यम से तात्कालिक जिला

रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद डा० के०सी०कपूर द्वारा श्री टोड़ी पुत्र श्री बैजू की मृत्यु की तिथि12-4-1979(बारह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नासी) घोषित की गयी ।

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित चन्दनपुर सहकारी कृषि समिति का रजिस्ट्रेशन एवं सदस्यों की सूची, नये भर्ती किये गये सदस्य

46—श्री प्रियदर्शी जेंतली—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित चन्दनपुर सहकारी कृषि समिति (फ्रांसिस्कन ब्रादर्स कृषि सहकारी समिति) का रजिस्ट्रेशन कब हुआ उसके कौन-कौन सदस्य थे और उन सदस्यों के नाम अलग-अलग कितनी भूमि रजिस्ट्रेशन के समय थी ? मौजूदा स्थिति में कौन-कौन से सदस्य हैं और कहां कहां के रहने वाले हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित चन्दनपुर सहकारी कृषि समिति (फ्रांसिस्कन ब्रादर्स कृषि सहकारी समिति) का रजिस्ट्रेशन दिनांक 22-11-1973 को हुआ था । रजिस्ट्रेशन के दिनांक 22-11-73 को उक्त समिति के 23 सदस्य थे, उनके नाम परिशिष्ठ (1) में दिये हुये हैं । रजिस्ट्रेशन के समय सदस्यों के नाम अलग-अलग कोई भी भूमि नहीं थी । मौजूदा स्थिति में समिति में 21 सदस्य हैं जिनकी सूची परिशिष्ठ (2) के रूप में संलग्न हैं । समस्त सदस्य ग्राम सिकरोहर, पोस्ट करतौरा, जिला फैजाबाद के रहने वाले हैं ।

47—श्री प्रियदर्शी जेंतली—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्रांसिस्कल ब्रादर्स कृषि सहकारी समिति सिकरोहर अकबरपुर जिला फैजाबाद के कौन-कौन से सदस्य 2-8-77 व 24-5-79 को समिति से अलग हुये थे और उनके स्थान पर कौन-कौन से नये सदस्य रखे गये थे ?

श्री बच्चा पाठक—

दिनांक 2-8-77 को समिति से कोई भी सदस्य अलग नहीं हुआ था । दिनांक 24-5-79 को 6 सदस्य समिति से अलग हुये जिनकी सूची परिशिष्ट (3) पर है । इनके स्थान पर कोई सदस्य नहीं रखे गये वरन् दिनांक 2-8-77 के बाद से अब तक 10 नये सदस्य भर्ती किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट (4) पर हैं ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ—पर)

जिला अस्पताल, सीतापुर में मृत व्यक्तियों की संख्या तथा मरीजों पर होने वाला व्यय

48—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर में सदर अस्पताल के अन्दर 1ली जनवरी, 82 से 30 नवम्बर, 1982 तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? उनमें कितने व्यक्ति बीमारी से मरे तथा कितने व्यक्ति चोट से मरे ? जो व्यक्ति बीमारी से मरे उन पर सरकार ने कितना पैसा अलग-अलग प्रति व्यक्तियों पर खर्च किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जिला अस्पताल, सीतापुर में 1 जनवरी, 1982 से 30 नवम्बर, 1982 तक कुल 505 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें से 465 व्यक्तियों की बीमारी तथा 40 व्यक्तियों की चोट से मृत्यु हुई ।

अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज पर होने वाले व्यय का अलग-अलग लेखा जोखा नहीं रखा जाता, अतः यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

49—श्री पंचानन राय—

[दिनांक 17-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 40 द्वारा उत्तरित]

जल निगम में वर्कचार्ज कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति

50—श्री रामधनी —

क्या नगर विकास मंत्री इस बात की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जल निगम में जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति उन्हीं वर्कचार्ज कर्मचारियों में से हो ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जल निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति केवल उन्हीं वर्कचार्ज कर्मचारियों में से, जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो, किये जाने की व्यवस्था कर दी गई है ।

51—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[दिनाँक 17-2-83 अतारांकित प्रश्न सँख्या 52 द्वारा उत्तरित]

52—श्री कन्हैया लाल

[7 वें गुरुवार के लिये स्थगित]

53—श्री कन्हैया लाल--

[7 वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जिला परिषद् बहराइच के चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण, ड्रेसर का पद सृजित किये जाने पर विचार

54 - श्री यदुनाथ सिंह --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् बहराइच के चिकित्सालय का शासनादेश संख्या एस०—264/5-7-218-80 दिनांक 26-3-81 द्वारा प्रान्तीयकरण कर दिया गया है और वह राजकीय चिकित्सालय, नानपारा, बहराइच में दर्ज हो गया है ? क्या यह सही है कि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत ड्रेसर पद का सृजन नहीं किया गया है किन्तु अप्रैल, 1981 से वहाँ ड्रेसर के पद पर विशेष व्यक्ति कार्य कर रहा है ? यदि हाँ, तो किन कारणों से ? कार्यरत ड्रेसर को अब तक वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। निर्धारित मानक के अनुसार प्रान्तीयकृत चिकित्सालयों में ड्रेसर का पद सृजित नहीं किया जाता फिर भी प्रान्तीयकृत चिकित्सालय, नानपारा जिला बहराइच के लिये एक ड्रेसर का पद सृजित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि कार्यरत व्यक्ति को वेतन/भत्ते का भुगतान किया जा सके।

जिला देवरिया, ब्लाक बनकटा के सहकारी सुपरवाइजर का स्थानान्तरण

55—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया ब्लाक बनकटा के सहकारी सुपरवाइजर (अयोध्या प्रसाद) का स्थानान्तरण 1-1-79 से 15-12-82 के बीच कितने बार हुआ ? स्थानान्तरण करने तथा रोकने का कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

प्रश्नगत् अवधि में श्री प्रसाद का स्थानान्तरण दो बार किया गया तथा पुनर्विचारोपरान्त दोनों बार इसे स्थगित कर दिया गया। फलस्वरूप, श्री प्रसाद देवरिया जनपद के विकास खण्ड बनकटा में ही सेवारत हैं। स्थानान्तरण जनहित में किया गया और जनहित में ही इसे पुनर्विचारोपरान्त रोका गया।

जिला देवरिया, ब्लाक बनकटा सहकारी संघ रामपुर बुजुर्ग से व्यक्तियों को वितरित की गई खाद

56—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया ब्लाक बनकटा सहकारी संघ रामपुर बुजुर्ग से दिनांक 1-1-79 से 31-12-81 तक कितने व्यक्तियों को खाद वितरित की गयी तथा उनमें से कितने को कितना अनुदान दिया गया ? क्या अनुदान प्राप्तकर्त्ता उसके पात्र हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

दिनांक 1-1-79 से 31-12-81 तक 659 कृषकों 2,23,586 रु० मूल्य का उर्वरक सहकारी संघ रामपुर बुजुर्ग, विकास खंड बनकटा, जनपद देवरिया से ऋण पर बिक्री किया गया। इन समस्त कृषकों को उर्वरक क्रय पर 36047 रु० अनुमन्य अनुदान का भुगतान सम्बन्धित साधन सहकारी समितियों में उनके खाते में समायोजन करके किया गया। यह समस्त कृषक उक्त अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

नगरपालिका मथुरा में अनुसूचित जाति जनजाति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या

57—**श्री सरदार सिंह**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मथुरा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या

कितनी है ? आरक्षित कोटा के अनुसार उनकी संख्या कितनी कम है ? क्या शासन कम संख्या को पूरा करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

49

36

भविष्य में होने वाली रिक्तियों में नियमानुसार संख्या पूरी करने का प्रयास किया जायेगा ।

जिला चिकित्सालय फैजाबाद के फार्मेसिस्ट श्री के. पी. चौधरी, मंत्री फार्मेसिस्ट एसोसियेशन, शाखा फैजाबाद के विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न से संबंधित पत्र

58 —**श्री मित्रसेन** --

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय फैजाबाद के फार्मेसिस्ट श्री के० पी० चौधरी, मंत्री फार्मेसिस्ट एसोसियेशन शाखा फैजाबाद ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न से विवश होकर न्याय पाने हेतु दिनांक 16-12-83 से आमरण अनशन की कोई नोटिस, तार या प्रार्थना पत्र माह दिसम्बर 82 में शासन को प्राप्त हुए हैं और इसी से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त फार्मेसिस्ट श्री के० पी० चौधरी की मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं ? जांचोपरान्त उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में अस्पतालों को दी गई दवायें, दवाओं का लोकल परचेज सदर अस्पताल, सीतापुर में मरीजों के मेन्टीनेन्स पर व्यय तथा रोगियों के भोजन की व्यवस्था

59 — **श्री हरगोविन्द वर्मा** —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 81-82 में कितनी दवा अस्पतालों को दी गयी ? कितनी दवा लोकल परचेज की गयी ? उस लोकल परचेज में क्या सारी दवा रजिस्टर्ड एजेन्सी से खरीदी गयी ? यदि हाँ, तो कौन-कौन एजेंसी से खरीदी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल में मरीजों के मेन्टीनेन्स पर क्या खर्चा किया गया ? क्या सरकार ने गरीबों के भोजन की व्यवस्था अस्पताल में की है ? यदि हाँ, तो उस पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

वर्ष 1981-82 में जनपद सीतापुर में कुल रुपये 23,78,850.00 की दवायें अस्पतालों को दी गई और उसमें से रुपये 83,463.31 की दवाओं का लोकल परचेज किया गया था । समस्त लोकल परचेज स्थानीय क्रय हेतु अनुमोदित लाइसेंस शुदा कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट श्रीमन्त महाबीर मैडीकल स्टोर से किया गया ।

सदर अस्पताल सीतापुर में मरीजों के मेन्टीनेन्स पर रुपये 36,095 व्यय किया गया। अस्पताल में रोगियों के भोजन की व्यवस्था है जिस पर वर्ष 1981-82 में 1,33,819.75 रुपने व्यय किया गया।

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बुजुर्गा में ग्रामीण गोदाम बनाने हेतु ठेकेदारों को भुगतान

60– **श्री मुईद अहमद**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में मनिहारी ब्लाक के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति बुजुर्गा रजिस्ट्रेशन नं० 197 के प्रस्ताव दिनांक 15-1-1980 के अनुपालन में विस्तृत विज्ञापन के उपरान्त विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बुजुर्गा में ग्रामीण गोदाम बनाने के लिये अनुबन्ध बना तथा कार्य कुर्सी स्तर पर हो जाने के उपरान्त रु० 6046 का भुगतान ठेकेदार को हो चुका है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ। ठेकेदार को 6043/- रुपये का भुगतान किया गया। इस कार्य के अप्रैल 1983 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

गोंडा जिले के साधन सहकारी समितियों के सचिवों का निलम्बन तथा स्थान का चार्ज व कागजात दाखिल न करने का कारण

61-62—**श्री उमेश्वर प्रताप सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में सन् 1982 में साधन सहकारी समितियों के सचिवों की निलम्बन की कार्यवाही जिन पर की गई है उनका नाम, पता तथा आरोप क्या-क्या हैं ?

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में कितने और किस साधन सहकारी समितियों के सचिव हैं जो निलम्बित होने पर अपने स्थान का चार्ज व कागजात दाखिल नहीं किये हैं ? दाखिल न करने का कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंडा जिले में सहायक निबन्धक सहकारी के कार्यालय में लिपिकों का कार्यकाल

63—**श्री उमेश्वर प्रताप सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में सहायक निबन्धक सहकारी के कार्यालय में ऐसे कितने व कौन-कौन से लिपिक हैं जो 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं और कार्य कर रहे हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

सर्वश्री संतप्रसाद श्रीवास्तव, विश्वनाथ मिश्र, राम वृक्ष पांडेय, निरंकार प्रसाद भटनागर, शिपलटन, ओम प्रकाश श्रीवास्तव तथा इन्द्र जीत सिंह सात लिपिक ऐसे हैं जो

3 वर्ष से अधिक समय से गोंडा जनपद में सहायक निबन्धक, सहकारिता के कार्यालय में कार्यरत हैं।

जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां अलीगढ़ के विरुद्ध श्री आर० सी० मिश्र, पत्रकार का शिकायती पत्र

64 — **श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, अलीगढ़ के विरुद्ध श्री आर० सी० मिश्र, पत्रकार का कोई शिकायती पत्र विभाग को मिला, जिस पर गत 15 जुलाई, 1982 को उप निबन्धक उपभोक्ता उत्तर प्रदेश (श्री के० पी० सिंह) ने जाँच की ? यदि हां, तो जाँच रिपोर्ट क्या है एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक —

जी हाँ, जाँच में कुछ त्रुटियाँ पायी गयीं जिनके लिये सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक को भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है।

65-66 — **श्री जनार्दन प्रसाद ओझा** —

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगरपालिका, तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा खसरा नम्बर 317 की भूमि दसवां कार्य हेतु दिये जाने का निर्णय

67 — **श्री सत्यपाल सिंह** —

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनाँक 5-10-71 तथा 28-10-71 को नगरपालिका तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या 23/7 दिनाँक 15-10-71 को पारित करके मुहल्ला पक्के कटरा में खसरा नं० 316 की जमीन का एक हिस्सा हिन्दुओं को दसवाँ संस्कार हेतु छोड़ दिया था और उस पर उसी हेतु हिन्दुओं ने कब्जा कर लिया था ? उक्त जमीन से अब नगरपालिका तिलहर ने कुछ वर्षों बाद कब्जा छुड़ा भी लिया है जिससे एक समुदाय के लोगों में भयानक रोष एवं असंतोष व्याप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो शासन इस जमीन को उपरोक्त संस्कार हेतु छुड़ाने की क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना —

नगरपालिका, तिलहर ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 11 दिसम्बर, 1971 द्वारा खसरा नम्बर 317 की भूमि दसवाँ कार्य हेतु दिये जाने का निर्णय लिया था। बाद को पालिका ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 31 अक्टूबर, 1972 के द्वारा पिछले प्रस्ताव को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया कि जो लोग उक्त आराजी के बराबर वाली पूर्व स्थित आराजी पर दसवें का कार्यक्रम करना चाहें तो कर सकते हैं। परन्तु उसे किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। किन्तु दूसरे प्रस्ताव का कार्यान्वयन नहीं हो सका और पहली बार आवंटित भूमि ही दसवाँ कार्य के लिये प्रयोग में आ रही है। जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार इस मामले में किसी प्रकार का रोष या असंतोष नहीं पाया गया है।

68 — **श्री किरन पाल सिंह**

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक अतिरिक्त घोषित भूमि तथा धारा 21 के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

69—**श्री ऊदल**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत कितने लोगों को कहाँ-कहाँ सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक जमीन एवं मकान अतिरिक्त घोषित किया गया है और उस अतिरिक्त जमीन तथा मकान को सरकार ने क्या-क्या योजना बना-कर उसका इस्तेमाल किया है ? क्या सरकार इसका पूरा ब्यौरा देने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू होने के दिनांक से अब तक कुल 4023 भू धारकों को विभिन्न स्थलों पर स्थित कुल 1,03,53,749-52 वर्ग मीटर भूमि अधिनियम को धारा 8(4) के अन्तर्गत सीमाधिक्य रिक्त घोषित की गई है। अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुकूल निमित्त कोई मकान अतिरिक्त रिक्त घोषित नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि का कोई इस्तेमाल सरकार द्वारा अभी तक किसी योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

70—**श्री ऊदल**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीलिंग ऐक्ट से अतिरिक्त घोषित भूमि पर धारा 21 के अन्तर्गत जो भूमि मकान बनाने के लिए छोड़ी जाती है उसमें प्रतिबन्ध यह है कि 50 फीसदी मकान 40 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया के तथा 50 फीसदी 80 वर्ग मीटर तक के हों ? क्या यह सही है कि वर्तमान निर्माण लागत के अनुसार निर्बल आय वर्ग के लायक नहीं होगा ? यदि हाँ, तो क्या शासन की निर्बल वर्ग की परिभाषा में वही व्यक्ति आते हैं जिस परिवार की मासिक आय 350 रुपया मासिक है ? यदि हाँ, तो इसको सीलिंग ऐक्ट की धारा 21 में शामिल किया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सीलिंग एक्ट की धारा 21 के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग आवास बनाने के लिए छोड़ी जाने वाली भूमि में यह प्रतिबन्ध है कि उस पर अधिकतम 80 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल के भवनों का निर्माण कराया जा सकता है किन्तु उसमें यह भी प्रतिबंध है कि अधिकतम 40 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल के निवासी एककों की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो। नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 में निर्बल वर्ग को कोई परि-भाषा नहीं दी गयी है और न राज्य सरकार द्वारा ही उसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग की कोई आय सीमा निर्धारित की गयी है।

जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के एकाउन्टेण्ट श्री धमेन्द्र कुमार सक्सेना का निलम्बन तथा वेतन भुगतान

71—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक शाहजहाँपुर के एकाउन्टेण्ट श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना का निलम्बन 19-7-79 को मा० हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित होने के उपरान्त उनको निलम्बन काल का पूरा वेतन आदि भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, रशीदाबाद जनपद फर्रुखाबाद में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति के आदेश

72—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जनपद के रशीदाबाद तिवरीय ग्राम में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में गत एक वर्ष से अधिक समय से कोई डाक्टर नहीं है और शेष कर्मचारी बिना काम के वेतन पा रहे हैं ? यदि हाँ, तो उस चिकित्सालय में कब तक डाक्टर की व्यवस्था हो जावेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं, फर्रुखाबाद जनपद के रशीदाबाद तिवरीय ग्राम में कोई राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय रशीदाबाद जनपद फर्रुखाबाद के चिकित्साधिकारी का पद मार्च, 1982 में रिक्त हो गया था । उक्त अस्पताल में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति के आदेश जनवरी, 1983 में हो चुके हैं ।

जनपद सीतापुर में बीज भंडारों की ओपनिंग तथा पुनः सील किया जाना, भंडार खोलने पर स्टाक के और सामान में पायी गयी कमियां

73—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में बीज भण्डारों की 1982 में ओपनिंग कब की गई ? क्या कुछ ऐसे बीज भंडार हैं जिनको खोलने के बाद पुनः बन्द करके सील किया गया ? क्या यह सही है कि उन बीज भंडारों का अन्य के हाथ चार्ज देकर संस्था का नुकसान किया गया ? यदि हाँ, तो ऐसे बीज भंडार कितने और कौन कौन से हैं ? और किस कारण से ऐसी कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में 1982 में कुछ बीज भंडार सहायक निबंधक द्वारा सील किये गये और उन बीज भंडारों को बिना किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोला गया है ? यदि हाँ, तो इस प्रकार के कितने भंडार हैं और उन्हें खोलते समय कौन सा अधिकारी वहाँ मौजूद रहा ? भंडार खोलने पर स्टाक में और सामान में क्या कमियां पायी गयीं ? उनका क्या विवरण है ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

75—श्री शंकर सिंह--

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित]

76—श्री शंकर सिंह—

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जनपद चमोली, विकास खंड थरालो के सहकारी निरीक्षक श्री प्रद्युम्न सिंह भंडारी की पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि का भुगतान

77—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रद्युम्न सिंह भंडारी दिनाँक 30-11-78 के अपराह्न से सहकारी निरीक्षक वर्ग II के पद से जनपद चमोली के विकास खंड थरालो से सेवा निवृत्त किये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि 1972 के नये वेतनमान में उनका वेतन निर्धारण न किये जाने की वजह से यह अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ ।

केवल भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान किया गया है ।

ग्राम सेवक के पद पर स्थायी होने के कारण श्री भण्डारी की पेंशन-ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नियोजन विभाग ही सक्षम है और उक्त भुगतान हेतु जिला विकास अधिकारी, चमोली को निर्देशित किया चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य आपूर्ति विभाग में नियुक्त पूर्ति निरीक्षकों का स्थायीकरण

78—**श्री बलवीर सिंह**—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य आपूर्ति त्रिभाग में 1-4-64 के बाद से नियुक्ति पूर्ति निरीक्षकों को स्थायी घोषित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

दिनांक 1-4-64 से 15-9-70 के मध्य नियुक्तिपूर्ति निरीक्षकों के नाम खाद्य आयुक्त द्वारा स्थाईकरण हेतु जिलाधिकारियों को भेजे जा चुके हैं क्योंकि वे इस पद के नियुक्त प्राधिकारी हैं ।

दिनांक 15-9-70 के बाद नियुक्त पूर्ति निरीक्षकों की सेवायें विनियमितीकरण और ज्येष्ठता सूची बनाने की कार्यवाही की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर इन कर्मचारियों के स्थाईकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी, जिला फैजाबाद में जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु ग्राम सभा पितरियावां द्वारा भेजा गया प्रस्ताव

79—**श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पितीरियावां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी, जिला फैजाबाद में सी० एच० वी० के चुनाव हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव करके 20-12-79 को 6 व्यक्तियों के नाम भेजे गये थे ? क्या यह सही है कि तात्कालिक मेडिकल अफसर प्रा० स्वा० के० भीटी ने 31-12-79 को प्रस्तावित 6 व्यक्तियों के अलावा मलीम खां को नियुक्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या 1-1-80 को लालबहादुर पाण्डेय की शिकायत पर संयुक्त निदेशक, फैजाबाद ने मामले की जांच करके मो० सलीम खां के चुनाव को निरस्त करके 4-4-81 को ग्राम सभा पितीरियावां से दूसरा नाम माँगा था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा द्वारा संस्तुत व्यक्ति को अब तक सी० एम० बी० पद पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं, ग्राम सभा पिगिरयावां से 7 व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव आया था। उक्त प्रस्ताव में से प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीटी द्वारा मो० सलीम खाँ पुत्र अकबरअली को जिनका नाम सातवें नम्बर पर था चयनिय किया गया। मो० मलीम खाँ के चुनाव की शिकायत के संबंध में तत्कालीन संयुक्त निदेशक, फैजाबाद द्वारा जाँच की गई थी और मो० मलीम खाँ का प्रशिक्षण रोक दिया गया था। उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 20-5-82 में मोहम्मद सलीम खाँ से आयु एवं शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र माँगे गये थे जो इसके पूर्व कई बार स्मरण पत्र देने के बाद लगभग 2 वर्ष 8 माह के उपरांत श्री खाँ द्वारा दिये गये।

इस संबंध में पुनः जांच करायी गयी और यह निष्कर्ष पाया गया कि प्रश्नगत ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव जन स्वास्थ्य रक्षक चुनाव नीति के अनुसार नहीं था क्योंकि ग्राम सभा को केवल एक ही नाम का प्रस्ताव शिक्षा एवं आयु प्रमाणित करते हुए देना चाहिए जिनका उल्लेख प्रस्ताव में नहीं था। अतः नियमानुसार न होने के कारण सलीम खाँ के प्रस्ताव को निरस्त कर नया प्रस्ताव केवल एक ही व्यक्ति का नाम भेजे जाने का अनुरोध ग्राम सभा से किया जा रहा है। ग्राम सभा पिगिरियावां से 4-4-81 को जन स्वास्थ्य रक्षक के लिये प्रस्ताव मांगा गया था परन्तु प्राप्त प्रस्ताव संदिग्ध प्रतीत हुआ। अतः उसकी जांच करायी गयी। जांच में प्रस्ताव पंचायतराज विभाग से जारी किये गये रजिस्टर में अंकित नहीं पाया गया। अतः उस अवैध प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जिला सहकारी बैंक लि० बुलन्दशहर शाखा खुर्जा पर साधन सहकारी समिति लि० अनियामसूरपुर के गेहूँ खरीद खाते से गबन के सम्बन्ध में कार्यवाही

80—**श्री छत्तर सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करें कि जिला सरकारी बैंक लि० बुलंदशहर शाखा खुर्जा पर साधन सहकारी समिति लि० अनियामंसूरपुर के गेहूँ खरीद खाते में से दिनांक 27 व 28 मई, 82 को 13993.80 रु० का गबन हुआ जिसकी रिपोर्ट समिति सचिव ने थाना जहांगीरपुर, जनपद बुलन्दशहर में जून, 1982 के प्रथम सप्ताह में धारा 409, 420 के तहत दर्ज कराई तथा इसी गबन से संबंधित खाते में उक्त ब्रांच

खुर्जा के शाखा प्रबन्धक ने मु बलिक 5000 रु० भी जमा कराया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य पाये गये तथा कौन कौन दोषी पाये गये और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

साधन सहकारी समिति वीर शाहपुर ब्लाक मया० जिला फैजाबाद के सहकारी गोदाम की छत गिरने के संबंध में कार्यवाही

81—**श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति वीरशाहपुर ब्लाक मया जिला फैजाबाद का सहकारी गोदाम जो विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत बनवाया गया है, उसकी छत गिर गयी ? क्या इसके निर्माण के समय ही प्रशासक सन्तराम यादव एवं सचिव ने रिपोर्ट की थी कि गोदाम की छत में सीमेन्ट बहुत कम लगाई जा रही है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है तथा भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । गोदाम निर्माण के समय समिति के प्रशासक एवं सचिव द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई । अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । मामले में जाँच के आदेश दे दिये गए हैं । जाँचोपरान्त दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी और उत्तर-दायित्व भी निर्धारण किया जायेगा । ठेकेदार की जमानत की धनराशि भी रोक ली गयी है ।

वर्तमान सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी श्री बी० एन० द्विवेदी राजाजीपुरम, आवास विकास परिषद् के स्थानान्तरण आदेश की निरस्ति

82—**श्री कुबेर भण्डारी**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980-81 में वर्तमान सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी (श्री बी० एन० द्विवेदी) राजाजीपुरम उ० प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर कर दिया गया था ? यदि हां, तो फिर उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण उसी समय रोक कर उसे पुनः लखनऊ में ही राम सागर मिश्र नगर में नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ ।

श्री बी० एन० द्विवेदी तथा उनकी पत्नी दोनों के ही बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया है ।

बाराबंकी जनपद में टाउन एरिया रामनगर द्वारा ट्राफिक तहबाजारी में धन की वसूली

83—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद में टाउन एरिया रामनगर द्वारा रामनगर से गुजरने वाले वाहनों से ट्राफिक तहबाजारी के रूप में वर्ष 82

में धन की बसूली की गई है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इस प्रकार की वसूली प्रदेश की अन्य टाउन एरियाओं में भी होती है ? वसूली की क्या शर्तें और नियम हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

यह वसूली टाउन एरिया रामनगर द्वारा बनाये गये टैक्स तहबाजारी फीस ट्रैफिक उपविधि के अधीन ली जा रही है ।

जी हाँ । इस प्रकार की वसूली कतिपय अन्य टाउन एरियाओं द्वारा की जा रही है ।

टाउन एरिया की सीमा के अन्दर उनकी पटरियों के प्रयोग करने पर यह टैक्स विभिन्न वाहनों से उपविधि में निर्धारित विभिन्न दरों पर लिया जाता है ।

गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और वाराणसी जनपद में खाद्यान्न व्यापारियों को जारी किए गये तथा निरस्त किये गये लाइसेन्सों का विवरण

84—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और वाराणसी जनपद में गेहूँ के क्रय करने के लिए कुछ व्यक्तियों को लाइसेन्स वर्ष 80-81 व 81-82 में प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि विगत दो वर्षों में देवरिया में 6, गोरखपुर में 4, बस्ती में 3 और वाराणसी में 8 व्यक्तियों के गेहूं क्रय विक्रय करने के लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ ।

जी नहीं । विगत दो वर्षों में देवरिया में 9, गोरखपुर में 11, बस्ती में 3 व वाराणसी में 8 खाद्यान्न व्यापारियों के लाइसेन्स निरस्त किये गये ।

लाइसेन्स निरस्त किए जाने के मुख्य कारण निम्नवत् हैं :—

1—मिलिंग रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर व सट्टी बही अभिलेखों का प्रयोग न करना ।
2—स्टाक बोर्ड व रेट बोर्ड का प्रदर्शन करना ।
3—चेकिंग के समय वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ।
4—कार्यालय को पाक्षिक नक्शा न भेजना ।
5—निर्धारित सीमा से कम अथवा अधिक खाद्यान्न का स्टाक में रखा जाना ।
6—खाद्यान्नों का अवैध संचरण करना ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ····पर)

बहराइच जनपद की नगर क्षेत्र समिति जरबल द्वारा ट्रेफिक तहबाजारी की वसूली

85—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या नगर विकास मंत्रीं कृपया बतायेंगे कि बहराइच जनपद की नगर क्षेत्र समिति जरबल द्वारा ट्राफिक तहबाजारी के रूप में वर्ष 82 के माह दिसम्बर में 3 रुपये प्रति वाहन

जो क्षेत्र समिति की एरिया से होकर गुजरते हैं, उनसे वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इसके पूर्व के वर्षों में भी इस प्रकार की तहबाजारी की वसूली होती थी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

टाउन एरिया जरबल द्वारा ट्राफिक तहबाजारी उपविधियाँ दिनाँक 1 मई, 1982 से लागू की गयी हैं ।

दिनांक 1 मई, 1982 के पूर्व कोई वसूली नहीं की जाती थी ।

86—श्रीमती गौरी देवी—

[दिनाँक 10-2-83 को अतारांकित प्र० सं० 100 व 177 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती रेशमी ग्राम छेदी उड़वा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को दाइयों के प्रशिक्षण में अनियमितता बरतने के संबंध में शिकायती पत्र

87—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रींमती रेशमी, ग्राम छेदी उड़वा, तहसील बाँसगाँव, जिला गोरखपुर ने नवम्बर, 1982 में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को दाइयों के प्रशिक्षण में (वर्ष 1981-82) अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र भेजा था ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के गांवों में पेयजल आपूर्ति

88—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांवों में पेयजल योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद के गजपुर, भीटी, बड़गहन, खोराबार, बड़गो, मिर्जापुर, बेलीपार, बिशनपुर, मलांव, जंगल बेलवार में पेयजल की सुविधा के लिए नलकूप लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा फरवरी, 1981 में एक पत्र भी लिखा गया था ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उक्त गांवों की पेयजल की सुविधा के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

माननीया, विधायिका द्वारा फरवरी—81 में लिखा गया पत्र नहीं वरन् दिनांक 25-4-81 का पत्र प्राप्त हुआ ।

वर्तमान में, शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में केवल अभावग्रस्त ग्रामों में ही यथासम्भव हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

माननीया सदस्या द्वारा इंगित ग्रामों के बारे में यह सूचित करना कठिन हो रहा है कि वे अभावग्रस्त श्रेणी में हैं अथवा नहीं क्योंकि एक ही नाम के कई ग्राम जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव तथा तहसील सदर में हैं। माननीया विधायिका द्वारा इंगित ग्रामों में से उसी नाम के निम्नलिखित अभावग्रस्त ग्रामों में इंडिण्या मार्क-2 हैण्डपम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है :—

1—खोराबार, तहसील सदर, कोड नं०—1142
2—बड़गो, तहसील सदर, कोड नं०—260
3—बिसुनपुर, तहसील-सदर, कोड नं०—684
4 मलाव, तहसील-बांसगांव, कोड नं०—634

89—**श्रीमती गौरी देवी**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद चमोली के गोपेश्वर नगर की सीवर लाइन योजना

90—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर नगर के सारे क्षेत्र को सीवर लाइन्स से जोड़ने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

सीवर योजनाओं हेतु छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में धान की कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय गया लिया है कि यथा सम्भव सीवर की कोई नयी योजना हाथ में न ली जाय।

जनपद मिर्जापुर जंगल महाल चुनार में पेयजल व्यवस्था

91—**श्री रामचरण सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दि० 10-2-82 को जनपद मिर्जापुर जंगल महाल चुनार में पेयजल की व्यवस्था हेतु उन्हें पत्र लिखा था ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ।

विधायक महोदय के पत्र दिनांक 10-2-82 के साथ श्रीमती गुलाबपति देवी पुत्री श्री शंकर सिंह, श्री सतीश कुमार श्री वास्तव, पुत्र श्री बनवारी लाल के प्रार्थना पत्र संलग्न थे। उन्होंने कुछ विशेष भू-खण्डों में हैण्डपम्प लगाने का अनुरोध किया था जो ग्राम हिनौता (कोड नं०—537) में आते हैं। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठी पंच-वर्षीय योजना में केवल अभावग्रस्त ग्रामों में ही हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। ग्राम हिनौता चूँकि अभावग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है, इस कारण इस ग्राम हेतु कोई भी पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकी।

केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार जौनपुर को घाटे में चलाने का औचित्य

92—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि वित्तीय अनियमितता के कारण केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जौनपुर पूर्णतया घाटे में चल रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस संस्था को घाटे में चलाने का औचित्य क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

93-94 —श्री ऊदल—

[दिनांक 24-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 37 द्वारा उत्तरित]

डा० बाबूराम बाजपेयी चिकित्साधिकारी, सविल अस्पताल, कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद के विरुध शिकायती पत्र की जाँच

95—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री प्रेम नारायण सिंह भू० पू० ब्लाक प्रमुख, जलालाबाद जनपद फर्रुखाबाद द्वारा चिकित्साधिकारी, सिविल अस्पताल कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारों के बारे में रजिस्टर्ड ए० डी० पत्र दिनांकित 9-9-81 व 18-9-81 तथा 8-11-81 व 8-3-82 और दिनांकित 3-5-82 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त मेडीकल आफिसर के विरुद्ध जाँच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ, डा० बाबूराम बाजपेई, चिकित्साधिकारी, सिविल अस्पताल, कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 9-9-81, 8-11-81 तथा 8-2-1982 मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुए हैं । मुख्य चिकित्साधिकारी ने शिकायतों की जाँच कराई है ।

96—श्री मोतीलाल देहलवी —

[7 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख श्री प्रेमनारायण सिंह द्वारा फर्रुखाबाद के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध दिया गया शिकायती पत्र तथा उसकी जांच

97—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल अस्पताल, कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद के चिकित्साधिकारी के गम्भीर भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में भू० पू० ब्लाक प्रमुख श्री प्रेम नारायण सिंह के शिकायती-पत्र संलग्न कर प्रश्नकर्ता ने जो पत्र स्वास्थ्य मंत्री को दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को प्रेषित किया था क्या उसकी जांच कराई गयी ? यदि हाँ, तो किसके द्वारा जांच कराई गयी ? और जाँच में क्या-क्या तथ्य पाए गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लाण्ट (खाद फैक्ट्री) के लेखा आडिट में कथित गोलमाल

98—**श्री मोतीलाल देहलवी** —

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित खाद फैक्ट्री के लेखा आडिट करते समय वर्ष 1981 के अन्त तक एक करोड़ दस लाख रुपये के वाउचर नहीं प्रस्तुत किए गए ? यदि हां, तो इतनी बड़ी धनराशि के गोलमाल किये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामसिंह खन्ना —

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लाण्ट (खाद फैक्ट्री) के लेखा (वाउचर्स) धनांक 1.06 करोड़ रुपये आडिट के लिए वर्ष 1981 के अन्त तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं। फलतः धनराशि के गोलमाल किये जाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित खाद फैक्ट्री को केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि तथा लाभ हानि

99—**श्री मोती लाल देहलवी**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित खाद फैक्ट्री को भारत सरकार ने प्रारम्भ से अब तक कुल कितना धन दिया है तथा इस फैक्ट्री में खाद बनाने के लिए प्रारम्भ से अब तक कुल कितना कच्चा माल आया और उस कच्चे माल से दिसम्बर, 81 तक कुल कितनी खाद तैयार की गयी तथा दिसम्बर 81 तक कितना कच्चा माल अवशेष था ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लाण्ट (खाद फैक्ट्री) को भारत सरकार से अब तक कुल रु० 36,58,141·00 प्राप्त हुआ है । खाद बनाने के लिये शहरी कूड़े कचरे का उपयोग किया जाता है । कोई कच्चा माल नहीं मंगाया जाता है । दिसम्बर, 1981 तक कुल 1471 टन खाद तैयार की गयी । कच्चा माल अवशेष रहने का प्रश्न नहीं उठता है ।

100—**श्री मोती लाल देहलवी**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका कानपुर द्वारा खाद फैक्ट्री कब से चलायी जा रही है और दिसम्बर, 81 तक उक्त खाद फैक्ट्री से कुल कितने धन का लाभ हुआ है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लाण्ट (खाद फैक्ट्री) 1-2-1980 से चलाई जा रही है । यह बिना लाभ हानि के आधार पर चलाया जा रहा है । अतः लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

101—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

[7 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा नगरपालिका श्रीनगर के प्रधान लिपिक का स्थानान्तरण

102—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगरपालिका श्रीनगर के प्रधान लिपिक का स्थानान्तरण आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा आदेश संख्या 545/21–134/80-81 दिनांक जुलाई, 7, 1981 के द्वारा श्रीनगर नगरपालिका से नरेन्द्र नगर नगरपालिका को किया गया है ? यदि हां, तो क्या आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले की नगरपालिका में करने के लिए सक्षम है ? यदि नहीं तो किस अधिकार से यह स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ ।

इस प्रकरण का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल आफिसरों, फार्मेसिस्टों के रिक्त पद

103—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल आफीसरों फार्मेसिस्टों के कब से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्तियों को भरने के संबंध में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं तथा कब तक पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में मेडिकल आफिसरों/फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां हो सकेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

104—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

[7 वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

105—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के175 होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्मकों की नियुक्ति नहीं की गई है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1979 से होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो कारण क्या है और कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में 1979 के चयन के आधार पर पहले नियुक्तियाँ हुई हैं बाद में वर्ष 1982 में चयनित 154 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति जनवरी, 1983 में की गई है।

ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु हेल्थ गाइड योजना का क्रियान्वयन

106—**श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री हरिवंश सहाय**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम्य स्तरीय स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु हेल्थ गाइड योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु हेल्थ गाइड योजना 2 अक्टूबर, 1977 से भारत सरकार की नीति के अनुसार चलाई जा रही है। मोटे तौर पर 1000 ग्रामीण आबादी पर एक स्वास्थ्य प्रदर्शक ग्राम पंचायत द्वारा चयन किये जाने पर रखा गया है। यह सरकारी कर्मचारी नहीं है। इनको तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उनको प्रतिमाह रु० 200/- वृत्तिका दी जाती है। तदुपरान्त 50/- रु० प्रतिमाह पर इनसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य लिया जाता है। इनको प्रतिवर्ष 600/- रु० की औषधियां भी दी जाती हैं।

जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति, वाराणसी के भूतपूर्व प्रशासन एवं सचिव द्वारा जवाहर नगर के प्लाटों की अनियमित बिक्री से हानि तथा समिति के सदस्यों का लम्बित आरबीट्रेशन का मामला

107—**श्री ऊदल**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति लि० वाराणसी के भू०पू० प्रशासन एवं सचिव ने जवाहर नगर ओरिजनल प्लाट नं० 82 व 83 के एक 10 फिट नाले की जमीन को मिलाकर बिक्री कर दिया है जो आवास विकास परिषद् वाराणसी की थी ? क्या इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र कमिश्नर, आवास विकास परिषद एवं स्वायत्त शासन मंत्री को सन् 82 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। केवल प्लाट संख्या 82 व 83 की बिक्री की गयी है, जो जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति लि० वाराणसी के ही भूखण्ड थे। इस संबंध में श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल चेतगंज वाराणसी का शिकायती-पत्र दिन 8-12-82 को प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच जारी है।

108—**श्री ऊदल**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट नं० 157 जवाहर नगर एक्सटेंशन वाराणसी का ले आउट में एरिया 4549 फिट का है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त प्लाट की एरिया 4354 फिट करके रजिस्ट्री की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह भी सही है कि एरिया घटा देने से 10 हजार रु० के करीब धन की हानि हुई है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्लाट संख्या-157 जवाहर नगर एक्सटेंशन वाराणसी का क्षेत्रफल 4641 वर्गफुट है और उसकी रजिस्ट्री 4344 वर्ग फिट की गयी है। इस प्रकार 297 वर्ग फिट भूमि कम करके रुपये 1930/- तत्कालीन रेट के अनुसार समिति को हानि हुई है। उक्त कार्यवाही पर जांच की प्रक्रिया चल रही है।

109—**श्री ऊदल—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्लाट नं० 158 का ले आउट मे एरिया 4836 फिट है ? क्या इसको घटाकर 3940 फिट की रजिस्ट्री करके हजारों रु० की इसमें भी हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ले-आउट प्लान के अनुसार प्लाट सं० 158 का क्षेत्रफल 4807 वर्ग फिट है परन्तु इसकी रजिस्ट्री 3940 वर्ग फिट की थी। इस मामले की जाँच की जा रही है।

110—**श्री ऊदल—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति वाराणसी के कितने पुराने सदस्य हैं जिनको प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की गयी है और आरबीट्रेशन का मामला कमिश्नर उ०प्र० आवास विकास परिषद के यहाँ कब से विचाराधीन है ? फैसला अब तक क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि प्लाट नं. 157 व 158 का नया सदस्य बैक डेट में बनाकर रजिस्ट्री की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

समिति के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर 25 सदस्यों को भूखण्डों की रजिस्ट्री होना शेष है।

आर्बीटेशन के निम्न मामले विचाराधीन हैं :—

वादी का नाम	वाद दिनांक	मध्यस्थ का नाम	मध्यस्थ द्वारा निर्धारित तिथि
श्री मेवा लाल	7-4-82	श्री वाई. के. गुप्ता	8-3-83
श्री मानिक	3-11-82	श्री एस. के. प्रधान	8-3-83
श्री बेचन	3-11-82	श्री एस. के. प्रधान	8-3-83
श्री सुरेश नारायण पाठक	3-8-82	श्री बी. एस. श्रीवास्तव	8-3-83

तथ्यों का विश्लेषण न हो सकने के कारण मामले निर्णीत नहीं हो पाये हैं। पिछली तिथियों में सदस्य बनाकर भूखण्डों की रजिस्ट्री किए जाने के संबंध में जाँच के निर्देश दे दिये गये हैं।

विधायक श्री हरी शंकर द्वारा जिला प्रबन्धक भूमि विकास बैंक, हरदोई को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

111—**श्री हरी शंकर तिवारी**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रबन्धक भूमि विकास बैंक, हरदोई को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 25-11-82 प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो वह किस संदर्भ में था और उस पर कब तक और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक—

जी, हां । यह पत्र श्री रामाशंकर यादव, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक उ. प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., शाखा बिलग्राम, हरदोई को स्थानान्तरण के बाद कार्य मुक्त करने, उनके द्वारा शाखा पर अनुपस्थित रहने तथा जिला प्रबन्धक हरदोई से भेंट करने के सम्बन्ध में था । श्री रामा शंकर यादव को जिला प्रबन्धक उ. प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. हरदोई के आदेश दिनाँक 14-12-82 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में आरक्षित कोटे के पंजीकृत प्रार्थियों को भवनों का आवंटन

112—**श्री रामधनी**—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजीकरण संख्या एल. डब्लू./एम 2356 (6) के अन्तर्गत राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ में आरक्षित कोटे में पंजीकृत प्रार्थी को अब तक हुए प्रदेशनों में सम्मिलित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें आगामी प्रदेशन, में सम्मिलित कर भवन आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां ।

लाटरी ड्रा दिनांक 9-11-82 के लिये पंजीकरण सं.-एल. डब्लू./एम-2356(6) ने प्रार्थना पत्र देकर "ए" प्रकार के भवनों के आवंटन की प्रार्थना की जब कि उक्त लाटरी ड्रा में म. आ. व. 1/80 प्रकार के भवनों का आवंटन किया गया । प्रार्थी का सशर्त प्रार्थना पत्र होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया था ।

ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों से समय-समय पर भवन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । यदि पंजीकृत व्यक्ति भविष्य में सम्पत्ति लेने के लिये बिना शर्त तथा प्रस्तावित सम्पत्ति हेतु आवेदन करेगा तो उन्हें परिषद की नीति के अनुसार दौर की वरीयता के आधार पर लाटरी ड्रा में सम्मिलित किया जायेगा ।

नगरपालिका मथुरा के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी व प्राविडेण्ट फण्ड तथा एरियर का भुगतान

113—**श्री सरदार सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका मथुरा के कर्मचारियों का ग्रेच्युटी व प्राविडेण्ट फण्ड तथा एरियर का कितना रुपया जमा है ? क्या शासन को इसमें गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका मथुरा के कर्मचारियों का रु० 10,46,030=58 पै० भविष्य निधि खाते में जमा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका मथुरा पर राज्य विद्युत परिषद मथुरा का बकाया विद्युत बिल

114—श्री सरदार सिंह—

क्या नगरपालिका मन्त्री को जानकारी है कि नगरपालिका मथुरा पर राज्य विद्युत परिषद मथुरा का लाखों रुपये का विद्युत बिल का रुपया बाकी बकाया है ? यदि हां, तो कुल रकम कितनी बकाया है ? इसको न देने के क्या कारण हैं ? यह अब कब तक विद्युत बोर्ड को अदा कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ ।

28-2-1983 को-रु० 21,09,212=15 पैसे बकाया था ।

पालिका की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण नहीं दिया जा सका ।

यथासंभव भुगतान का प्रयास किया जा रहा है ।

स्वर्गीय शिव प्रसाद सेमवाल की विधवा को पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही

115—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 2 रे गुरु के अतारांकित प्र० सं 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय शिव प्रसाद सेमवाल की विधवा को पारिवारिक पेंशन दिए जाने हेतु सभी प्रपत्र तैयार किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो पेंशन स्वीकृति में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

स्वर्गीय सेमवाल की पत्नी द्वारा पेंशन हेतु विकल्प-पत्र को ठीक प्रकार से नहीं भरा गया है । इन्हें ठीक से भराने की कार्यवाही की जा रही है । जब पूर्ण विकल्प-पत्र प्राप्त हो जायेगा तभी पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही सम्भव होगी ।

भैंसा कुंड शमशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना

116—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका ने भैंसा कुंड शमशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना बनायी थी ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक विद्युत शवदाह गृह चालू हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ ।

विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिये पाइलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है । नींव के ऊपर कार्य प्रगति पर हैं । बिजली की मशीनें क्रय की जा चुकी हैं ।

विद्युत शवदाह गृह आगामी वर्ष तक चालू हो जायगा ।

सुपर बाजारों को बन्द करने की कथित योजना

117—**श्री शंकर सिंह—**

क्या सरकार प्रदेश में सुपर बाजारों को बंद करने की सोच रही है ? सरकार यह भी बताये यह कितने घाटे अथवा मुनाफे में चल रहे हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी ङ आगे पृष्ठ—पर)

आगरा जनपद के अकोला ग्राम में निर्माण की गयी पानी की क्षमता तथा पेयजल आपूर्ति

118—**श्री विजय सिंह राना –**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के गाँव अकोला में बनने वाली पानी की टंकी की क्षमता क्या है, उससे किस-किस गांव में जलपूर्ति की जायेगी ? क्या निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? जिन गांवों को जलपूर्ति दी जाने वाली है उनमें से कितने गाँव में नल लगा दिये हैं और कितने गाँवों में नल लगाना शेष है ? जिन गाँवों में नल लगाना शेष रह गया है उन गाँवों में कब तक नल लगा दिये जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

आगरा जनपद में अकोला ग्राम में निर्माण की गयी पानी की टंकी की क्षमता 250 कि० ली० है । इस पानी की टंकी से दो राजस्व ग्राम अकोला एवं रामनगर को पेयजल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है । टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । नगला झिगला एवं नगला शंकरपुर को छोड़कर शेष सभी ग्रामों एवं नगलों में जहां जल सम्पूर्ति दी जानी है, उनमें पाइप बिछा दिये गये हैं। उपरोक्त दो नगलों में जिनमें पाइप बिछाना शेष रह गया है, उनमें जून, 1983 तक पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके पश्चात ही सार्वजनिक नल लगाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद हरदोई की जिला योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के रख रखाव हेतु स्वीकृत धनराशि

119—**श्री प्रमोद कुमार—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की जिला योजना के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 25 लाख 7 हजार रुपये की जो योजना

वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकृत हुई है उसमें से जो 80 हजार रुपये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए हैं ? यदि हाँ, तो वह नये चिकित्सालय खोलने के लिए नयी योजना में स्वीकृत है अथवा पुराने चिकित्सालयों के लिए चालू योजना में ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। इसमें से 80 हजार रुपये वर्ष 1980-81 में स्थापित दो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के रख रखाव के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

120—**श्री प्रमोद कुमार**—

क्या यह सही है कि उक्त धनराशि जनपद में नयी योजनान्तर्गत नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत की गयी है ? यदि हाँ, तो निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एलोपैथिक) द्वारा पहले से चल रहे चिकित्सालयों पर व्यय हेतु "चालू योजना" में देने का कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम जल निगम शाखा, जल निगम गाजियाबाद में चल रही जांच के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

121—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम जल निगम शाखा (वि० प०) उ० प्र० जल निगम गाजियाबाद में चल रही जांच के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा उन के नाम एक पत्र दिनांक 13-8-82 को भेजा गया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ। पत्र में वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सभी तथ्यों तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही स्थानान्तरण किये जाने के बारे में कार्यवाही की गई है।

नगर महापालिका, गोरखपुर द्वारा रोहिनी नदी के किनारे भूखण्डों का धोबी घाट हेतु दिया जाना

122—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर महापालिका गोरखपुर के अन्दर बसने वाले लगभग 15 हजार रजक (धोबी) वर्ग के लोगों के लिए धोबी घाट आवासीय सुविधा आदि की बात लेकर अखिल भारतीय रजक (धोबी) महासंघ द्वारा गोरखपुर से जिलाधिकारी एवं मुख्य मन्त्री को माह नवम्बर व दिसम्बर, 1982 के बीच प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना

नगर महापालिका गोरखपुर द्वारा गोरखपुर में रोहिनी नदी के किनारे 4 भूखण्ड जिनका रकबा 2-37 एकड़ है, रजक संघ को धोबीघाट के रूप में प्रयोग हेतु दे दिये गये हैं। जहाँ तक आवासी भवनों के आवंटन का प्रश्न है, नगर महापालिका गोरखपुर में ऐसी कोई योजना नहीं है।

123—श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती',
श्री प्रियदर्शी जेतली तथा
श्री शेर बहादुर सिंह—

[दिनाँक 17-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 52 द्वारा उत्तरित]

सरकड़ा खाद साधन सहकारी समिति, ब्लाक मूंडा पाण्डे, जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण गोदाम, निर्माण के संबंध में पत्र तथा ग्राम नगला में निर्माणाधीन गोदाम का निर्माण

124—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनको प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनाँक 17-1-83 जो सरकड़ा खाद साधन सहकारी समिति, ब्लाक मूंडा पाण्डे जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण गोदाम निर्माण के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अनधिकृत रूप से ग्राम नगला में गोदाम बनाये जाने को रोकने के संबंध में तथा ग्राम करनपुर में ग्रामीण गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक—

शिकायतकर्त्ता का पत्र दिनाँक 17-1-83 निबन्धक सहकारी समितियाँ उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ था। निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी द्वारा दिनाँक 17-1-83 को ही ग्राम नगला के निर्माणाधीन गोदाम का निर्माण कार्य रोक देने के आदेश भेज दिये गये जो कार्य इस समय बन्द है। समिति के प्रस्ताव तथा निर्णय के अनुसार ग्राम मोहम्मद डुलीपुर उर्फ नगला में गोदाम का निर्माण नियमानुसार प्रारम्भ किया गया था जिस पर अब तक लगभग 30,000/- रु० का व्यय होने के बाद कार्य बन्द है। समिति द्वारा करनपुर में गोदाम निर्माण कराने का प्रस्ताव नहीं है।

विकास खण्ड बांकेगंज, जनपद खीरी के हरिजन किसानों की भूमि की नीलामी तथा देय प्रतिकर

125—श्री छेदा लाल चौधरी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत 1 जनवरी, 82 से 31 दिसम्बर, 82 तक विकास खण्ड बांकेगंज जनपद खीरी के कितने हरिजन किसानों की भूमि मैनेजर, भूमि विकास बैंक गोला गोकरनाथ ने नीलाम कराया ? उपरोक्त हरिजन किसानों के क्या नाम हैं जिनकी भूमि नीलाम की गयी है ? उनके ऊपर कुल कितना मूलधन और ब्याज देय था उनकी भूमि प्रति एकड़ किस मूल्य पर नीलाम करायी गयी और वहाँ सर्किल रेट के अनुसार उनकी भूमि का मूल्य क्या था तथा जिसके हाथ बेची उनके नाम क्या थे ?

श्री बच्चा पाठक—

उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० शाखा मोहम्मदी (गोला) जिला खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खण्ड बांकेगंज जनपद खीरी के 8 हरिजन किसानों की भूमि 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक नीलामी की गई। इन नीलामियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ पर)

स्व० रमेश चन्द्र पुरोहित, सहायक लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, चमोली के परिवार को पेंशन का भुगतान

126—**डा० शिवानन्द नौटियाल तथा**
श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व० रमेश चन्द्र पुरोहित, सहायक लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय चमोली का निधन हुए दो साल हो गये हैं ? यदि हाँ, तो किन कारणों से उनके परिवार के किसी सदस्य को अब तक पारिवारिक पेंशन स्वीकार नहीं की गई है ? पेंशन कब तक स्वीकार कर दी जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

स्व० श्री रमेश चन्द्र पुरोहित, सहायक लिपिक, जि० पू० अ० कार्यालय चमोली की मृत्यु दिनाँक 19-12-80 को हुई थी।

स्व० श्री पुरोहित के अविवाहित होने के फलस्वरूप उनके पारिवारिक पेंशन संबंधी कागजात उनके माता/पिता के नाम से तैयार कर के महालेखाकार उ० प्र० इलाहाबाद को जि० पू० अ०, चमोली द्वारा दिनाँक 20-4-81 को भेजे जा चुके हैं परन्तु पी० पी० ओ० प्राप्त न होने के कारण महालेखाकार को स्मरण भी कराया गया है। स्व० श्री पुरोहित को देय ग्रेच्युटी, जीवन बीमा एवं सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि का भुगतान उनके माता/पिता को किया जा चुका है।

अशरफाबाद, लखनऊ मुहल्ले में नालियों की मरम्मत का कार्य

127—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्ट्रोरिया स्ट्रीट पोस्ट आफिस लखनऊ के ठीक सामने से अशरफाबाद मोहल्ले को जाने वाला मार्ग जो कि चुन्ना दूध वाले मार्ग को जाता है में सीवर लाइन की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा कब तक पूर्ण करने की योजना है ? क्या नगर विकास मंत्री को यह भी जानकारी है कि अशरफाबाद लखनऊ मुहल्ले की नालियाँ अत्यन्त टूटी हैं जिन्हें पुनः निर्मित नहीं करवाया गया है ? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ। विक्टोरिया स्ट्रीट (तुलसी दास मार्ग) तुलसी हाउस पोस्ट आफिस के सामने वाली गली जो कि चुन्ना दूध वाले मार्ग को जाती है, पर इलेक्ट्रिक पोल नम्बर ए०एफ०ए०बी०डी०/9 तक सीवर लाइन की व्यवस्था की गई है।

मोहल्ला अशरफाबाद में विगत वित्तीय वर्ष में कुछ नालियों की मरम्मत का कार्य महापालिका द्वारा करा दिया गया था। इस वित्तीय वर्ष में जल निगम द्वारा जिन गलियों में फर्श की कटिंग की गई थी, वहाँ नाली और फर्श की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

जल निगम, लखनऊ के चपरासियों का मुख्यालय से अनियमित स्थानान्तरण

128—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम, लखनऊ के चपरासियों (श्री मथुरा प्रसाद आदि) को मुख्यालय से अनियमित स्थानान्तरण के संबंध में अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, लखनऊ का कोई पत्र वर्ष 1982 में शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जाँच के आधार पर क्या स्थानान्तरण निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर लाशों का पोस्टमार्टम तथा औसत विवरण

129—**श्री मोहन सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1982 में प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कितनी लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और इनमें से कितनी लाशें कत्ल की, दुर्घटना की और डकैतियों में मारे हुए लोगों की थीं ? इन को मिलाकर विवरण क्या है और प्रतिदिन लाशों का पोस्ट-मार्टम का औसत क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

वांछित सूचना व्यापक है। प्रदेश के समस्त मुख्यालयों से इसे प्राप्त किया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर उन्हें तालिकाबद्ध किया जावेगा जिसमें समय लगेगा। यह सब हो जाने पर माननीय सदन को अवगत करा दिया जावेगा।

सहकारी समिति लि० बौलिया, ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी के सदस्यों द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

130—**श्री ऊदल**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौलिया सहकारी समिति लि०, बौलिया, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के सदस्यों की एक दरखास्त प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ 25 अगस्त, 82 को दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लाखों रुपया का गबन किया गया है ? क्या इसकी जाँच की गयी थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा करायी गयी। फर्जी हस्ताक्षर बनाकर गबन किये जाने का तथ्य जाँच में प्रमाणित नहीं हुआ है।

जी हां पूर्व में इसकी जांच करायी गयी थी। जांच में शिकायत सही नहीं पायी गयी। सदस्यों के ऊपर लगा ऋण सत्यापन समीक्षा समिति द्वारा काबिले वसूल घोषित किया जा चुका है।

प्रदेश की विभिन्न नगरीय मलेरिया इकाईयों में फील्ड वर्कर एवं सुपीरियर फील्ड वर्कर के पदों पर नियुक्ति में कथित अनियमितता

131—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद** —

क्गा स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग में वर्ष 1981 में जनपद बदायूँ में 30 व्यक्ति की आई० एफ० डब्लू० एवं 10 व्यक्ति की एस०एफ०डब्लू० के पद पर नियुक्तियाँ शासन द्वारा की गई हैं ? यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों में जनपद बदायूँ के केवल दो ही व्यक्ति लिए गये ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बदायूँ के व्यक्तियों को उक्त पदों पर क्यों नहीं नियुक्त किया गया ? क्या सरकार उपरोक्त चुनाव रद्द करके जाँच कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, वर्ष 1981 में प्रदेश की विभिन्न नगरीय मलेरिया इकाइयों में फील्ड वर्कर एवं सुपीरियर फील्ड वर्कर के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन मुख्यालय स्तर पर किया गया था। इनमें से 30 फील्ड वर्कर एवं 10 सुपीरियर फील्ड वर्कर बदायूँ जनपद में तैनात किए गए थे। चुने गए अभ्यार्थियों में बदायूँ जनपद के तीन अभ्यर्थी थे जिनमें से एक बदायूँ जनपद में तथा अन्य दो अलीगढ़ तथा जालौन जनपद में तैनात किया गया था।

उक्त चयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई, अतएव प्रश्नगत चयन रद्द किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

132—**श्री छत्तर सिंह तथा**
श्री मसरूर जाफरी—

[माननीय सदस्यों ने वापस ले लिया।]

जनपद गाजीपुर में सहकारिता विभाग में सचिवों, सहायक सचिवों के विरुद्ध पंजीकृत वाद तथा प्रशासनिक कार्यवाही

133—**श्री राम नरायन सिंह (एडवोकेट)**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में गाजीपुर जनपद में सहकारिता विभाग में कितने सचिव एवं सहायक सचिवों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के बाद पंजीकृत हुए थे और विभाग द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सी प्रशासनिक कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि सहायक निबन्धक, सहकारिता गाजीपुर ने दोषी व्यक्तियों को आज भी कार्यरत रखा है ? क्या सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच मुख्यालय के गुप्तचर विभाग से कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

वर्ष 1981 में गाजीपुर जनपद में सहकारिता विभाग में 14 (चौदह) सचिवों/सहायक सचिवों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के वाद पंजीकृत हुए।

एक सचिव एवं एक सहायक सचिव की सेवा समाप्त की गई तथा पांच सचिवों को निलम्बित किया गया। 7 कर्मचारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य से पृथक कर दिया गया तथा उठान व वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

134—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा० सदस्य ने वापस ले लिया।]

साधन सहकारी समिति पिपरा बुधेल में आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओ के वितरण में अनियमितता

135—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड, बनकटा के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति पिपरा बुधेल में वर्ष 1981-82 में कौन-कौन सी सामग्री कब और कितनी मात्रा में वितरण हेतु दी गयी ? क्या उन वस्तुओं का सही वितरण क्षेत्रीय जनता में किया गया ? क्या इस समिति के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो वह अनियमितता क्या है और जांच में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री बच्चा पाठक—

वर्ष 1981-82 (जुलाई 81 से जून 82 तक) में साधन सहकारी समिति पिपरा-बुधेल को चीनी 282 कुन्टल, चावल 100 कुन्टल, मिट्टी का तेल 24800 लीटर वितरण हेतु दिया गया।

जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

जी हां।

समिति का सचिव अभिलेखों सहित फरार है जिसे निलम्बित कर दिया गया है तथा धारा–36 के अन्तर्गत अभिलेखों के प्राप्त करने हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना

136—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फैकेल्टी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले कितने चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान प्रशिक्षित का दिया गया ? क्या प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बिना पैथालाजिस्ट के कार्यरत हैं को इस प्रकार की छूट देकर कोई वैकल्पिक वेतनमान दिया गया है ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

प्रश्न व्यापक रूप का है। जिलों से सूचना एकत्र करने के बाद मुख्यालय में उसे तालिकाबद्ध करना होगा। वेतनमान के सम्बन्ध में भी उच्च स्तर पर निर्णय लेने होंगे। अथक प्रयासों के बाद भी यह अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाने पर सूचना माननीय सदन को दे दी जावेगी।

ग्राम, मुइली, जनपद मिर्जापुर में पानी की टंकी की योजना हेतु सर्वे का कार्य

137—**श्री रामचरण सिंह**—

प्रथम सत्र 1982 के 2रे शुक्रवार के अता०प्र०सं० 155 (जनवरी 29, 1982) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सर्वे कराने के निर्देश उ०प्र० जल निगम को दिये गये दे उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ग्राम भुईली, जनपद—मिर्जापुर में पानी की टंकी की योजना हेतु सर्वे का कार्य प्रारम्भ कराया जाना था, उसी समय शासन की नयी नीति निर्धारित हुई, जिसके अनुसार छटी पंचवर्षीय योजना में केवल अभावग्रस्त ग्रामों को यथा सम्भव इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प के माध्यम से ही प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

चूँकि ग्राम भुईली में हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध की जा चुकी है, अतः परिवर्तित नीति के आधार पर टंकी से पेयजल आपूर्ति करने की योजना के सर्वेक्षण कराने एवं उसके कार्यान्वयन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(12 बजकर 20 मिनट)

भदोही नगरपालिका (वाराणसी) के सीमान्तर्गत हरिजनों एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोगों की भूमि को विकास प्राधिकरण द्वारा बलात् अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिन पर मैं अपना निर्णय बता रहा हूँ। श्री मोतीराम देहलवी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मुहम्मद आजम खाँ, श्री पंचानन राय, श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं। बाकी को मैंने अस्वीकार कर दिया है।

***श्री मोतीलाल देहलवी**—

मान्यवर, जनपद वाराणसी की भदोही नगरपालिका के सीमान्तर्गत गांव मामदेवपुर में केवल हरिजन व अल्पसंख्यक मुसलमान ही रहते हैं। इस गांव के गरीब हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है। इन हरिजनों की खेती वाली भूमि और आबादी की भूमि सर्वे के बाद विकास प्राधिकरण में बलात् लिया जाना प्रस्तावित कर दिया गया है। जब से इन हरिजनों को यह जानकारी हुई है, तब से उनमें बेचैनी और खलबली मची हुई है। इसी प्रकार इसी तहसील के गांव रजपुरा व गांव जमुनीपुर तथा गांव जल्लापुर की भूमि भी सर्वे कराकर आवास विकास परिषद द्वारा लिया जाना प्रस्तावित कर दिया गया है और उनकी नोटिसें जारी कर दी गयी हैं। यद्यपि नगरपालिका भदोही सीमान्तर्गत गाँव सालिमपुर व गाँव पकरी व गाँव हिम्मतपुर व गाँव बकुचियापुर आदि को भूमि विकास प्राधिकरण योजना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं, किन्तु चूँकि इस गाँव के लोग सशक्त हैं, इसलिए इनकी साजिश से निर्बल हरिजनों की भूमि प्रस्तावित की गई है। ऐसा करना 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है।

अस्तु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अपेक्षित हूँ कि सरकार हरिजनों सम्बन्धी घोषित अपनी नीति के अनुसार तत्काल आदेश करेगी कि गरीब हरिजनों व मुसलमानों की भूमि, विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में न ली जाय।

स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश से गोरखपुर मेडीकल कालेज में स्नातकोत्तर शिक्षा हेत निर्धारित सीटों की संख्या में कमी कर देने से छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य निदेशालय के एक आदेश संख्या जे०डी०/एम०ई०/पी०जी० 8/410/5 दिनांक 2 मार्च 83 द्वारा गोरखपुर मेडीकल कालेज की स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए अब तक निर्धारित 57 सीटों को घटाकर मात्र 24 कर दी गयी है। जबकि 47 सीटों की प्रत्याशा में वर्ष 83 के लिए हाउस आव एवं डिमान्स्ट्रेटर पद के लिए छात्रों का चयन किया गया। वह एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और जब प्रवेश हेतु फार्म भरने का समय जिसकी अन्तिम तिथि 15 मार्च 83 है तब अकस्मात संख्या घटा दी गयी। मान्यवर, निदेशालय की पूर्व अधिघोषणाओं से स्पष्ट है कि इण्डियन मेडीकल काउन्सिल द्वारा भी 57 सीटें स्वीकृत हैं।

छात्रों में भीषण असंतोष के कारण वह आन्दोलन की राह पर निकल पड़े हैं। शान्ति एवं व्यवस्था के लिए भी संकट है।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूँ कि सीटें घटाने का आदेश अविलम्ब वापस लिया जाय।

जे० बी० सेल्स आर्म्स डीलर (रामपुर) द्वारा ब्लेक से असलहा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खाँ —

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला ला रहा हूँ। मान्यवर, रामपुर, जनपद, मुरादाबाद से जो कि दंगाग्रस्त क्षेत्र है मिला हुआ है। यहाँ के कुछ हथियारों के विक्रेताओं ने दंगे के दौरान मुरादाबाद असलाह भेजने का काम किया था एक फिएट कार में यह असलाहा पकड़ा भी गया था और थाना सिविल लाइन्स पर इसकी रपट भी लिखी गयी थी तथा यह मामला सदन में भी आया था। यह दुकानदारान जिनकी अगुवाई जे० बी० सेल्स आर्म्स डीलर द्वारा हो रही है तथा असलाहा नागरिकों को न देकर दंगाग्रस्त क्षेत्र तथा अवाँछनीय व्यक्तियों को ब्लेक के दामों बाँटा जा रहा है। नागरिक कई बार जिलाधिकारी से मिल चुके हैं परन्तु कोई हल नहीं निकला यदि अविलम्ब इसकी रोक न हुई तो कोई बड़ी बात हो सकती है और रामपुर का अमन बर्बाद हो सकता है।

मेरी सरकार से माँग है कि इस प्रकार के आर्म्स डीलरों पर सख्त कार्यवाही की जाय तथा इस प्रकार के दुकानदारों का लाइसेंस जब्त किया जाय। धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम भरोली (आजमगढ़) के अन्तिम भू-चित्र बनाने में चकबन्दी विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री पंचानन राय**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम भरौली का भू-चित्र एवं अभिलेखा चकबन्दी अधिकारियों द्वारा 23 फरवरी, 83 को जमा कर दिये गये हैं। इस गाँव का अन्तिम भू-चित्र बनाने में अनेक गम्भीर अनियमितताएँ जानबूझकर भ्रष्टाचार के आधार पर की गयी है। इस सम्बन्ध में मैंने गाँव के किसानों का प्रार्थना पत्र अपने पत्र के साथ 1 जनवरी 83 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को दिया था। प्राग्दर्शन में शिकायतें ही पाये जाने पर उन्होंने मेरे समक्ष 1 जनवरी 83 को किसानों को आश्वस्त किया था कि स्थलीय जाँच के उपरान्त अनियमितताओं को ठीक करने के उपरान्त ही कागजात जमा किये जायेंगे किन्तु भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के दवाब में कागजात जमा कर दिये हैं। जिससे किसानों में भारी क्षोभ एवम असन्तोष व्याप्त है।

हमारी राज्य सरकार से माँग है कि इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय, त्रुटियाँ ठीक की जाँय तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाय।

फूलपुर इलाहाबाद के उर्वरक कारखाना के प्रदूषित जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—**

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में एफ० सी० आई० द्वारा निर्मित फूलपुर में उर्वरक के कारखाने से बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल की निकासी न होने मे उक्त अंचल में एक परेशानी पैदा हो गयी है। फूलपुर से ही बरसाती नालों से बहाकर प्रदूषित जल लगभग 20 किलोमीटर गंगा जी में जा रहा है। बरसाती नाले पर पुलियों की व्यवस्था न होने से प्रति दिन जानवर तथा बच्चे मात्र उसके पानी से घायल होते रहते हैं। अतः आप द्वारा शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तुरन्त ही उक्त प्रदूषित जल की निकासी की व्यवस्था की जाय।

जालौन जिले के कोंच नामक स्थान पर आयोजित सभा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—**

प्राप्त सूचना के अनुसार जालौन जिले के कोंच नामक स्थान पर दिनाँक 23-2-83 को श्री राम प्रकाश चोपड़ा, अध्यक्ष जनहित कारिणी संघर्ष समिति कोंच द्वारा नगर में गौ वध के विरोध में एक आम सभा का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उन्हें श्री राधेश्याम दाँतरे का सहयोग प्राप्त था जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुयायी है। इस सभा से शांति भंग होने की पूर्ण सम्भावना पाकर परगना अधिकारी कोंच द्वारा धारा 144 दं० प्र० सं के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी। इसकी कोंच नगर में विधिवत् घोषणा एवं प्रसारण किया गया। धारा 144 के आदेश के बाद भी जब श्री राधेश्याम दांतरे और श्री राम प्रकाश चोपड़ा आदि ने उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन किया तो दिनांक 23-2-83 को धारा 188 भा० दं० वि० के अन्तर्गत उन्हें मय उनके 39 साथियों के थाना कोंच पुलिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा—]

द्वारा बन्दी बनाया गया जिसका थाना कोंच पर अ० सं० 92/83 धारा 188 भा०दं०वि० दिनांक 23-2-83 को पंजीकृत हुआ। इसी प्रकार दिनांक 24-2-83 को भी धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 188 भा० दं० वि० में थाना कोंच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसका मुकद्मा अ० सं० 94/83 धारा 188 भा० दं० वि० थाना कोंच पर पंजीकृत हुआ। उपरोक्त गिरफ्तारियों में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज अथवा बल प्रयोग नहीं किया गया। जहाँ तक नगर कोंच में गोवध का सम्बन्ध है जब भी इस प्रकार की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है तत्काल वांछित कार्यवाही की गयी है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, अपने वक्तव्य में मा० मंत्री जी ने इस आम सभा पर कोई विचार स्पष्ट नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 22 तारीख को परगनाधिकारी को यह सूचना दे दी गयी थी कि जनहित कारिणी संघर्ष समिति द्वारा कोंच में इस प्रकार की सभा की जा रही है। 22 तारीख की रात से लेकर 23 तारीख को सायंकाल तक आम सभा का ठीक प्रकार से प्रचार किया गया। कौन-कौन से वक्ता भाग लेने वाले हैं, उनके नामों की भी घोषणा की गयी। उनमें किसी एक दल के सदस्य नहीं थे बल्कि जितने भी राजनैतिक दल आज प्रदेश में हैं, वे और जितनी भी संस्थायें हैं, उनके ही प्रमुख व्यक्ति उस आम सभा में बोलने वाले थे। इसका लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार किया गया था। 23 तारीख को मंच बनाया गया, मंच बन गया, लाउडस्पीकर लग गया और आधे वक्ताओं ने भाषण दे दिया। मैं मा० मंत्री जो से यह जानना चाहता हूँ कि एक तो यह बात बताने की कृपा करें कि जनहित कारिणी सभा ने किन कारणों से सभा आयोजित की थी ? और क्या 22 तारीख को किसी तार द्वारा परगनाधिकारी को इसकी सूचना दी थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जब आम सभा की सूचना प्राप्त हुई तब झगड़े के अंदेशों के कारण ही दफा 144 लगायी गयी।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इसमें जो मा० मुख्य मंत्री जी का बयान है, तथ्यों से परे है। स्थिति क्या है ? इस संबंध में नागरिकों का एक पत्र आपको भी मिला है, जिससे आप भी अवगत हो गये होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 24 फरवरी को यह घटना घटती है और इससे ठीक एक वर्ष पहले 24 फरवरी, 1982 को प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों के नाम यह पत्र लिखा कि गौ-वध को रोका जाना चाहिए। इसके बावजूद भी भारी पैमाने पर जालौन में, कोंच में गौ-वध होता रहा। इस संबंध में जैसा कि माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने बताया कि राधेश्याम नाम के एक व्यक्ति जिसका संबंध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से था, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके अलावा ऐसे कितने सदस्य थे, जिनका संबंध कांग्रेस (आई) से था नं० दो जैसा कि मा० मंत्री जी ने कहा कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है, तो क्या माननीय सेहरा साहब के पास जो मा० राज्य मंत्री जी बैठे हैं कान लगाये वह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनकी डाक्ट्री की गयी है, जिसमें यह कहा गया है कि 8 व्यक्ति के चोटे आयीं थी, तो क्या यह रिपोर्ट जेल रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तीसरी बात मान्यवर यह है दफा 144 जब जारी की गयी है जब आधे से ज्यादा वक्ता मीटिंग में बोल चुके थे, इस बात को वहाँ के वकीलों ने तथा नागरिकों ने भी लिखकर दी है। यह मेरी तीन बातें हैं माननीय मंत्री जी कृपया उत्तर स्पष्टतौर पर देने की कृपा करें एक तो यह चोटें कितने लोगों के आयीं,

नं०-2, दूसरे दल के लोग उसमें सम्मिलित थे या नहीं और तीसरे यह दफा 144 कब लगाई गयी थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

गौ-वध के संबंध में शासन ने गम्भीरता से सदैव कदम उठाये हैं। जब इस आशय की शिकायतें और प्रार्थना पत्र आए तो एक साथ तीन वहाँ के डी०एम० ने 27-4-82 को आर्डर किये। एक तो यह कि समस्त पशुओं को बाहर न भेजा जाए, दूसरे यह कि सी०एम०ओ० को यह आदेश दिये कि डाक्टरी ठीक से की जाय जो पशु सख्त बीमार हों, उन्हीं को मरणावस्था में घोषित किया जाय और तीसरे यह कि इन्क्वायरी की जाए कि अब तक कितने ऐसे पशु मरणावस्था में घोषित कर दिये गये जो इस लायक नहीं थे, हट्टे कट्टे थे। श्रीमन् इसकी रिपोर्ट भी आ गयी फरवरी, 83 को। इस प्रकार से समस्य कार्य-वाही इस ओर की गयी।

श्री शंकर सिंह —

क्या जब यह रिपोर्ट आयी तो किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, एक साथ तीन आदेश जिलाधिकारी ने किये, एक तो यह कि पशुओं को बाहर जाने से रोका जाय दूसरे यह कि पशुओं की डाक्टरी ठीक से की जाय और तीसरे यह कि इन्क्वायरी करायी गयी। (शोर)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया अभी कि कितने लोगों को चोटें आयीं ?

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मामले से संबंधित हमारे पास सरकारी आँकड़े मौजूद हैं माननीय मंत्री जी ने जो इस संबंध में सूचना दी है, वह तथ्यों से परे है मान्यवर, 20 हजार पशु स्टेशन कोंच से और डाक्टर की परमिट से महाराष्ट्र को गये हैं, जनपद जालौन से 84 पशु तथा उरई से शून्य। इसलिए मान्यवर, यह सवाल आज जो सदन में उठा है, यह वहाँ पर पिछले दो-तीन सालों से चल रहा है आंदोलन के रूप में, लेकिन सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिए कोई प्रयास आज तक नहीं किये। हमारे यहाँ कोंच के जो पशु डाक्टर हैं, वह गलत सर्टीफिकेट दे देते हैं। और गौ-वध निरोधक अधिनियम बना हुआ है उसका वाईलेशन करके—

श्री अध्यक्ष—

आप तो सूचना दे रहे हैं, आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करिये।

श्री दलगंजन सिंह—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोंच में इतनी भारी संख्या में गोवंश महाराष्ट्र को कानून के विपरीत भेजा गया है, उस पर क्या सरकार ने किसी भी अधिकारी

[श्री दलगंजन सिंह—]

को दोषी नहीं पाया, क्या सरकार ने किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की है और यह धारा 144 किस दिन और किस समय आरोपित की गयी थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

दफा 144 को 23 तारीख को 3 बजे लगाया गया था। जहां तक सरकार के सचेत होने की बात है तो इसके लिये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सरकार ने एक साथ तीन स्टेप लिये कि जिले के बाहर जितने पशु जा रहे हैं उन पर रोक लगा दी गयी—

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

यह गलत है, बीस हजार पशु महाराष्ट्र भेजे गये हैं।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठिये, देखिये वे खड़े हुए हैं।

श्री दलगंजन सिंह—

ये मंत्री जी वही ब्यान फिर दोहरा देंगे।

श्री अध्यक्ष —

जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर तो आने दीजिये।

श्री दलगंजन सिंह —

(कोई कागज दिखाते हुए) डाक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर इन्होंने बीस हजार पशु बाहर भेज दिये और यहां तक कह रहे हैं,....

श्री गुलाब सेहरा—

पशुओं को बाहर भेजना 23-4-82 को बैन कर दिया गया कि जिले से बाहर पशु नहीं जायेंगे। 2-1-82 को इस बात की चेतावनी डाक्टरों को दे दी गयी कि वे पशुओं को देख लें तब सर्टिफिकेट दें तथा संयुक्त निदेशक के अधीन एक इनक्वारी सेट हुई और उस इनक्वारी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। यदि इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसे किसी तरह से बख्शा नहीं जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, हमारे तीनों विधायकों ने श्री शंकर सिंह ने श्री दलगंजन सिंह ने तथा मैंने जो प्रश्न किये थे उसका माननीय मुख्य मन्त्री जी के सहयोगी मुख्य मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया है। मैंने स्पष्ट मांग की कि यह कानून है कि जो गोवंश बाहर कटने के लिये भेजे जाते हैं तो उसकी बिक्री के प्रमाण पत्र आने चाहिये। मन्त्री जी ने इसको स्पष्ट नहीं किया और एक वर्ष के अन्दर बीस हजार गोवंश जालौन जिले के कोंच नामक स्थान से बंगाल और महाराष्ट्र भेज दिये गये और ये कह रहे हैं कि आदेश दे दिये गये हैं। अब उनका आदेश क्या है इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। एक मैं इस बात पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जो आम सभा वहां 3.00 बजे प्रारम्भ हो गई थी, मंच लग गया

था, आधे लोग भाषण दे रहे थे तो उस समय वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सभा के सामान को कोंच के थानाध्यक्ष ने कुर्क कर लिया और लाठी चार्ज किया जिससे कि लोग घायल हो गये और उनको जेल भेज दिया गया। तो क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस लाठी चार्ज में कितने लोग घायल हुए थे और जेल में उनका डाक्टरी मुआईना हुआ ? यदि हुआ, तो उसकी डाक्टरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 20 हजार पशु गये हैं, अगर तथ्यों और सबूत को वह देंगे, तो इसमें जो भी कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे, उन पर कार्यवाही की जायेगी। जब जिलाधिकारी को यह लगा कि शान्त भंग हो जायेगी, क्योंकि मि० दाँतरे जो आर० एस० एस० के थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, सत्याग्रह होना चाहिये, लेकिन इस प्रकार का का नहीं। जो पकड़े गये उनमें 16 क्रिमिनल्स थे, और उन पर मुकदमे चल रहे हैं, वह उसमें मौजूद थे। सत्याग्रह का एक आदर्श रूप है।...

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह —

(मेज पर खड़े होकर) यह मान्यवर, सही स्थिति को नहीं बता रहे हैं....

(श्री दल गंजन सिंह द्वारा कुछ पत्रादि दिखाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आप स्थान ग्रहण करें। आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

यह आरोप लगा रहे हैं।....

श्री दलगंजन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मा. दलगंजन सिंह अपना स्थान ग्रहण करें अथवा सदन छोड़ें।

श्री दलगंजन सिंह—

(मेज पर खड़े रहते हुए) मान्यवर, इसकी खुली जाँच कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं श्री दलगंजन सिंह को इंगित करता हूँ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री दलगंजन सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री दलगंजन सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान एवं शोर)

श्री अध्यक्ष —

मार्शल, श्री दलगंजन सिंह को सदन के बाहर ले जायें ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी (श्री शंकर सिंह, राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राधेश्याम वर्मा तथा श्री धनीराम वर्मा हाउस के फ्लोर पर आकर बैठ गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी आप अपनी सीट पर बैठें ।

[श्री दलगंजन सिंह ने फ्लोर पर आकर मुख्य मन्त्री जी को कुछ कागजात दिये]

(मार्शल की सहायता से श्री दलगंजन सिंह को सदन के बाहर ले जाया गया)

(व्यवधान)

जालौन जिले के कोटा नामक स्थान पर आयोजित सभा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

हम लोग नहीं जायेंगे । हमें सुना जाय ।...

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये समय है । उसको अभी समाप्त नहीं किया है । आपको मौका मिलेगा । आप लोग अपने स्थान पर आकर बैठिये ।

[सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, शंकर सिंह और राधे श्याम वर्मा फ्लोर से आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गये ।]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

मान्यवर, पिछले 5 वर्षों से लगातार जिला प्रशासन का ध्यान दिलाया जा रहा है । उत्तर प्रदेश का कोंच ही ऐसा है जहाँ से लगभग प्रतिवर्ष 1 लाख गोवंश बाहर भेजा

जाता है और बाजारों में जाता है । इस सम्बन्ध में समय-समय पर जांच हुई और जांच के समय सारे प्रमाण पत्र दिये गये और यह प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद हैं उस पर भी जब किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, और उनके भेजे जाने पर रोक नहीं लगी और गोवंश का बाहर जाना चलता रहा, मैंने जिलाधिकारी जालौन को सूचना दी, यदि इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगायी जाती है कानून के बाद भी ये सारी चीजें बाजारों में जाती हैं तो हम इस-इस दिनांक को आम सभा करेंगे और आन्दोलन करेंगे । इस प्रकार की सूचना जिलाधीश को पत्र द्वारा दी गई । यह बिलकुल गलत और झूठ है । 22 तारीख को टेलीग्राम द्वारा परगनाधिकारी को आम सभा की सूचना दी गई । उसके बाद 23 तारीख को आम सभा हुई और किसी तरह की कोई सूचना नहीं हुई । आधे ही में आम सभा समाप्त हो गई और आधे लोग ही बोल पाये थे····

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के प्रश्न पूछिये । आप तो लम्बी चौड़ी सूचना दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मंत्री जी बतायें कि गोवंश जो बाहर बिकने के लिये जाता है उस पर रोक लगाने के लिये आपने क्या किया है । दूसरे जो लोग पुलिस की लाठी चार्ज के द्वारा घायल हुये हैं और जेल के अन्दर जिनको मारा पीटा गया है जिनकी मैडिकल रिपोर्ट मेरे पास है तो आप यह बतायें कि किस तरह से वहां लाठी चार्ज हुआ ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

श्रीमन्, मैं माननीय अग्निहोत्री जी की भावना समझता हूं । मैंने शासन का पक्ष रखा है कि हम इतनी कार्यवाही इस सिलसिले में कर चुके हैं और मैंने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसी कोई बात हुयी हो, डी.एम. को 27-4 को हमने आदेश दिये हैं कि अगर कोई पशु जिले की सीमा से बाहर बिना हमारी परमिशन के जायेगा तो उसकी सूचना हमें दें । 2-9-82 को भी ऐसे आदेश सी०एम०ओ० को गये हैं कि पशुओं की जांच ज्यादा सतर्कता से की जाय । जो डाक्टर ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी । तीसरी बात यह है कि यह पशुओं का मामला है और उसके जो संयुक्त निदेशक हैं वे इस बात की इन्क्वायरी करने के लिये गये कि प्रतिष्ठित नागरिकों की जो रिपोर्ट आयी है उसकी वे विस्तृत जांच करके शासन को दें । हमने यह भी कहा है कि आप हमें पूर्ण तथ्यों से अवगत करायें और यदि किसी आदेश का पालन नहीं किया गया है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान बड़ी नम्रतापूर्वक इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं आपने अपने वक्तव्य की आखिरी पंक्तियों में कहा है कि उक्त गिरफ्तारियों में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज अथवा बल प्रयोग नहीं किया गया । जहां तक नगर कोंच में गौवध का सम्बन्ध है जब भी इस प्रकार की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, तत्काल वांछित कार्यवाही की गई है । मैं दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । माननीय मुख्य मंत्री जी ने राधेश्याम दादरे का नाम लिया जो कि आर० एस० एस० के वर्कर हैं । मैं पूँछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस समय ये लोग जेल में भेजे गये थे तो वहाँ उनका मैडीकल एक्जामिनेशन हुआ उसके बाद ही नन्दकिशोर तिवारी कांग्रेस आई० की वर्किंग कमेटी कोंच के सदस्य थे और उनके साथ ही

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—]

श्री अरुण कुमार दुबे, श्री कैलाश पंचाल श्री केशव खेले, श्री तुलसी राम यादव, डा० हरि राम गुप्त, मूल चन्द अग्रवाल तथा रामप्रकाश भारती को चोटें आयीं। उसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है जो कि जिला अधीक्षक कारागार, उरई ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट को दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को इसकी जानकारी है यदि हां, तो वे कैसे साबित करते हैं कि वहां पर बल का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझे ठीक याद है जब यहां पर बनारसीदास इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो यहां पर एक ऐसा अधिनियम बना था जिसके तहत जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि कोई भी गोवंश जिले से बाहर नहीं जायेगा। महाराष्ट्र और बंगाल में गोवध खुला हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री कह रहे हैं कि हमने 27-4 को फिर से आदेश जारी किये हैं। इसके साफ माने यह है कि शासन ने अपने आदेशों को रिपीट किया है और प्रागदर्शन में यह बात साफ हो गई है···

श्री अध्यक्ष—

आप तो विस्तार में जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। इससे साबित होता है कि वहां पर गोवध हो रहा है तभी तो दुबारा आपने आदेश दिये। भारत की जो प्रधानमन्त्री हैं उनके पास शिकायत गयी तो स्वयं उन्होंने 24 फरवरी, 82 को एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आदेशों का पालन शब्दों में नहीं भावना में होना चाहिये। पत्र की कापी मेरे पास भी है। इनके पास उपनिदेशक की रिपोर्ट आई है उनका समाधान नहीं हुआ है। सम्पूर्ण प्रकरण की नीर क्षीर जांच हो जाय हजारों मन गोमांस वहां से बाहर जाता है जिसका रेल रिकार्ड में दर्ज है। आपके पास रिपोर्ट आई है उससे साबित होता है कि माँस बाहर गया है। मैं साफ साफ जानना चाहता हूँ कि क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच जुडिशियरी अर्थात् जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे जिससे स्थिति साफ हो जाय क्योंकि 20 हजार गायें बाहर गयी हैं। गायों का बाहर जाना ही इसमें नहीं है बल्कि शासनादेशों का पालन नहीं हुआ है, प्रधानमन्त्री के आदेशों की अवहेलना हुई है इस पूरे प्रकरण की जांच हो जाय। दफा 144 थी कि नहीं, क्या लाठी चार्ज हुआ या नहीं उसका सबूत मैंने दे दिया कि मेरे पास डाक्टर की रिपोर्ट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो एक्ट बना है उसको समझ लें। उसमें जानवरों के बाहर जाने पर कुछ अहंतायें हैं उनको जो पूरा करता होगा तब जानवर बाहर जायेंगे वर्ना नहीं। (व्यवधान) जब जिलाधीश को शिकायत मिली कि दूध के पशुओं के नाम पर बाहर के लोगों से एफिडेविट लेकर जानवर बाहर जा रहे हैं। तो इसमें जो जिलाधिकारी कर सकते थे उन्होंने किया और आदेश किया कि अब सीमा से बाहर पशु नहीं जायेंगे क्योंकि उनको शिकायत मिली कि इस प्रकार पशुओं को बेचा जा रहा है और उसकी जांच एस० डी० एम० और ज्वायंट डायरेक्टर पशुपालन कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

वह ब्रिल्कुल तथ्यों से परे हैं···

श्री गुलाब सेहरा—

मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ (व्यवधान) प्रशासनिक दृष्टि से स्टेप्स लिये जा सकते थे वह लिये गये (व्यवधान) हो सकता है एस० डी० एम० और ज्वाइण्ट डायरेक्टर पशुपालन की जो रिपोर्ट हो उसमें आपके तथ्यों का उद्घाटन हो जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। फिर भी आप चाहते हैं तो हम आयुक्त द्वारा फिर से जांच करा लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमों में और भी तरीका दिया हुआ है, उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री शंकर सिंह—

नियमों में लिखा हुआ है कि जो वक्तव्य दे रहे हैं उसको भी तथ्य पर आधारित होना चाहिये। फिर उसमें माननीय सदन का समय लगेगा। (व्यवधान)

मामला माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जहां से शुरू किया वहीं पर है वह केवल यहां पर सदन में खड़े होकर साईकिल चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वह क्यों नहीं बताते कि 20 हजार जानवर बाहर गये जो अनियमित रूप से जा रहे थे और डा० त्यागी ने काफी रुपया लेकर कागज में कोरी रिपोर्ट लिख दी। इस तथ्य को छुपाया जा रहा है। दूसरी चीज क्या यह सत्य नहीं है कि उरई और कौंच से जो मांस गया उसमें बीफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने माना है कि हम बीफ को केवल यह समझते थे कि कि उसमें भैंस का मांस आता है तो उसमें गाय और भैंस दोनों का मांस आता है। जब नागरिकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तब मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। अधिकारियों ने इसमें भारी रकम ली है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो यह सूचना दे रहे हैं। आप स्पष्टीकरण लीजिये।

श्री शंकर सिंह—

एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। कई बार पूछ चुक हैं कि लोग जेल गए हैं उनको चोटें आई हैं।

मान्यवर, आज तक मुख्य मन्त्री जी ने जो उत्तर दिये उसमें किसी में स्वीकार नहीं किया कि जेल में डाक्टरी की गयी और 8 लोगों को चोटें आयीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जांय।

श्री शंकर सिंह—

मैं जानना चाहता हूँ कि डाक्टर त्यागी और दूसरे अधिकारी जो रकमें और घूस लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह तथ्य सही नहीं है कि डाक्टरी जेल में हुई कि नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

भाषण की मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। [व्यवधान]

श्री शंकर सिंह—

[× × ×] [व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, यह नहीं लिखा जायेगा।

[व्यवधान]

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं मा० सदस्यों को अवगत करा दूँ कि जिले से जब विधायकों और जनता ने शिकायत किया तो जो आफिस में रिकार्ड मिला है उसमें 1980-81 में 900 पशुओं को और 1981-82 में 1110 पशुओं को बाहर भेजा गया। लेकिन इसके बाद सोचा गया कि जब प्रतिष्ठित लोग शिकायत कर रहे हैं तो इस पर मैजेस्ट्रियल इंक्वारी के आदेश दिये और एस० डी० एम० को इंक्वारी पर लगा दिया गया। उसके बाद शासन स्तर पर यह विचार हुआ है कि एस० डी० एम० के अतिरिक्त यहाँ का कोई अधिकारी लगा दिया जाय तो उसके लिए संयुक्त निदेशक नियंत्रण पशु को लगाया। 8-9 जनवरी को शिकायत मिली। 20 हजार पशुओं के सम्बन्ध में तो इसमें दो अधिकारियों को जाँच के लिए लगा दिया कि रेकार्ड में इतनी फीगर दर्शायी है और किस रास्ते से गयीं इनका ब्यौरा जनवरी में दिया है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है और जैसे ही रिपोर्ट आयेगी और उसमें जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

आप लोग यदि संतुष्ट नहीं है तो नियमानुसार चर्चा के लिए प्रस्ताव लायें, जिसको मैं देखूँगा।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि धारा 144 किस तिथि को और किस समय लगाई गयी। दूसरी बात क्या सभा में चोटें जिनको लगीं उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी डाक्टरी जेल में हुई ? यदि हाँ, तो किन किन को चोटें आयीं और किस प्रकार की चोटें आयीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मुझे मेडिकल की सूचना नहीं है और दफा दिन में लगाई गयी है।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

यदि संतुष्ट नहीं हैं तो लिखकर प्रस्ताव दे देंगे। आप लोग बैठ जाँय।

नोट :—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

[समय 12 बज कर 48 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 में 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की,– राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली आपूर्ति में कटौती के सम्बन्ध में है ।

दूसरी श्री जटाशंकर सिंह की– गोंडा नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज में बम विस्फोट के सम्बन्ध में,

तीसरी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर में निर्वाचन क्षेत्र महाराज गंज के अन्तर्गत मुख्य सड़क पर व्यापारियों द्वारा अवैधानिक रूप से तीन मंजिला मकान बनाने के सम्बन्ध में,

उससे आगे श्री राम आसरे वर्मा की, अप्रेन्टिस डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में, आगे मोती लाल देहलवी की इलाहाबाद के ग्राम कटरा में एक युवती के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में । आगे श्री गौरी शंकर भैय्या, केदारनाथ सिंह, की सूचना उ० प्र० में जाली नोटों के अवैध प्रचलन के सम्बन्ध में । उससे आगे श्री भीखा लाल, श्री हरिवंश सहाय, श्री रामस्वरूप निम, श्री रामसागर, श्री नन्दकिशोर सिंह और श्री अमीरूद्दीन की सूचना डी० एफ० ओ० द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में । उसके आगे रामगोविन्द जी, श्री गौरी शंकर भैय्या व श्री रियासत हुसैन जी की सूचना– जो हमारे विचाराधीन है और मैं बाद में इसका निर्णय करूँगा । फिर आगे श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की सूचना है, इलाहाबाद के ग्राम भावापुर कालाठाठा में फर्जी इन्काउन्टर के सम्बन्ध में । श्री धनीराम वर्मा की सूचना है इटावा के राधारमण उ० मा० विद्यालय के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में । श्री सरदार सिंह की सूचना–मथुरा जनपद की प्राचीन स्मृतियों को क्षति पहुँचाने के सम्बन्ध में और उसके बाद है डा०वृजकिशोर मिश्र की सूचना देवरिया के निवासी कमला मेहतों के घर पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में । मैंने इन सबको पूरे तरीके से देखा है और मैं केवल जो सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने पहले एक प्रश्न किया और बाद में दूसरे को उठाया है । इसलिए पहली सूचना जो बिजली आपूर्ति की कटौती के सम्बन्ध में है, इसको मैंने सुनने के लिए स्वीकार किया है । दूसरी जो अप्रेन्टिस डिप्लोमा इन्जीनियर्स के अनशन के सम्बन्ध में है इसको सुनने के लिए स्वीकार किया है । तीसरी जो श्री गौरी शंकर भैय्या की जाली नोटों के प्रचलन के बारे में है, इसको सुनने के लिए मैंने स्वीकार किया है । अब पहले मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सुनूंगा !

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, इस समय प्रदेश में जो बिजली आपूर्ति की उपलब्धता है, इसके सम्बन्ध में भीषण संकट पैदा हो गया है । विद्युत परिषद् ने अभी कल ही अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार शहरों और गाँवों में सभी जगह, जो आज भी बिजली मिल रही थी, उसमें अधिकृत रूप से कुछ बिजली की कटौती कर दी गयी है और साथ ही यह भी आशंका पैदा हो गई है कि बिजली अभियन्ता भी अपनी माँगों ग्रीवेन्सेस को लेकर हड़ताल के रास्ते पर जा रहे हैं । वैसे भी मान्यवर, आज कहीं बिजली नहीं मिलती है, अब तो सरकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

तौर पर घोषणा हो गई है। इससे बिजली के उपभोक्ता ही नहीं उद्योग और व्यापार सब ठप हो जायेंगे। सबसे बड़ी खराब स्थिति यह है कि सीतापुर जनपद और ऐसे तमाम जनपदों में सायंकाल जो दुकानों के बन्द करने का समय होता है, उस समय 6 बजे से 8 बजे तक इमरजेन्सी रोस्टिंग के नाम पर भारी कटौती हो रही है, जिसके फलस्वरूप उस अन्धकार में हत्यायें भी होती हैं और व्यापारियों आदि का माल भी लूटा जाता है। इस वारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप इस बिजली की अनुपलब्धता के बारे में यहाँ चर्चा करा दें। यह सूचना अविलम्बनीय है, क्योंकि कल ही यह अधिसूचना जारी हुई है और बिजली अभियन्ता भी हड़ताल कर रहे हैं, जिससे संकट और भी गहन हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर अवश्य चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष

तय तो यह हुआ था कि एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे लेकिन यहां तो पांच-पांच माननीय सदस्य खड़े हैं तो यह कैसे सम्भव होगा ? आप सब लोग बैठें।

श्री मोहन सिंह—

जिन बिन्दुओं को छोड़ दिया है, उन पर बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

यह तो और सदस्य भी कहेंगे।

श्री मोहन सिंह—

पूरा प्रदेश अन्धकारमय हो गया है, पूरे प्रदेश में आज मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है। [व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं.....(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

आजकल के मौसम में किसानों के लिए भी पानी का बड़ा महत्व है और बिजली न मिलने के कारण वह भी उसे नहीं मिल पाएगा। पूरे, प्रदेश में बिजली की कटौती कर दी गई, जिससे उद्योग, कृषि, शिक्षा तथा व्यापार और मान्यवर, आपका भी काम प्रभावित हो रहा है। मान्यवर, आप इस पर चर्चा करवायें, क्योंकि विद्युत परिषद को करोड़ों रुपया यह देते हैं और उसके बाद भी यह अपने कार्यकलापों के बारे में इस सदन को अवगत नहीं कराते हैं, जो नियमों के अनुसार अवश्य होना चाहिये। फिर भीं बिना हमको बताये और प्रदेश की जनता को अगाह किये मनमाने तरीके से बिजली की कटौती हुई है।

(श्री कुंवरसिंह नेगी, श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी के एक साथ खड़े रहने व बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों की भावना को मैंने समझ लिया है। जो कहना चाहते हैं वह मुझे मालुम है। आप लोग बैठ जायें, हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह बिजली की कटौती के बारे में सम्मानित सदस्यों ने कहा, अबकी जाड़ों में वर्षा कम होने के कारण बिजली की कमी का अनुभव किया गया। इस समय जबकि चीनी मिलें भी चल रही हैं, कोल्ड स्टोरेज भी चल रहे हैं, इसलिए कुछ कटौती की गयी, जो कवाल टाउन्स हैं, उनमें 1 घंटा, जो विशेष श्रेणी के नगर हैं, उनमें दो घंटा और जो प्रथम श्रेणी के नगर हैं, उनमें तीन घंटा। बुन्देलखण्ड और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इनको इससे मुक्त रखा गया है। ऐसा इस वजह से किया गया है कि पूरे प्रदेश में जो इस वक्त बिजली का उत्पादन है, उसका वितरण इस रूप से किया जाय कि जनता को राहत मिल सके। किसी एक जगह नगरों में बिजली पूरी तरह से दे देते हैं, ग्रामों में नहीं जाती है, तो मैं समझता हूँ कि यह बात ठीक नहीं होती है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिजली की सप्लाई सही तरीके से की जाय और जनरेशन बढ़ाया जाय। जनरेशन जब और हो जायेगा, तब बिजली रिस्टोर की जायगी। मान्यवर, इसलिए यह कार्य स्थगन का सवाल नहीं है, क्योंकि जो कुछ किया गया, वह प्रदेश की जनता के फायदे के लिये किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, दिन-दिन, रात-रात बिजली गायब रहती है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात को सुन लिया है, माननीय बलबीर सिंह बैठें आप, देखिये बिजली के बारे में डेढ़ घंटे की चर्चा लगी हुई है, उस पर विचार के समय कह लीजियेगा। आप लोग बैठिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक अपरेन्टिस डिप्लोमा इन्जीनियर गत 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है, उसके 11 साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, उनकी हालत गम्भीर होती जा रही है। मान्यवर, ज्यों-ज्यों उनकी हालत गम्भीर होती जा रही है, डिप्लोमा इन्जीनियरों में रोष पैदा होता जा रहा है। मान्यवर, विधायक निवास से विधायक जब सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आते हैं, तो वह अपनी करुण कहानी करीब-करीब सबको सुनाते हैं, और सबसे वे अपनी करुण कहानी कह रहे हैं। मान्यवर, उनकी मांग इतनी न्यायोचित है, जो हमारे पुराने मुख्य मन्त्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही आ रहा हूँ। मान्यवर, उनकी एक ही मांग है कि उनको समायोजित किया जाय। 1977 के जो डिप्लोमा इन्जीनियर थे, वे समायोजित हो गये हैं। 1981-82 के इन्जीनियर्स का अभी तक समायोजन नहीं हो पाया। इन इन्जी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

नियर्स के संरक्षक इसी सदन के माननीय सदस्य भोला पाण्डेय और श्री जगदम्बिका पाल विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं।

[व्यवधान]

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक बुद्धिविहीन मोर्चा के सदस्य वर्मा जी ने जो कहा, मान्यवर, मैं उनका संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन शुभ-चिन्तक हूं। उनकी इस समस्या का हल होना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बुद्धि का ठेका तो सिर्फ श्री भोला पाण्डेय ने ले रखा है, इस पर कुछ नहीं कहना। 4 दिन हो गये भूख हड़तालियों को, कोई भी अधिकारी अभी तक उनके पास उनकी हालत पूछने के लिये नहीं गया है।

मान्यवर, सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जब विधायक आते हैं तो उनको वह घेर कर अपनी न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में पूरी करुण कहानी सुनाते हैं। आप देखें कि उन्होंने जहाँ पर एप्रेंटिस किया है वहीं इनको खपाया जा सकता है, दूसरी जगह नहीं। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी से भी वह मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया है। माननीय भोला पाण्डेय अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जायं लेकिन विरोध पक्ष अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह अविलंबनीय प्रश्न इसलिये है कि 11 लोग आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी स्थिति गम्भीर होती जा रही है। विधायकों का आना जाना तक खतरे में पड़ रहा है, अवरोध पैदा हो रहा है इससे ज्यादा अविलंबनीय प्रश्न और कोई हो नहीं सकता। लोक महत्व का प्रश्न इसलिये है कि वह अपनी न्यायोचित मांगों के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक बात यह रह गयी है कि जगहें भी बहुत-सी खाली पड़ी हैं। इस बिन्दु पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। विद्युत परिषद में जगहें भी बहुत खाली पड़ी हैं जहां पर उनको समायोजित किया जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसको आप स्वीकार करके चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे तो आप चर्चा के लिये स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि शासन इसको देख ले और इस समस्या के लिये कोई न कोई समाधान ढूढ़े, यह मेरा निवेदन है।

श्री भोला पाण्डेय—

मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

काहे के लिये ? आप बैठें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपने दो दिन पहले कहा था कि सरकार देखे, लेकिन देखा नहीं है ।

***श्री अम्मार रिजवी**—

मान्यवर, जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उन्होंने अप्रेंटिस की हैसियत से विद्युत परिषद में कुछ दिन काम किया है । तो प्रश्न जो है इतना सीधा नहीं है जितना समझा जा रहा है । बहुत से ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जूनियर इन्जीनियर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम किया है, एक साल काम करने के लिये मौका दिया जाता है । एप्रेंटिस होने का मतलब यह है कि कुछ दिन काम करेंगे लेकिन यह जिम्मेदारी नहीं होती हैं कि एक साल काम कर लेने के बाद अनिवार्य रूप से वहाँ पर लिया जायगा । लेकिन मानवीय आधार पर माननीय सदस्य ने जो कहा इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और कुछ ऐसा निर्णय किया जाय जिससे उनको फायदा हो । लेकिन साथ ही साथ देखना होगा कि कहीं उनको लेने में ओवर स्टार्फिंग की समस्या तो नहीं हो जाती है । क्योंकि बिजली बोर्ड के सामने यह मसला है कि किस तरह से मितव्ययिता बरती जाय और जो खसार (डेफिसिट) है वह कम किया जाय । एक तरफ जहाँ इन लोगों की जो समस्यायें हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक शासन विचार कर रहा है वहीं पर बिजली बोर्ड की जो समस्या है वह भी शासन के सामने है । इस वजह से यह कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वह बहुत गम्भीर प्रश्न है····

श्री खैरुल बशर—

वह भूख हड़ताल कर रहे हैं····

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

(श्री गौरी शंकर भैय्या को पुकारे जाने पर ।)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, बिजली बोर्ड में बहुत-सी जगहें खाली पड़ी हुई हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

वह आमरण अनशन पर हैं, उनकी हालत गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कह चुके हैं, मैं दोबारा आपको बोलने की आज्ञा नहीं दूँगा । आप लोग बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खैरूल बशर—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कोई चीज नहीं लिखी जायेगी । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप सब लोग बैठें । मुझे निर्णय करने का मौका दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, केवल एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष

आप बैठें ।

***श्री गौरी शंकर भैय्या—**

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है उत्तर प्रदेश में जाली नोटों के अवैध प्रचलक के संबंध में । मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर मैं करना चाहता हूँ कि लगभग एक करोड़ रुपये के जाली नोट उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के अन्दर अवैध रूप से छापकर चलाये जा रहे हैं । और उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वी जिलों में, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बनारस में यह चलन में हैं, यह जिले प्रभावित हैं । मान्यवर, इससे संबंधित लोग पूरे के पूरे तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने कारखाने लगाये हुए हैं । इन कारखानों में यह लोग लाखों रुपये के नोट छापकर चलाने का काम करते हैं । यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की पुलिस और कुछ राज नेता इनको संरक्षण दे रहे हैं, इस नाते आज तक एक भी अपराधी इस गिरोह का पकड़ा नहीं जा सका है ।

मान्यवर, मैंने आपको एक नोट की फोटो स्टेट कापी भी दी हुई है उसमें आप देखें हूबहू यह नोट छापने का काम करते हैं । मेरे पास 20-20 रुपये के यह दो नोट हैं, यह हूबहू छपे हुए हैं । अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं इन्हें शासन को भी जाँच के लिए देने को तैयार हूँ । मान्यवर, यह सारे के सारे जाली नोट पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर चलाये जा रहे हैं, मान्यवर, यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है । इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप इस पर चर्चा करवा दें । मान्यवर, यह लोग 100-100, 50-50 के नोट भी छापते हैं । इसमें यह भी है कि कोई 100 रुपये का नोट दे तो उन्हें यह 300 रुपये के नोट छापकर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप विषय की ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ । मान्यवर, इससे वहां गरीबों में एक अजीब सी स्थति पैदा हो गयी है । गरीब अनपढ़ इसमें पहचान नहीं पा रहे हैं, जब तक इन्हें

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

बारीकी से न देखा जाय, यह पहचान में नहीं आते हैं। मान्यवर सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं, मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें, इसकी जांच के लिए निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जाली नोट के प्रचलन के बाबत जो माननीय गौरी भैय्या ने कहा है, उस संबंध में जांच करा ली जायेगी। माननीय सदस्य यह नोट भिजवा दें। गृह सचिव के जरिये से इंसट्रक्शंस दे दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैंने सबको देखा है। जो पहली सूचना है, उक्त विषय पर डेढ़ घंटे चर्चा लगी हुई है, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना को फिलहाल शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दिया है। जहाँ तक श्री राम आसरे वर्मा को अप्रेंटिस डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा अनशन किये जाने संबंधी सूचना का संबंध हैं, इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। जहाँ तक श्री गौरी शंकर भैय्या की सूचना का संबंध है, उसे शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दिया है, लेकिन जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन सबको कार्य स्थगन के रूप में अस्वीकार करता हूँ ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वक्तव्य कब आयेगा, जो अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, उनके संबंध में क्या होगा ?

(**व्यवधान**)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, वह उनके लिए चिन्ता का विषय है ।

(**व्यवधान**)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होंगे तो चर्चा के लिये विचार किया जायेगा। आप सबके सब बोल रहे हैं मैं आज्ञा नहीं दूँगा ।

(**व्यवधान**)

श्री मित्रसेन—

जो लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री वक्तव्य कब आयेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

14, 15 के बाद हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठें मैंने अस्वीकार कर दिया है मैं आप सबको आज्ञा नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें व्यवस्था का प्रश्न है मैंने वर्मा जी को बुलवा । लिया है आपकी बात बाद में सुन लूँगा । हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा —

मान्यवर, कार्य स्थगन के संबंध में जो प्रस्ताव आय थे उनकी अविलम्बनीयता और महत्व को देखते हुए आपने मौका दिया । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 11 लोग आमरण अनशन पर हैं. उनकी हालत गम्भीर है आपने वक्तव्य का निर्देश दिया पता नहीं वह कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

14 तारीख निर्धारित कर दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा —

आमरण अनशन को तुड़वाने के लिये शासन को निर्देश दं क्यों कि उनकी हालत गम्भीर होती जा रही है । उससे वह मुक्त हो सकें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि चिंता इस बात की नहीं है 11 लोग मर जायेंगे, चिंता इस बात की नहीं है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी । चिंता इस बात की है कि आपकी पीठ से मेरे प्रस्ताव पर निर्देश दिया गया था । कि···

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह बात नहीं कही थी कि उसको स्वीकार किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या किसी ने उनसे बात किया, यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा न करें । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप सब बैठें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तुक नहीं है । मैं आप से बार-बार निवेदन कर रहा हूँ फिर आप बैठते क्यों नहीं हैं ? खैरुल बशर साहब, बैठें आप । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मुहम्मद आजम खां —

वक्तव्य 14 के बजाय कल करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा काम नहीं है यह । क्या संसदीय कार्य मंत्री जी, आप वक्तव्य के लिए कल तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

कल वक्तव्य दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

कल इसकी तारीख निर्धारित की जाती है ।

(व्यवधान)

बैठिये आप । मैं बहुत आदर के साथ आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग एक पद्धति बनायें, चुने हुए व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार से सब के सब शोर मचाने लगेंगे, विघ्न पैदा करेंगे तो यह कोई अच्छा लगता है ? अगर सभी के सभी खड़े हो जायेंगे तो कितना सुना जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है···

[श्री हुकम सिंह को पुकारे जाने पर]

वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री हुकम सिंह**—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में ।

श्री अध्यक्ष —

व्यवस्था या औचित्य ?

श्री हुकम सिंह —

औचित्य का ही सही । आप देखें । कल अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, एक हजार पचपन करोड़, 17 लाख की सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं । आज 10 तारीख है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकम सिंह—]

शायद 10 कार्य दिवस इस महीने में बचे हैं। तो आप स्वयं निश्चित करें कि जो इतना स्वीकृत कराने जा रहे हैं, क्या यह सम्भव हो सकेगा इन 10 दिनों में कि उस की प्रशासनिक और आर्थिक अनुशंसा यहाँ भेज सकें ? आप तीन सौ दिन में, 82-83 के बजट की आर्थिक और प्रशासनिक अनुशंसा जनवरी तक नहीं भेज सके और कुल 10 दिन अब बचे हैं, उनकी अनुशंसा भी जानी है और उसका व्यय भी होना है। तो इतना बड़ा बजट ले कर आप उसे खर्च कर पायेंगे, इस को मैं समझने में असमर्थ हूं। जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका अवलोकन करें, उसमें देखें, दो प्रकार की हैं। एक तो वह जिन मदों पर रुपया स्वीकृत कराया था, शायद पर्याप्त नहीं है, आधिक चाहिए, समझ में आने वाली बात है लेकिन जो रुपया खर्च कर चुके हैं, क्या उसकी स्वीकृति अनुपूरक अनुदानों के रूप में करा सकते हैं। आप मान्यवर, अनुच्छेद 205, भारत का संविधान देखें, इसमें प्राविधान है कि अनुपूरक बजट ले सकते हैं लेकिन क्या प्रारूप होगा, उसके लिए भी मैं आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रेक्टिस और प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट बाई एम०एन० कौल एण्ड एस०एल० शकधर, पेज 610 देखें, केवल चार लाइनें पढ़ना चाहता हूँ—डिमाण्डस फार मनी आलरेडी स्पेन्ट इन एक्सेस आफ दि बोटेड ग्रान्ट आर नाट, दियरफोर मेड बाइ वे आफ ए सप्लीमेंट्री ग्रान्ट बट इन दि फारम आफ एन एक्सेस ग्रान्ट एण्ड डिमाण्डस फार एक्सेस ग्रान्ट्स हैव टू बी प्रेजेन्टेड टू दि हाउस इन दि सेशन इन विच दि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी प्रेजेन्टेड इटस रिर्पोट दियर आन और इन दि फालोइंग सेशन. एकस्पन्डीचर इनकूयरड डूयूरिंग दि प्रीवियस फाइनिशियल इयर कैन नाट बी रिगुलराइस्ड बाई पारलियामेंट बार्ड सप्लीमेंट्री डिमाण्ड फार ग्राण्टस फार दि करेन्ट ईयर।

तो मेरा अनुरोध है, मैं इसकी हिन्दी कर देता हूँ, अतः धन के लिए मांगें, जो पहले स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किया जा चुका है, अनुपूरक अनुदान के रूप में नहीं की जाती हैं, बल्कि आधिक्य अनुदान के रूप में की जाती हैं। आधिक्य अनुदान की माँगें सदन में उस सत्र में प्रस्तुत करनी होती हैं, जिसमें लोक लेखा समिति इस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है अथवा उसे अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय को संसद द्वारा चालू वर्ष की अनुपूरक अनुदान की माँगों से नियमित नहीं किया जा सकता।

आपने कन्टेन्जेन्सी से ड्रा कर लिया और फिर उसे खर्च कर लिया। अब आप अनुपूरक बजट पास कराना किस बात का चाहते हैं ? उसके लिये तो आपको पहले सदन की कमेटी के सामने उसका औचित्य देना पड़ेगा, फिर जब वह समिति अपना प्रतिवेदन करे, तब सदन से उसकी स्वीकृति लेना चाहिये। यह तो आप मंत्री जी, एक नयी परम्परा डाल रहे हैं और यह आपकी वित्तीय अनुशासनहीनता है। न तो आप आडिटर जनरल के सामने गये, न आप सदन की समिति के समक्ष गये, और बिना वहां जायें आप इसे पास कराना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता हैं। मैंने गत वर्ष भी यही प्रश्न उठाया था और माननीय अध्यक्ष ने सारी बातों को सुनने के बाद निर्देश दिया था कि भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिये और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि आगे नहीं करेंगे। आप (मंत्री जी) निर्देशों का कितना पालन करते हैं उसकी मिसाल यह आपके सामने है कि 125 करोड़ रुपया आपने कन्टेन्जेन्सी से लेकर खर्च कर लिया।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, इन्होंने एक्सैस ग्रान्ट और अनुपूरक ग्रान्ट, दोनों को मिला दिया है एक में। इससे यह प्रतीत नहीं होता कि इसमें एक्सेस ग्रान्ट कितने की हैं और अनुपूरक ग्रान्ट्स कितने की हैं। जब यह लिट्रेचर पढ़ते हैं तो उससे जरूर पता लगता है। पर अच्छा यही होता कि एक्सेस और अनुपूरक ग्रान्टों को आप अलग अलग रखते।

इन सब बातों के कारण मैं सदन से अनुरोध करूँगा कि वह इनकी स्वीकृति न दें, आप इसे यहाँ पेश न होने दें, और इनका औचित्य बताते हुये दूसरा सप्लीमेन्टरी बजट मंत्री जी प्रस्तुत करें, ऐसा आप निर्देश दें।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से यह दूसरा सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत किया गया है। पहले 205 करोड़ से अधिक का था, और यह दूसरा 1055 करोड़ का है। इससे प्रकट होता हैं···

श्री अध्यक्ष—

आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री भीखालाल—

इस अनुपूरक बजट पर।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, अभी दूसरा विषय है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह जी ने जो आपत्ति उठाई है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। यह बड़े ही अफसोस की बात है कि इतने योग्य माननीय वित्त मंत्री होते हुए भी यह दूसरा सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है, और वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्यों पेश होता है, कब पेश होता है और उसका सिस्टम क्या है। चाहे यह मेन बजट प्रस्तुत करने के 2 घंटे बाद सप्लीमेंटरी बजट पेश कर दें, चाहें दो माह बाद पेश कर दें, चाहे 10 साल पहले किये गये खर्च को पास कराने के लिये बजट प्रस्तुत कर दें, कोई सिस्टम इनका नहीं है। जो सदन की प्राक्कलन समिति है बिना उसकी स्वीकृति के चाहे यह इसको पेश कर दें, चाहे इन्होंने सप्लीमेंट्री, एवसेस सभी मदों को जोड़कर हलवा बना दिया। हमारे योग्य वित्त मंत्री जी ने यह ध्यान में नहीं रखा कि सप्लीमेंट्री बजट कब आना चाहिये, कब नहीं आना आना चाहिये। इसलिये जो हुकम सिंह जी ने आपत्ति उठाई उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूँ।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)**—

मान्यवर, मेरा विचार है कि योग्य सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनको एक-एक करके ले लिया जाये। पहले यह निश्चित हो जाये कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट है क्या। मान्यवर, अनुच्छेद 205 इस प्रकार है :—

दि गर्वनर शैल इफ दि एमाउन्ट औथराइज्ड बाई एनी ला मेड इन एकारडेन्स विद दि प्रोविजन आफ आर्टीकल 204 टू वी एक्स्पेन्डेड फार ए परट्रीकुलर सर्विस फार दि करेन्ट फाइनिशयल इयर इज फाउन्ड टू वी इनसफिसेन्ट फार दि परपस आफ दैट इयर आर वैहन ऐ नीड हेस एरोईसन डूरिंग दि करेन्ट फाइनिशयल इयर फार सप्लीमेंट्रीं एडीशिनल एकस्पन्डीचर अपान सम नयू सर्विस नाट कनटैम्पलेटड इन दि एनवल फाइनिशियल स्टेमेन्ट फार दैट इयर ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

मान्यवर, इसकी हिन्दी है । जब कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पायी जाती है अथवा उस वर्ष के एनवुल बजट में न दी गयी हो या उक्त विचार न किया गया हो, उसके खर्च करने का प्रश्न सामने आता है, उस वक्त यह सप्लीमेंट्री ग्रान्ट आपके सामने पेश की जाती है ।

अब मान्यवर, उसी के बाद 205-बी० में दिया है :

इफ एनी मनी हैज वीन स्पेन्ट ओन एनी सर्विस डूरिग ए फाईनिशियल इयर इन एकसेस आफ दि एमान्ट ग्रान्टेड फार दैट सर्विस एण्ड फार दैट इयर

एक्सेस ग्रान्ट का मान्यवर संविधान में इस प्रकार प्राविधान है । हिन्दी में देखें मान्यवर । कोई खर्च जो सदन में रखा गया हो, पेश किया गया उससे अधिक खर्च हो गया हो तो वह एक्सेस ग्रान्ट कहलाती है ।

उसके बाद अनुच्छेद 267(2) में कन्टेन्जेन्सी डिफाइन की गयी है :

दि लेजिसलेचर आफ ए स्टेट मे बाई ला इस्टेवलिश ए कन्टिजेन्सी फण्ड इन दि नेचर आफ इन इमप्रेस्ट टू इनटाइटिल्ड, दि कन्टिजेन्सी फण्ड आफ दि स्टेट इनटू विच शैल बी पेड फ्राम टाइम टू टाइम सच सम ऐस मे बी डिटरमाइन्ड बाई सच ला एण्ड दि सेड फण्ड सेल बी पिलेस्ड ऐट दि डिस्पोजल आफ दि गर्वनर आफ दि स्टेट टू इनेवील एडवान्सेस टू वी मेड वाई हीम आउट आफ सच फण्ड फार दि परपोसेस आफ मीटिंग अनफारसीन एक्स-पैंडीचर पेंडिंग औथराइजेशन आफ सच एक्सपिंडीचर बाई दि लेजिस्लेचर आफ दि स्टेट वाइ ला अन्डर अर्टिकल 205 आर अर्टिकल 206.

राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में "राज्य की आकस्मिकता निधि" के नाम से ज्ञात आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा मान्यवर, यह कन्टेन्जेन्सी फण्ड की परिभाषा है । आगे कहा, गया है कि किसी ऐसे समय के लिये जहाँ कुछ खर्च करना शावश्यक हो जाता है, समय समय पर कन्टेन्जेन्सी फंड से रुपया लिया जा सकता है । पेंडिग अथराइजेशन पर जोर दे रहा हूँ ।

मान्यवर, अब विधि द्वारा स्थापना के लिये 1950 का एक्ट देखें । उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम की धारा -5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

यह निधि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अधिकार में दे दी जायेगी और वे उस समय तब जब तक कि राज्य के अतर्कित व्यय विधिकृत विनियोग द्वारा राज्य के विधान मंडल से प्राधिकृत न हो जांये, ऐसे व्ययों की पूर्ति के निमित समय समय पर अग्रिम के रुप में रुपया देने के अतिरिक्त इस निधि को और किसी काम में न लायेंगे तथा उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये राज्यपाल द्वारा अग्रिम के रूप में जितना धन दिया गया होगा उतना ही धन ऐसी विधि के व्यापार में आने के तुरन्त बाद इस निधि में जमा कर दिया समझा जायगा और इस निधि में इस प्रकार संक्रामित (ट्रान्सफर्ड) धनराशि प्रयोजनों के लिये इस निधि का अंग समझी जायगी ।

मान्यवर, माननीय श्री हुकमसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह एक्सेस एक्स-पैन्डीचर के बारे में उठाया है । यहाँ पर एक्सेस एक्सपैन्ड़ीचर हुआ ही नहीं, यहाँ पर कन्टीनजेन्सी से लिया गया है जिसके लिये पूरी तरह से विधि में प्राविधान किया गया है क्योंकि कन्सटीट्यूशन की धारा 267 से भी तथा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि 1950 के द्वारा भी सरकार को पूरा अधिकार है कि जब कभी ऐसा समय आता है तो वह

कन्टिनजेन्सी फण्ड से ले सकती है। जब पैन्डिग एथोराइजेशन की बात आती है जब एथोराइज्ड कर दिया जायेगा, तो वह पैसा उस कन्टीनजेन्सी में जमा समझा जायेगा। एकसिम ग्रान्ट प्राक्कलन समिति के समक्ष उस वक्त आता है जिस समय कोई एक्सिस एक्सीपैन्डीचर किया गया हो परन्तु यहाँ पर तो एक्सीपैन्डीचर कन्टीनजेन्सी से लिया गया है जिसका हमारे उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम में भी इसका प्राविधान है उसके अनुसार दिया गया है लिहाजा यह कहना कि यह औचित्य का प्रश्न उठता है।

मान्यवर पिछले भी हवाले दिये गये हैं माननीय श्री हुकम सिंह जी ने, कार्यवाही छपी नहीं है इसलिये में उसे कोट करना नहीं चाहूँगा। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि जो कार्यवाही है उसको आप मांग लें और मान्यवर, माननीय श्री हुकम सिंह जी को भी अपने कक्ष में बुलाकर उसे देख लें कि उसके अन्तर्गत क्या है। मैं उसे अभी नहीं कहूँगा क्यों कि वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है। मान्यवर, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो संविधान के अनुसार न हो, और कानून के अनुसार न हो। इसलिये इस प्रकार से माननीय श्री हुकमसिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह नहीं बनता है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, सप्लीमेन्टरी बजट है। यह मूल बजट हमारी 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के बीच के लिये रिक्वायरमेंटस, इसका अगस्त में सप्लीमेन्टरी बजट पास हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने कन्सटीट्यूशन की धारा 205 और 206 पढ़ दी। तो माननीय मंत्री और ये बता दें कि अगस्त के बाद कौन सा सप्लीमेन्टरी बजट पास हो जायेगा और न्यू आइटमस् किस सप्लीमेन्टरी बजट में जोड़े जा सकते हैं। वह कौन सा आर्टिकल है वह कौन सा नियम है जिसके तहत आप नये आइटम को रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय हुकम सिंह जी मैंने आपकी बात समझ ली है और सुन ली है अब आप निर्णय लेने दें।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, दो बातें कहनी हैं। माननीय मंत्री जी ने जो एक्सस ग्रान्ट की परिभाषा दी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ केवल एक उदाहरण देकर। मान लीजिये आपने एक काम को समाप्त करने के लिये 2 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये लेकिन दो सौ करोड़ में आप वह काम समाप्त नहीं कर पाये और 50 करोड़ की आपको आवश्यकता पड़ती है और 50 करोड़ रुपया आपने कन्टिग्जेन्सी से लिया है। 50 करोड़ रुपए जो आपने लिया है वह आपका इस्टीमेट था। तो यह 50 करोड़ रुपये आपके अनुमान से एक्सेस है और 50 करोड़ रु० को आप स्वीकृत करायेंगे वह बतौर आप एक्सेस ग्रान्ट लेंगे। अनुपूरक का दूसरा तरीका है और एक्सेस का दूसरा तरीका है। जो आप कन्टिनजेन्सी से रुपया लेंगे वह अनुपूरक नहीं बल्कि एक्सेस ग्रान्ट माना जायेगा। मान्यवर इसी एक्सेस ग्रान्ट के लिये लोक सभा में 1964 और 1974 में तीन बार यह प्रश्न उठाया गया है। लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने लिखा है कि यह रुपया जो देते हैं कन्टिनजेन्सी से यह एक्सेस है, जो कि एक्सेस ग्रान्ट होती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय श्री हुकम सिंह जी, माननीय श्री रियासत हुसैन जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। जहाँ तक औचित्य का प्रश्न उठाया गया है और जो

[श्री अध्यक्ष—]

हमारा संविधान है, उसकी धाराओं को मैंने भली प्रकार देखा है जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे कि औचित्य का प्रश्न तभी बनता है जब नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो मैंने देख लिया है कि जिन नियमों का संदर्भ दिया गया है, उनका किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है। जहाँ तक संविधान की धाराओं का संबंध है, उसको भी धारा 205 और 206 और 267 [1] और [2] को देखा है, उसका भी किसी प्रकार से उलंघन नहीं हुआ है। पिछली बार सदन में जब यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स आयी थीं, तो उपाध्यक्ष जी ने निर्णय दे दिया था, लेकिन शासन से यह अवश्य कहा था कि भवष्य में इस पर ध्यान रखें कि अगर अलग-अलग हो सकता है तो विचार कर लिया जाय, लेकिन पेश करने के लिये या और किसी बात के लिये अस्वीकार नहीं किया था। इसलिये आज मा० हुकम सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसकी आज्ञा नहीं देता हूँ और उसको अस्वीकार करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

[1 बजकर 50 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आधा दिन है, एक घण्टा इस पर चर्चा हो जाय। यह कुल 63 ग्राण्ट्स हैं, अगर 1-1 मिनट लगा तब भी 1 घण्टा 5 मिनट लगेंगे। इसलिये 2 घण्टे का समय इसके लिये निर्धारित किया जाता है।

***श्री मोहन सिंह**—

मान्यवर, मा० वित्त मंत्री जी ने जो दूसरे अनुपूरक अनुदान की मांग इस सदन के सामने प्रस्तुत की है, अभी औचित्व के प्रश्न के दौरान मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि हम अनुपूरक अनुदान की मागें प्रस्तुत कर सकते हैं और यह संविधान के अनुकूल है। इस बात को स्वीकार करते हुए भी यह कहना चाहता हूँ कि उस सरकार को एक लायक सरकार नहीं कहा जा सकता जो अवश्यम्भावी खर्चे हैं, उसको वार्षिक बजट में न प्रस्तुत करके अनुपूरक मांगों के जरिये मांग करें, यह लायक सरकार के लिये शोभनीय नहीं है, यह लायक सरकार की परिभाषा में नहीं आता। अनुपूरक मांगों को देखें तो यह सिद्ध हो जायगा कि बहुत सी ऐसी मदों में खर्च किया है, जिसमें खर्च होना आवश्यक था और अवश्यम्भावी था। अच्छी सरकार वह होनी चाहिये जो साल भर में कौन-कौन मदों में खर्च होना है, इसको देख ले। अनुपूरक मांगों से यह सिद्ध होता है कि इनकी दृष्टि पैनी नहीं थी। जैसी जानकारी थी कि एशियाड होगा तो गाजियाबाद में व्यवस्था करनी पड़ेगी, जब जानकारी थी तो वार्षिक बजट में प्राविधान कर सकते थे लेकिन आपने इसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया। विद्युत परिषद् और राज्य सड़क परिवहन निगम दो ऐसे बड़े संगठन हैं, जिनके बारे में हमेशा टीका-टिप्पणी होती रहती है। सरकार इस सदन को अन्धकार में रखकर उनको कर्जे पर कर्जा देती रहती है। 21 करोड़ रु० कर्जा दे दिया, 10 करोड़ रु० हिन्दी भाषा के संवर्धन के लिये दे दिया, 5 करोड़ रुपया युवा शक्ति का दिया तथा 36 करोड़ रु० विद्युत परिषद् को इन वित्तीय प्राविधानों के अनुसार दिया है। देने की मंशा डाई अरब की है, लेकिन चूँकि साधन सीमित हैं इसलिये 36 करोड़ रु० का प्राविधान मांगा है। विद्युत परिषद् की नियमावली की धारा 61 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि बोर्ड, एनुअल फाइनान्सियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन राज्य सरकार को हर साल फरवरी में पेश करेगा और वह भी प्रिस्क्रा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इब्ड फार्म में तथा आगामी वर्ष में बोर्ड का कितना खर्चा होगा, कितनी पूँजी है और कितनी राजस्व से आमदनी होगी इसके बारे में सम्पूर्ण राज्य सरकार को हर वर्ष फरवरी में आगामी वर्ष का, विद्युत परिषद् देगा । उसके आगे कहा—

दि सेड स्टेटमेंट शैल इनकलूड ए स्टेटमेंट आफ दि सेल्रीस आफ मेम्बरस आफिसरस एण्ड अदर इमपिलाईस आफ दी बोर्ड एण्ड आफ सच अदर पर्टिकूलर एस मे वी परस्कराइब्ड. जो बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी व सदस्य हैं, उनके वेतन भत्ते के बारे में एक वक्तव्य सदन में सम्मिलित होगा, फिर उसके नीचे लिखा है कि—

दि स्टेट गर्वनमेंट शैल एज सून एज मे बी आफटर दि रिसप्टि आफ दी सैड स्टेटमेंट काज इट टू दी लेंड आन दि टेविल आफ दि हाउस.

ज्योंही यह वक्तव्य राज्य सरकार लायेगी और जितना सरकार को सम्भव होगा विधान में इसकी चर्चा रखेगी ।

(इस समय 1 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफारन जाहिदी पीठासीन हुये)

तो मान्यवर, यहाँ पर साफ कहा गया है कि बोर्ड ने क्रियाकलापों के बारे में इस आदरणीय सदन में राज्य सरकार चर्चा रखेगी लेकिन वोटिंग नहीं होगी, चर्चा होगी लेकिन यहां परिणाम इसके उल्टे हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो बोर्ड के क्रियाकलाप हैं और हर साल करोड़ों का घाटा दिखा रहा हैं बराबर और फिर भी यह सरकार बार बार इसको रु० करोड़ों की राशि में देती जा रही है । जिसे यह बोर्ड जन-जीवन की कमाई को बरबाद करके रख देता है । यदि फिर आप इसे 36 करोड़ रु० देना ही चाहते है तो कार्य-कलापों के बारे में यहाँ इस आदरणीय सदन में पूरी तरह डिस्कसन होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर यह सरकार की नैतिकता नहीं है । दूसरी तरफ और 7 करोड़ रु० उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दे रहे हैं जो दूसरे नम्बर पर प्रदेश के विभागों में आता है । इसको यह धनराशि तब दे जब इसके कार्य कलापों मे प्रभावित हों । लेकिन आज आप देखें कि राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से आप कहीं भी किसी अंचल मे यात्रा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं और प्राईवेट बसें न हों जो प्रदेश में काफी संख्या में अनाधिकृत रूप से चल रही हैं और जो राज्य सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, तो यात्री किसी भी स्थान की यात्रा नहीं कर सकते हैं, यदि इनके संचालन को बंद कर दिया जाए, तो यात्रियों को एक आंचल से दूसरे आँचल तक पहुंचना मुश्किल हो जायेगा । राज्य सड़क परिवहन निगम जो दूसरे नम्बर का खाऊ विभाग है । उसकी गतिविधियों पर चर्चा होनी चाहिए और जब उसके सम्बन्ध में यहां पर चर्चा होती है तो यह सरकार कह देती है कि यह निगम है, इसको कोई गम नहीं है और इसकी कोई चर्चा नहीं होती और वार्षिक बजट में भी इसकी चर्चा नहीं होने देते । पी०ए०सी० के जरिए हम लोग कुछ इसके सम्बन्ध में छानबीन यदि करते भी हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है । इसलिए इसकी गति-विधियों पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये तभी वह 7 करोड़ रु० के लेने का हकदार होगा । तीसरे माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गरीब सूबे में ऐसे अधांधुंध खर्चे के कारण ही आज हिन्दुस्तान बड़े पैमाने पर और देशों से पिछड़ता जा रहा है और यही वजह है कि योजना आयोग दिन पर दिन कटौती करता जा रहा है कि जहाँ का मुख्यमंत्री जो यहाँ पर अभी विराजमान थे, चले गये यदि वह सुनते तो कुछ ज्यादा अच्छा रहता कि इनके बंगले के जीर्णोद्धार के लिए, साज और सज्जा के लिए 1 लाख 19 हजार रु० खर्च हो रहा है, जिसको भी यहाँ पर लाए हैं । आज कांग्रेस के अन्दर कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो इसे संभाल सके हर तीन माह बाद मुख्य मंत्री यहाँ का बदलता है और हर मुख्य मन्त्री अपने बंगले की रहाईश पर 5 लाख रु० खर्च करता है ।

[श्री मोहनसिंह—]

यह कोई समझदारी की बात है ? आप एक आवास मुख्य मंत्री के लिये बना दीजिये, कोई भी मुख्य मन्त्री हो वह उस बंगले में रहे, हर एक नये मुख्य मन्त्री के लिये अलग-अलग भवन बनवाने की और प्रदेश के खजाने से उस पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है ? आपने तो परम्परा बना दी है कि जो भी मुख्य मन्त्री आवे, हर एक मुख्य मंत्री को घर मिलेगा । मैं पूछता हूँ कि मुख्य मन्त्री हो जाने के बाद जब वह रिटायर्ड हो जाता है तो क्या वह छोटे बंगले में नहीं रह सकता है ? एक लाख रुपया खर्च करके आपने उनके बंगले की एयर कंडीशनिग करायी तथा साज सज्जा की व्यवस्था की उसके बाद वे चले गये और ये नये मुख्य मंत्री जी आये । अब आप इनके घर पर 1 लाख 19 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वार्षिक बजट में आप फिर दो या ढाई लाख रुपया उस बंगले की साज सज्जा में खर्च करेंगे और हमसे मांग करेंगे एक लाख और 25 हजार की अनुपूरक मांगों के द्वारा । तो इस तरह से इस प्रदेश की सरकार, हमारे गरीब प्रदेश की सरकार रुपया खर्च कर रही है जिसकी कि जितनी निन्दा की जाय, वह कम है । में तीन शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ ।

अधिष्ठाता जी, हमारे पास संसाधन नहीं हैं और हमारी सरकार खैरात बांटने में सिद्धहस्त है और इसे कहां-कहां बाँट रही है यह भी सुन लीजिये । एक विश्व हिन्दी सम्मेलन हो रहा है जहाँ उसके विकास और सम्बर्धन के लिये जो रुपया दिया गया था उसे आपने विद्युत परिषद् को दे दिया और यह हिन्दी सम्मेलन दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार दिवालिया है क्या ? जो आप इस गरीब प्रदेश का पैसा वहाँ भेज रहे हैं ? आपको अपने प्रदेश से कोई लगाव नहीं है, आप अपने संसाधन नहीं देखते हैं और यहाँ का पैसा आप दिल्ली भेज रहे हैं । मुझे कोई एतराज नहीं है कि रामायण मेला न हो । परन्तु मैं कहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता रामायण मेला जैसा समारोह खुद कर लेती है, आप उसके लिये प्रदेश के खजाने का पैसा क्यों लुटाना चाहते हैं ? यदि आप इसके लिये पैसा दे देंगे तो इसी की देखा-देखी दूसरी जगहों से भी मांग आयेंगी की आप हमें भी उसी तरह से धनराशि दीजिये, तो इस तरह से आप यह एक गलत प्रथा डाल रहे हैं ।

अधिष्ठाता जी, दिल्ली में कोई भारत कृषक समाज की ओर से कृषि संघ बनाया जा रहा है जिसमें आडीटोरियम होगा तथा पुस्तकालय आदि होंगे । जब वह बन जायेगा तो हमारे मुख्य मन्त्री जी उसके किसी पेशाब खाने का या पाखाने का उद्घाटन करेंगे क्योंकि उसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा दे रही है । यह कैसी विडम्बना है ? आपको लिफ्ट चलने के लिये चाहिये तो आप उसके लिये भी हमसे पैसा मांग रहे है । विधान सभा में पहले से ही तीन लिफ्ट थीं एक नयी बगल ही में और बना दी गयी और उसके लिये पैसा हमसे ले लिया । एक दिन मैंने देखा कि उस लिफ्ट में एक बोर्ड लगा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका उद्घाटन किया है तो मुझे हंसी आ गयी । मेरे एक मित्र साथ में थे उन्होंने कहा कि अगर मुख्य मन्त्री जी ने उद्घाटन किया है तो आपको क्यों एतराज है ? हमने कहा कि उस पर हमें एतराज नहीं है बल्कि उद्घाटन के अन्दाज पर एतराज है ।

मान्यवर, घोसी में 10 करोड़ की लागत से एक फैक्ट्री लगायी गयी और उसका उद्घाटन राजीव गाँधी करते हैं और हमारे मुख्य मन्त्री जी यहाँ एक छोटी सी लिफ्ट का उद्घाटन करते हैं । तो हमको इस अन्दाज पर एतराज है । आपको यह बात पता थी कि घोसी में फैक्ट्री लग रही है और रानींखेड़ा में मिल लगेगी । आपने कहा और हमने रानी-खेड़ा के लिये ढाई करोड़ रुपया आपको दिया परन्तु मैं तीव्र शब्दों में उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये कहता हूँ कि जितना भी पैसा हमने इन्हें अनुपूरक माँगों में दिया है उसका अधिकांश भाग इन्होंने अपनी फिजूलखर्ची वालों को दे दिया है या खैरात में बाँट दिया है ।

इन्होंने उस पैसे को प्रदेश की उन्नति के संसाधन में नहीं प्रयोग किया है और निरन्तर अनुपूरक माँगों के जरिये पैसा लेते रहते हैं। आपने जब भी अनुपूरक माँगें पेश की हैं, हम सब विरोधी पक्ष ने सदैव इसका विरोध किया है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदापि उस पर ध्यान नहीं दिया है। इनकी अनुपूरक मांगों को इस बार सर्व सम्पत्ति से रिजेक्ट किया जाये, अस्वीकार किया जाय।

श्री भीखा लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक बजट है, इस पर चूँकि समय बहुत कम है, 3-4 बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करा कर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। माननीय मोहन सिंह जी ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूँ। मान्यवर, यह वित्त विभाग की अदूरदर्शिता है और उसी का परिणाम है कि एक साल में इतनी अधिक सप्लीमेंटरी ग्रान्ट इनको लेना पड़ रहा है। बजट बनाते समय वित्त विभाग को इस बात का अन्दाजा होना चाहिए कि कितना खर्च होगा, इस बात का इनको कोई अन्दाजा नहीं होता है। साल के अन्त में यह अरबों रुपये की सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लेते हैं। साल के शुरू में ही यह सब सोच कर रखना चाहिए।

मान्यवर, एक ऋण की बात कही गयी, जिसकी ओर माननीय मोहन सिंह जी ने इशारा किया। परिवहन और ऊर्जा को ऋण दिया जाता है, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऋण आवास विकास को दिया जाता है। इस को 3 करोड़ रुपये का ऋण दिया जायेगा, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ जो काम यह कर रहा है वह भी बहुत अच्छा है, लेकिन मान्यवर इसका जो स्तर है वह बहुत ही खराब है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जो भी आवास विकास द्वारा भवन बनते हैं वह दूसरे साल ही मरम्मत करने योग्य हो जाते हैं, दो साल में ही उनका प्लास्टर उनकी छत गिरने लगती है। आप लखनऊ में देखें, बहुत सी बरसों पुरानी इमारतें हैं, परन्तु उनका प्लास्टर और छत नहीं टूटी तो इनके बनाये हुए मकानों की छतें और प्लास्टर एक ही साल में क्यों टूट जाते हैं। इस ओर शासन का ध्यान जाना चाहिए। इसके काम के स्तर को ऊँचा उठाने की जरूरत है। आप सोचें जो मकान जनता को दिये जाते हैं, जनता उन के लिए पैसा देती है तो उसका स्तर तो ठीक होना चाहिए। इस पर सरकार ध्यान दे।

दूसरी बात मान्यवर मैं खादी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो खादी उद्योग है इस पर सरकार छूट देती है। अनुपूरक बजट में एक करोड़ 90 लाख रुपये की मांग की गयी है। 40 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया, चूँकि पैसा कम पड़ गया इसलिए जो छूट दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी जा सकी। मैं खादी का विरोधी नहीं और खुद भी पहनता हूँ लेकिन कमीशन की सरकार जाँच पड़ताल करे। जो खादी विक्रेता होते हैं, उनको सरकार छूट देती है, परन्तु जब यह छूट की घोषणा की जाती है जो 5 परसेंट या 10 परसेंट होती है तो खादी विक्रेता उतनी ही कीमत से दाम बढ़ा देते हैं। फर्जी सेल दिखायी जाती है, जिससे उनको कमीशन अधिक मिल जाये। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर उसे ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, एक बात की ओर मैं शासन का ध्यान और आकृष्ट करना चाहूँगा कि उसकी ओर से यह घोषणा की गयी कि किफायत की जायेगी, कुछ मितव्ययता की जायेगी। दो साल से जो जगह रिक्त पड़ी हुई है उसको सरेन्डर कर दिया। 6 महीने से यदि कोई पद खाली है तो भरा नहीं जायेगा। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस सिलसिले में एक प्रश्न उठाया था कि सैकड़ों अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं जो अब निकाल दिये जायेंगे। इस तरह से आप मितव्ययता कर रहे हैं। इस बजट में नई-नई कारें खरीदने का प्राविधान किया गया है। सरकार को इनके उपयोगिक विषय में इस तरह ध्यान देना चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि कारें और जीपें अधिकारियों को न दी जांय। उनको जीपें और कारें दी जांय लेकिन उन्हीं को दी जांय जो ग्रामीण

[श्री मीखालाल—]

क्षेत्रों में विकास कार्यों में लगे हुए हैं। उससे उनके कार्य में इफिसियेन्सी बढ़ती है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि उनका दूरुपयोग हो रहा है। इसकी तरफ सरकार ध्यान दे। आज हम देखते है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी अथवा दूसरे मंत्रीगण जब लखनऊ में यहाँ पर जिलधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं तो दूरस्थ जिले जैसे बलिया है वहां का जिलाधिकारी अपनी कार में अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ आते हैं और वापस जाते हैं। इसी तरह से देहरादून से, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद से जिलाधिकारी अपनी कारों में यहां आते हैं और वापस जाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इतनी दूर से कार में यहां आयेगा उस पर कितना खर्च होगा और यदि वह ट्रेन से यहां आयेगा तो उसके टी० ए० में कितना खर्च होगा। यदि ट्रेन से आने पर खर्चा कम होता है तो निश्चय ही मैं कहना चाहता हूँ कि उनको यहां कारों से आने की जरूरत नहीं है। लखनऊ या आस-पास के जिलों से कारों में आने का औचित्य तो हो सकता है लेकिन दूरस्थ स्थानों से कारों में आना मितव्ययता का प्रतीक नहीं हो सकता। आपने डी० एम० जो जिलों में हैं उनको जीपें दी हैं और कारें भी दी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री मीखा लाल—

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूँ। डी० एम० दौरे पर निकलते हैं तो वे कारों पर जाते है और साथ में जीपें भी ले जाते हैं। इस तरह से एक ही अधिकारी के लिए कार भी जाती है और जीप भी वे ले जाते हैं जिससे कि उन पर पेट्रौल आदि पर दुगना खर्चा आ जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

आपने कहा है कि हम अनुपूरक बजट द्वारा नान-प्लान पर कोई खर्च नहीं करेंगे और न ही कोई नया पद सृजित करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट में आपने प्लान से बाहर भी नये पद सृजित किये हैं। इसलिये आपकी कथनी और करनीं में बड़ा फर्क है।

एक आखिरी बात कहकर में अपनी बात समाप्त करूँगा। ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 7 करोड़ रुपया दिया है। अनुपूरक बजट से मैचिंग ग्रान्ट जो राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए मांग की गई है। आपने आकस्मिकता निधि से उसमें खर्च किया है और उसके लिए आप सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांग रहे हैं। सूखा और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये तथा सड़कों आदि की मरम्मत के लिये आपका पैसा जिलों में अब जा रहा है। वह जो पैसा आपने दिया है जैसे एन० आर० पी० के लिये दिया है उसका उपयोग इस साल नहीं हो पायेगा। यह पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और वह बच जायेगा और सरेन्डर हो जायेगा। मान्यवर, अभी एक चर्चा कामरोको प्रस्ताव के जरिये हुयी थी। हमारे डिप्लोमा इन्जीनियर्स बाहर अनशन कर रहे हैं। उनके बारे में सरकार आश्वासन दे देती तो हम उनकी अनशन छुड़वा देते। इसके अलावा मान्यवर, एक डी० एफ० ओ० दस दिन से अनशन कर रहा है। वह भूतपूर्व सरकारी अधिकारी हैं। 1 मार्च से अनशन कर रहा है। उसका कहना है कि जब वह सर्विस में था तो उसने दूसरे उच्च अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाये थे। वह एक ईमानदार आदमी है। लेकिन उन अधिकारियों का तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उनकी गिरोहबन्दी से उस अधिकारी को डिमोट कर दिया गया। जब उस आदमी को बहुत दुख हुआ तो सरकार के पास उसने कंडीशनल इस्तीफा दे दिया।

मान्यवर, कन्डीशनल इस्तीफा जल्दी स्वीकार नहीं होता है लेकिन उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। उसके खिलाफ उसने एक दफे भूख हड़ताल भी की थी। यहाँ पर एक प्रश्न इस मामले में माननीय केदारनाथ सिंह ने रखा था और उन्होंने पूछा था कि शासन इसकी जाँच करे लेकिन आज तक उनके अनशन को तोड़ने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वे 1 मार्च से अनशन कर रहे हैं। मैं दो दिन से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हमारे वन राज्य मंत्री माननीय संजय सिंह कोई जवाब नहीं देते। वे चाहते हैं कि सरकार ने आजतक किसी भी उनके पत्र का जवाब नहीं दिया है तो कम से कम वे पत्र का जवाब तो दे दें। उन्होंने जो भ्रष्टाचार के बिन्दु उठाये हैं उनकी सरकार इन्क्वायरी करे। और जो दोषी पाया जायेगा उसको सजा दी जायेगी लेकिन सरकार क्या कार्यवाही कर रही है उसे आप जनहित में न बतायें लेकिन एक पत्र देने में क्या आपत्ति है। माननीय संजय सिंह राजी हो गये थे लेकिन नौकरशाही ने उनको पाठ पढ़ा दिया जब कि उन्होंने आश्वासन दिया था पत्र चला जायेगा लेकिन वह नहीं गया। तो जन समस्याओं पर ध्यान जाना चाहिये उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता —

[श्री रिसायत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर] समय का जरा ध्यान रखें। मेरा ख्याल है 5 मिनट में काम चल जायेगा।

***श्री रियासत हुसैन**—

श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है पिछला बजट जो इतना भारी बजट था जिसमें आपने 40 अरब रुपये मांगे थे उससे आपका पेट नहीं भरा फिर अगस्त में 2 अरब फिर ले लिये अब फिर 10 अरब माँग रहे हैं। केवल दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपके जो बड़े बड़े कारपोरेशन है वे इतने बड़े घाटे पर चल रहे हैं, उसमें आर्या जी का भी निगम है, उसमें लोगों की फौज लगी हुई है, उनके घाटे को पूरा करने का एक ही रास्ता है कि ऋण दे दो। उनमें जो अधिकारीगण जिले से लेकर यहाँ तक हैं उनका एकमात्र काम है, चाहे प्रदेश का विकास हो या न हो, परकेपिटा इनकम बढ़े या न बढ़े लेकिन उनका कमीशन निश्चित रूप से फिट हो जाय ताकि उनके घर का बजट साल भर का खराब न हो? आपका जो ऋण है उसको आप जरा देखे उसमें आपकी क्या तस्वीर आती है। आप दो तीन आईटम को लेकर देखें तो तस्वीर आ जायेगी। 1983-84 में आपके ऊपर जो ऋण है वह 530 रु० परहैड करीब पड़ता जब कि आल इण्डिया की यह फीगर 326 रु० पर हैड है। यानी परसेंटेज आपके ऊपर 530 और सारे हिन्दुस्तान में वह 326 बैठता है। खर्चे में 1977 से लेकर 83-84 तक ढाई सौ गुना एडमिस्ट्रेटिव खर्चा बढ़ गया है।

अब आपने जो कमाई की है वह 1970-71 में जो परकैपिटा इनकम पूरे देश में थी 632 रु० और हमारे प्रदेश में वह थी 486 रु० और दोनों का गैप था 146 रु० का और अब 1980 में 10 साल में आप देखें भारत की परकैपिटा इनकम हो गयी 696 रु० और आपकी हो गयी 515 रु० तो वह गैप हो गया 181 रु० का। इस प्रकार आपकी परकैपिटा इनकम का गैप दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपने यह बड़ी किताब दे दी है। ठीक ही है 10 अरब रुपये माँग रहे हैं तो वह बड़ी होगी ही। मगर अफसोस है जब इसको देखा तो जो खर्चे सामने आये हैं वह किन मदों में खर्च हो रहे हैं मिसाल के तौर पर चीनी के लिए 8 करोड़ रुपया दे रहे हैं क्योंकि मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी। जनरल मैनेजर ने घोटाला किया उसकी कमी इससे पूरी की गयी है। चाहे कोआपरेटिव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

हों या नियम हों उनको कर्जा देकर आपकी जिम्मेदारी हो गयी जो लोगों ने खाया है उसको पूरा करें। एक एक जगह में दो सौ आदमी सरप्लस लगे हुए हैं, गन्ना सेंटर्स में कई आदमी सरप्लस लगे हुए हैं। तो उनका पेट भरने की जिम्मेदारी हो गयी।

इसी तरह जिला परिषदों का खर्चा है। उसमें आपने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की लिस्ट दी है। हमारी समझ में नहीं आता है यह रुपया कहाँ खर्च हो रहा है आपने मुडेर या खड़ंजा के लिए एक गाँव में कहीं पर 14 हजार कहीं पर 31 हजार रु० दिया है जो 31 मार्च तक खर्च हो जाना चाहिये लेकिन वह कैसे खर्च होगा ?....बजट की इस पुस्तिका में जो आपने लिस्ट दिया है उसके अनुसार अभी तक गाँवों में ईंट और खंडजा नहीं लगा है। इसी तरह बिजली के संबंध में लिस्ट में जो गाँव दिये हैं वह हैं ही नहीं, मिसाल के तौर पर बेहरा मदन गाँव मेरे भगतपुर ब्लाक में नहीं है। बहेड़ी गाँव नं० 77 उसी ब्लाक का है जो मिस हो गया है। फिर नं० 86 पर फिर बहेड़ी आ गया है, तो यह कैसे गलती हो गयी है। 31 मार्च तक जो समाप्त होने वाला था उसमें आपने सप्लीमेंटरी बजट रख दिया।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी डेरी हो उसमें लास हो रहा है और ड़ेढ़ से चार करोड़ का लास हो रहा है। आपने 12 करोड़ रुपये डेरी को दिया है जो बड़े दुख की बात है।

मान्यवर, मेरी माँग है कि गवर्नर का पद समाप्त होना चाहिए चूँकि 31 मार्च तक 3,50,000 रुपये उनके टेलीफोन पर खर्च हो रहे हैं। इसमें आप देखें कि हेलीकाप्टर और हवाई जहाज के बिल पेंडिग पड़े हैं और फिर एक जहाज खरीद रहे हैं दो करोड़ रुपये का, जो हैं चूँकि वह आपके लिए कम पड़ रहे हैं और सुविधायें देने के लिए दो करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का आप प्राविधान कर रहे हैं।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम सिंचाई का है उसमें 5 करोड़ रुपये रखा है। इस समय पूरे प्रदेश में दो महीनों से कंटेंजेन्सी से पूरा किया है और फिर रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन 2 महीनों से कहीं भी गूलों की मरम्मत के लिये पैसा नहीं था। इसलिये आप अपनी आदतों को ठीक करें, इस्टीमेट ठीक से बनायें, मूल बजट में जितनी जरूरत हो वह लें, सप्लीमेंटरी नवम्बर-दिसम्बर में लें। लेकिन जैसा पिछली बार कहा गया था कि इस प्रैक्टिस को बढ़ायें, एक-बार सप्लीमेंटरी ले लें और कोशिश करें कि सप्लीमेंटरी बजट समाप्त हो और जो आपका बान्डेड लेबर उधर है उसका आप मिस यूज न करें। (धन्यवाद)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, अनुपूरक अनुदान का स्मरण पत्र जो है उसको मैंने पढ़ा और उसके बाद मै इस नतीजे पर पहुँचा कि सरकार की यह फिजूलखर्ची का परिचायक है और सरकार की दिशाहीनता का यह द्योतक कराने वाला बजट है। इस संबंध में उदाहरण हमारे पूर्व वक्ता श्री रियासत हुसैन ने दिये और कहा कि वी०आई०पीज के लिये आप हवाई जहाज खरीद रहे हैं। यही नहीं पहले एक दिन यहाँ मैंने सवाल किया था कि आपने जो चुनाव के समय अपने निजी कामों के लिये हवाई जहाज इस्तेमाल किया उसका भुगतान कौन करेगा उसमें आपने कहा कि काँग्रेस पार्टी, पी०सी०सी०, करेगी। मैंने इसमें पढ़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि दूसरे प्रदेश के आपके नेता वहाँ चुनाव के लिये आये थे, उनको हैलीकाप्टर पर भेजने का पैसा विधान मंडल से लेने वाले हैं।

(इस समय 2 बज कर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

उसका पैसा भी आप हमसे लेने वाले हैं। यह सरकार की दिशाहीनता का परिचायक है। एशियाड के बारे में आपने देखा, उसके बारे में पहले से खर्चा बहुत है। उसमें आपने कौन से खर्च किये हैं, उनको कहां से उत्पादक खर्च कहा जायेगा। साफ-साफ फिजूल खर्ची उसमें परिलक्षित होती है। 'एशियाड' के कार्यक्रमों को गांव की जनता को दिखाने के लिये 100 टेलीविजन सैट खरीदे गये 50 रंगीन और 50 सादे। मैं जानना चाहता हूँ कि उन सेटों का आपने क्या लगाया ? हो सकता है कि उनको आपने कहीं गेस्ट हाउसेज वगैरह में लगा दिया हो लेकिन वे गांव में कहीं नहीं लगाये गये हैं। यह कौन नहीं जानता है कि जिन्होंने अपने पैसे से भी रंगीन टी०वी० खरीदा था, वह भी बेकार पड़े हैं, उनके लैंस क्योंकि नहीं मिल रहे हैं। आपने यह भी नहीं बताया कि जो 100 बच गये वहाँ कहाँ जायेंगे, उनका स्तैमाल कहाँ होगा ? इसी तरह से गाजियाबाद में तीन-चार सौ पद पुलिस वालों के सृजित कर दिये गये। इतनी पुलिस हमारे प्रदेश में पहले से ही थी, लेकिन उनको वहां न भेजकर नये पुलिस के पद सुजित कर दिये गये। कौन सा कारण था कि जो आपने यह होते हुए भी नये नये पद सृजित किये। एक तरफ तो आप पद सरेन्डर कर रहे हैं और नौकरी में लगे लोगों को निकाल रहे हैं। दो हजार रुपया आपने प्रचार पर खर्च किया, लेकिन जो दो करोड़ रुपया परिवहन निगम को दिया बसों के लिए, उसका भी कहीं कोई सदुपयोग नहीं हुआ। उसकी बसों को हमने देखा है—दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी। उन पर रंगने- चुनने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। दो करोड़ रुपया केवल पालिश में और वार्निश करने में खर्च कर दिया गया है।

इसी तरह से कुछ आंकड़े और आपके सामने लाना चाहता हूँ और इसमें 70-80 नई जीपों का खर्च दिया है। जो अपरिहार्य खर्च आपके सामने हैं, उनके लिए यह अनुपूरक अनुदान का प्राविधान है, लेकिन यह तमाम ऐसे वैसे कार्यों पर खर्च कर लिया गया है। अभी जब मैं बजट पढ़ रहा था, उसमें था कि इतने जेलों में जहाँ हमारी आजादी के सिरमौर मारे गये हैं, वहाँ उनकी स्मृति में कोई चिन्ह लगाये जायेंगे, लेकिन कल आपकी ही पार्टी के श्री विमल प्रसाद तिवारी का सवाल था कि क्या फतेहगढ़ जेल में उस प्रातः स्मरणीय शहीद की याद में कोई स्मृति मनवायेंगे, तो उसके उत्तर में बार-बार टालने के बाद मन्त्री जी ने कहा कि विचार किया जाएगा। लेकिन जब बजट में इसका प्राविधान है, तो सदन में, 'विचार किया जाएगा' कहने की क्या जरूरत थी ? इससे साफ साफ इस बात का पता लगता है कि जनता के दबाव में आकर आप घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उनके प्रति सम्मान करने की आप में भावना नहीं है। नहीं तो नश्तर साहब खड़े होकर कह सकते थे कि साल भर में लगा दिया जाएगा।

लखनऊ महोत्सव के नाम पर आपने बहुत धन लिया है, लेकिन जिन्होंने उसको देखा है उनकी भावना यह बनी है कि वह कुछ भी हो लेकिन लखनऊ का महोत्सव नहीं था। इस क्षेत्र के जो संस्कृति है—कला और संगीत है, उसकी उसमें पूर्ण अवहेलना और उपेक्षा की गई थी। जिसके कारण तमाम जनता ने और प्रेस ने उसका विरोध किया है। जनता पर एक ही असर पड़ा है कि आपने उसको बिलकुल एकमात्र उद्योग प्रदर्शनी बनाकर रख दिया था। उसमें यहाँ के शास्त्रीय संगीत की तो बिलकुल ही अवहेलना की गई थी। सरकार पैसा तो लेती है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करती है। माध्यमिक शिक्षकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अवशेष वेतन देने के लिए आपने पैसा लिया है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले सीतापुर की जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभी तक अवशेष वेतन का भुगतान हुआ ही नहीं है। इसके बारे में विधान सभा में सवाल उठाया था तो मालूम हुआ कि उसका सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन आज तक अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर वह पैसा फिर कहाँ चला गया ?

मान्यवर, अब दूसरी बात की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने हमारे क्षेत्र हरगाँव में एक परियोजना केन्द्र बनाने की बात की थी। वहाँ पर परियोजना की योजना पास हुई थी कि वहाँ पर परियोजना स्थल बनाया जायगा। अब वहाँ पर एक बंगला तो बन जायगा, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग आयेंगे कहाँ से, जब कि परियोजना की योजना को आपने ठप कर दिया। हमारा सीतापुर नगर प्रति वर्ष बाढ़ से बरबाद हो जाता है। माननीय मन्त्री जी ने इसी सदन में प्रश्न के उत्तर में घोषणा की थी कि 400 करोड़ की योजना सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई जा रही है। उस योजना को भी सरकार ने समाप्त कर दिया है। मैं शासन से माँग करना चाहता हूँ कि अगर आपने वहाँ की योजना को मात्र इसलिए निरस्त कर दिया है कि मात्र वहाँ का आपका एम०एल०ए० नहीं है। अगर आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जायगा, तो उचित नहीं होगा। उस पर शासन पुनर्विचार करे। सीतापुर की सीवरेज की समस्या के बारे में, वहाँ की पेय जल योजना के बारे में, आप विचार करें। आपने वित्तीय स्वीकृति उन योजनाओं को दिया है, जहाँ से आपकी पार्टी के चन्द लोग चुनकर आ जाते हैं। यह शासन की नीति नहीं होनी चाहिये। शासन को किसी क्षेत्र की आवश्यकता को देखना चाहिए।

श्री राम सिंह खन्ना—

इसमें पार्टी की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पार्टी की बात नहीं है तो फिर आपने क्यों उस योजना को छोड़ दिया। हमको अभी उत्तर मिला कि छठीं पंचवर्षीय योजना में उसका प्राविधान नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपके राजीव गाँधी जी चुनाव लड़ रहे थे, आपके नेगी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जो दूसरे प्रदेशों के नेता आये थे, उन पर व्यय का पैसा भी आप हमसे ले रहे हैं। अगर शासन की यह नीति बन जायगी कि कहाँ पर कौन नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह जनतांत्रिक भावनाओं के विपरीत, सरकार की नीति है। जहाँ तक आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था की बात है, वहाँ पर उस योजना की स्वीकृति होनी चाहिये। यह आप देख रहे हैं कि यू०पी० निवास को भी पुलिस के पहरे में रखा जायगा। आपके, सबके मंत्रियों के पास शैडो रहते हैं, तो आखिर क्यों खतरा पैदा हो गया है ? मैं समझता हूँ इस तरह के खर्चों की जरूरत नहीं है। होम गार्ड्स के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन मेरी जानकारी है कि होमगार्डस में जो 12 हजार रनर्स वगैरह थे, उनकी जगह पर फिर से अप्लीकेशन काल कर रहे हैं, उनका फिर से मेडिकल होगा। आपने 11 हजार पद निरस्त कर दिया है, केवल 700 ले रहे हैं। मान्यवर, वृन्दावन शोध संस्थान के बनाने की आपने स्वीकृति की है, मैं माननीय राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने रसखान के बारे में क्या किया ? वह भी मथुरा जिले के हैं। इस बजट में जब मैंने पढ़ा कि वृन्दावन शोध संस्थान की बात की गई है तो मेरे मन में यह बात आयी रसखान का कोई स्मारक आप नहीं बना रहे हैं, क्यों। जिस व्यक्ति ने अल्प संख्यक वर्ग का होकर यहाँ की मूल धारा में अपने को समाहित कर लिया, राष्ट्रीय एकता में उनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं होगा। लेकिन उनके

नाम पर आपने कुछ नहीं किया। मैं इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप इन बातों को देखें। आपकी वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं गयी है। इस समय प्रदेश भर के जितने हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज हैं उनमें किसी भी अध्यापक को फरवरी की तनख्वाह नहीं मिली है। 10 तारीख होने जा रही है, इसलिये तनख्वाह नहीं मिली है क्योंकि अनुदान स्वीकृत होकर नहीं गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस बात की व्यवस्था शीघ्र करें और इस बात को ध्यान में रखें कि मितव्ययता होनी चाहिए और अगर सही मानों में आप मितव्ययता करना चाहते हैं तो जीप, कारों और हवाई जहाज को खरीदने की क्या आवश्यकता है ? मैं समझता हूँ कि यह चीजें ठीक नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक मांगें हमारे वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत की हैं उनके विरोध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जो भी इन्होंने धन को आवंटित किया है तो स्मृति पत्र देखने से साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार की जो दूरदृष्टि का लक्ष्य था वह अपने आप में समाप्त हो गया है। लेकिन एक दृष्टि जरूर पहुँची, करीब खजाने पर इनके मंत्रिमंडल की पैनी दृष्टि जरूर पड़ गई। जब भी अनुपूरक अनुदान पेश होते हैं अर्ध कुम्भ का मामला आ जाता है। जल निगम, पुलिस विभाग सभी के मामले अर्ध कुम्भ में आ गये। बहुत बार यह मामले आये तो एक बार में ही आपको सोच समझ कर बनाना चाहिये था। मुझे लगता है कि जब तक यह मंत्रिमंडल संगम की पवित्र धारा में तिरोहित नहीं हो जायगा या आगे आने वाला कुम्भ नहीं आ जायगा तब तक अधिकारियों के खाने पीने के लिये धन मांगते रहेंगे। जल निगम के 12 अस्थायी नलकूपों में से सिर्फ दो के लगाने की क्या आवश्यकता थी ? अगर जरूरत है तो 12 कूप लगा सकते हैं। केवल दो के लिये धन का प्रविधान किया है। इस बजट में पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आप पढ़ें। बहुत धन का आबंटन किया गया है इसका कारण हो सकता है, हमारे वित्त मन्त्री जी हो सकते हैं, नेगी जी हो सकते हैं और अल्मोड़ा या गढ़वाल का चुनाव हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो लघु स्तरीय बीमार इकाइयाँ हैं उनके लिये 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है वह भी केवल 7 परसेंट ब्याज पर। तो कौन-सी ऐसी आवश्यकता थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे मंडलीय निगम हैं जो बीमार हालत में हैं उनके लिये धन का प्राविधान करते। जो बीमार हैं पूरी पूँजी समाप्त कर रहे हैं उनको 7 परसेंट ब्याज पर पैसा दिया है परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आगे आप देखेंगे कि वहाँ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह पर, पहाड़ पर इस समय क्या आवश्यकता आ गई कि उसके लिये 1 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आवासीय भवनों के लिये एक लाख 50 हजार रुपये का प्राविधान किया है। तो क्या यह रुपया 31 मार्च तक खर्च कर लेंगे। मान्यवर, यही नहीं इन्होंने सूखा सहायता समिति बनाई है इसके लिये जो अनुदान आपने दिया है वह 1 लाख 15 हजार का है। इसमें 6 जिले लेने की बात है एक गोंडा को भी आप ले रहे हैं। मेरे जिले में यह समिति है।

मैंने एक सवाल किया था कि इस समिति के कौन पदाधिकारी हैं। कलेक्टर साहब पूरा पता लगाकर हार गये लेकिन आज तक नहीं पता चला पाया कि इसके पदाधिकारी कौन हैं। ए० डी० एम० को मेरे पास भेजा कि आप जानते हों कि कौन-कौन लोग हैं, बता दें तो कम से कम प्रश्न का जवाब भेज दें। इस समिति का क्या काम है जो आपने 1 लाख 15 हजार रुपये इस समिति के लिये रखे हैं। यही नहीं नेपाल के बार्डर पर दो थानों के लिये 4 लाख 90 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। आपके सारे अधिकारी, कस्टम के अधिकारी हैं, थानेदार हैं, यह केवल सुरक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि आपके यहाँ का सामान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

वहां और वहां का सामान यहाँ पहुंचायेंगे । इसका तो प्राविधान पुलिस वाले बजट में होना चाहिए था । लेकिन आपने वह नहीं किया है ।

मान्यवर, बाढग्रस्त ग्रामों या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के लिये केवल 7 करोड़ रुपया है, इसके लिये अगर केन्द्रीय सरकार ने आपको धन दिया था, तो बजट से अच्छी बात होती यदि आप अनुपूरक मांग में 7 करोड़ रुपये के बजाय 14 करोड़ का प्राविधान किये होते । इससे वे गांव जो बाढ़ के दिनों में प्रभावित हो जाते हैं, उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता था, लेकिन आपने वह नहीं किया । आपने जिला सुल्तानपुर में अमेठी में एक प्रशिक्षण संस्थान के बाबत 5 लाख 56 हजार का इसमें रखा है, लेकिन पहले से आपको बजट में इसका प्राविधान करना चाहिये था । जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जहां जायेंगे, वहीं घोषणा कर देते हैं, बिना विधायी स्वीकृति के, विना वित्तीय स्वीकृति के बड़े-बड़े नेता इनके दल के जहां जाते हैं, घोषणा कर देते हैं और उसको लागू करने के लिये यह इस तरह की अनुपूरक माँगें प्रस्तुत करते हैं । तो प्रशिक्षण संस्थान अमेठी में खोलेंगे, उसके लिये धन का इसमें प्राविधान कर दिया, आपको इसको बजट में लाना चाहिये था, बजट में लाकर इसको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिये था । लेकिन मान्यवर, जब इनके नेता गये होंगे, घोषणा की होगी, उससे पहले यहाँ बजट पास हो चुका होगा, तो इसमें उसका प्राविधान कर दिया ।

मान्यवर, लोक प्रशासन, लखनऊ की गाड़ी खराब है, ठीक है खराब हो गई थी, उसे ठीक करा देते, लेकिन कहा गया कि वह ठीक होने की स्थिति में नहीं थी, इसलिये वहाँ के लिये मेटाडोर के वास्ते इसमें एक लाख रुपये का प्राविधान कर दिया । इस मेटाडोर का वहाँ कौन सा उपयोग होगा, यह कौन सा शिक्षण प्रशिक्षण देता है । यही नहीं, मान्यवर, आश्चर्य की बात है कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत लखनऊ शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर सोडियम वैपर लैम्प लगाने की बात कही है, जब गरीब प्रदेश के मुख्यमन्त्री इन विशिष्ट व्यवस्थाओं का ऐलान करते हैं, तो आश्चर्य होता है उसकी व्यवस्था के लिये 5 लाख रुपये के धन की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डेय जी, अब समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

इसका प्राविधान वित्त मन्त्री जी ने कर दिया । ऐसी बात नहीं है मैं इनका व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूँ । यह जब भी वहाँ जाते हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, कोई व्यवधान पैदा नहीं करता हूँ । सम्मान इनका करता हूँ ।

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त—)

जाता हूँ, जाता रहूँगा ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, कोई नई योजना तो नहीं देते हैं । जब जाते हैं, कुछ पम्पिग सेट्स बिकवाते हैं और घोषणा करकेचले आते हैं, वह मेरे लिये सिरदर्द बन जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि आप उस क्षेत्र में जाकर आनन्दित होते हैं तो उस क्षेत्र के लिये कोई नई योजना भी दें, अच्छा हो कोई 50 लाख रुपये की नयी योजना वहाँ दे दें । आपका विशेष लगाव है उस क्षेत्र में आप ही नहीं मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं, मेरी माटी की सुगन्ध ऐसी है

जो इस मन्त्रिमंडल के बहुत से सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये, वहाँ की सड़कों के लिये अधिक से अधिक धन दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का विरोध करता हूँ।

श्री ब्रह्म दत्त

मान्यवर, यह अनुपूरक अनुदान आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनके बारे में यहाँ यह कहा गया कि अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और साल के शुरू में इस बात की कल्पना कर लेनी चाहिये। पिछले वर्ष भी यह बात कही गयी थी, मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि दो तरह की व्यवस्था होती है स्टेटिक और डायनामिक, यह हम स्टेटिक व्यवस्था में नहीं ले रहे हैं। जिस समय जैसी जरूरत होती, जैसी उपलब्धि होती है धन की, उसके हिसाब से व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक प्रयास हमारा रहा कि समय पर बजट प्रस्तुत करें और पहले मौके पर इस माननीय सदन के सामने आये, जो खर्च करने हैं, उसकी यहाँ से अनुमति प्राप्त कर लें। यह सारा अनुपूरक अनुदान है। यह 1055 करोड़ 18 लाख रुपये का है। इसमें से 732 करोड़ 29 लाख रुपया जो है, उसे समायोजित करना है और 84 करोड़ 94 लाख रुपये की भारत सरकार से हमें सहायता मिली है, 138 करोड़ रुपया बचत का है, मंहगाई भत्ते में वृद्धियों तथा अन्तरिम सहायता से सम्बन्धित एक मुक्त प्राविधान के समर्पण से होने वाली बचत 50 करोड़ 60 लाख वार्षिक योजना में समायोजित होना है। 1005 83 करोड़ रुपया इस प्रकार से समायोजित हो जाता है। कुल भार 49 लाख 35 हजार का पड़ रहा है। मान्यवर, अब हमने कन्टेन्जेंसी फण्ड से जो लिया है इसमें उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ को सवा छः करोड़ दिया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये 7 करोड़, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि० लखनऊ को उर्वरक क्रय एवं वितरण हेतु अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति हेतु 21-25 करोड़ दिया है। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कम दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनरुन्नयन के लिये 16 करोड़ 40 लाख सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव के लिये 14 करोड़ 42 लाख दिया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो माननीय सदस्य की निगाह में फिजूलखर्ची हो सकती है लेकिन मेरी निगाह में वह फिजूलखर्ची नहीं है। हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। जैसे आवास विकास परिषद को तीन करोड़ रुपया दिया है। इसमें एतराज हुआ कि उसकी कार्यकुशलता बढ़नी चाहिये। लेकिन आवास व्यवस्था करना महत्वपूर्ण कार्य है। जहाँ हम जनता के लिए व्यवस्था कर रहे हैं अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, वर्तमान कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं वहीं वर्तमान विधायकों के लिए भी यह कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को श्रमिकों के बकाया राशि का भुगतान के लिये 2 करोड़ रुपया दिया है। अगर उन कर्मचारियों का वेतन न मिलता तो इस माननीय सदन में माँग की जाती कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति में कारागारों में स्मृति पटल लगाने हेतु 2 करोड 80 लाख रुपया दिया गया है और हमारा यह प्रयास है कि जहाँ भी किसी गांव या जेल में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का पता चलेगा वहाँ पर यह व्यवस्था करते रहेंगे। मान्यवर, तहसील स्तर तथा ग्रामीण चिकित्सालयों के लिए 43-68 लाख की व्यवस्था की गई है। हमारी स्थानीय निकायों की हालत अच्छी नहीं है उनकी आमदनी बहुत घट गई है। जो ऋण उनको दिया गया था उनकी दशा सुधारने के लिये अब उनको अनुदान में परिवर्तित कर रहे हैं। वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों के लिये 1 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था की गई है।

[श्री ब्रह्म दत्त—]

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का जो अलग से बजट 140 करोड़ है उसी में उसको कह रहे हैं इसके लिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ बढ़ाया या घटाया नहीं है। एक चीज के ऊपर माननीय सदस्यों की नजर नहीं गई कैफेटेरिया पर हम पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं उसमें हम सब मिलेंगे कुछ बात होगी। मान्यवर, तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए 5 लाख रुपया दिया गया है लेकिन कुछ ऐसी संस्थायें होती हैं जैसे मद्रास का कैन्सर इन्स्टीट्यूट है वह किसी जगह विशेष के नहीं होते हैं। हम इतने बड़े प्रदेश के रहने वाले हैं हमको उसमें योगदान करना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम अनुत्पादक खर्चे को नियंत्रण में रखें। लेकिन पहला सप्लीमेंटरी बजट और दूसरा सप्लीमेंटरी बजट जैसी आवश्यकता होती है लेना पड़ता है। अगर प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति करनी है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं यहां जानना चाहता हूँ कि 31 मार्च तक बजट का ही पैसा नहीं खर्च हो पाता तो भी अनुपूरक बजट क्यों पास करा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अब 31 मार्च तक न खर्च होने का प्रश्न नहीं है। अब तो पहले महीने से ही खर्च होना प्रारम्भ हो जाता है। इसके साथ ही साथ अब जिला विकास अधिकारी के लेनर में पैसा रहेगा और एक भी पैसा हम लैप्स नहीं होने देंगे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन जो अंग्रेजों के जमाने से प्रक्रिया चल रही है, 31 मार्च को कतले आम होता है हमारे बजट का, अनाप-शनाप खर्च होता है, तो अनुपूरक बजट क्यों पास करा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अनुपूरक बजट आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों से, जो बातें उन्होंने कहीं, ध्यान दिलाया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार उन पर जागरूक है और उस पर कार्य करेगी। यह प्रदेश के विकास के लिए, वित्तीय नियंत्रण को ठीक रखने के लिए है, आवश्यक है, इसलिए उसको पारित करें।

1982-83 के द्वितीय अनुपूरक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग

[2 बज कर 50 मिनट]

आबकारी एवं मद्य निषेध मन्त्री (श्री विद्या भूषण)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 31,23,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 31,23,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 2— आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 3,00,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 3,00,02,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद अमीन अंसारी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 8,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3— उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 8,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982 – 83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 2 बज कर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद अमीन अंसारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 4— उद्योग विभाग (ग्राम तथा लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,63,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,63,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5 उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद अमीन अंसारी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3,88,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5- उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3,88,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या—6 उद्योग विभाग (लेखा सामग्री और मुद्रण)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी) —

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 6- उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,16,30,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982–83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6- उद्योग विभाग (लेखन–सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,16,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-7 ऊर्जा विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 7– ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 21,78,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982–83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7- ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 21,78,16,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-8 कार्मिक विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 8- कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 5,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8- कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 5,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9- कृषि विभाग (औद्योगिक विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 9– कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 3,10,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष -

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9- कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 3,10,14,000 रुपये की अनुपूरक मार्ग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10- कृषि विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 10- कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 15,30,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10- कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 15,30,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11- खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 11- खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,98,75,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11- खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,98,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12- गन्ना विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12- गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 6,80,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12- गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 6,80,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 8,60,11,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 8,60,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14 गृह विभाग (कारागार)

जेल मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री (राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 3,23,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 3,23,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या -15 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 15- गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 16,45,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15- गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 16,45,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16- गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 16- गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16- गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18 ग्राम विकास विभाग

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री विद्याभूषण)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 18- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 14,40,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 14,40,16,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरिसिंह) —

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 19- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 19,76,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 19,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरिसिंह) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 8,46,69,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 8,46,69,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 21-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 2,63,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 2,63,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

अनुदान संख्या 22-नगर विकास विभाग

आवास एवं नगर विकास मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-22-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 92,17,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22-नगरविकास विभाग के अन्तर्गत 92,17,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

अनुदान संख्या 23-नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-23- नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,27,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 2,27,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

अनुदान संख्या 24-नागरिक सुरक्षा विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव

[श्री अम्मार रिजवी—]

करता हूँ कि अनुदान संख्या-24-नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 96,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 96,53,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

अनुदान संख्या 26-नियोजन विभाग

नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-26-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।]

अनुदान संख्या 29-न्याय विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-29-न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,01,22,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-29-न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,01,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग

आबकारी तथा मद्य-निषेध मन्त्री (श्री विद्या भूषण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 3,48,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 3,48,05 000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफरिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 2,04,03,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 2,04,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32-पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 32-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 18,29,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 18,29,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33-पर्वतीय विकास विभाग

परिवहन मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-33-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 9,20,14,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 9,20,14, 000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34 पशुधन विभाग

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,70,36,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,70,36,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35 पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 13,63,73,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 13,63,73,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

अनुदान संख्या 37 प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 37-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,08,76,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,08,76000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39 मुस्लिम वक्फ विभाग

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता

हूँ कि अनुदान संख्या 39-मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत 52,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39-मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत 52,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 3,12,84,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 3,12,84,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1882-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41 राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के कारण सहायता)

संसदीय कार्यक्रम मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 9,71,65,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अंतर्गत 9,71,65,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ?)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,38,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार को जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,38,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-44 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,38,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-23 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,38,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46-वन विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 46-वन विभाग के अन्तर्गत 2,46,18,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46-वन विभाग के अंतर्गत 2,46,18,000 रुपये की अनुपूरक माँग वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,16,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत, 1,16,52,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 50 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 3,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 3,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत सामूहिक बीमा आदि)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 51 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) के अन्तर्गत 5,45,13,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत सामूहिक बीमा आदि) के अन्तर्गत 5,45,13,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 53—विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 53—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 11,13,000 रुपये कीं अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 11,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54—विज्ञान एवं प्रोद्योग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 54—विज्ञान एवं प्रोद्योग के अन्तर्गत 28,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—विज्ञान एवं प्रोद्योग के अन्तर्गत 28,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 62,49,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 62,49,12,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या—56—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 50,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 50,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्त्रीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (सेवा योजन)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 17,24,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 57—श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 17,24,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58 —संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं० 58 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 4,24,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 58 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 4,24,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 59—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं० 59—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 2,74,39,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 59—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 2,74,39,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिबारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं० 60—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत 5,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 60 - संस्थागत विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत 5,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय, वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं० 61 - संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 42,56 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 61 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 42,56,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62—सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं० 62 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,13,37,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 62—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,13,37,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63—सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं० 63—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 20,16,000 रु० की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 63—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 20,16,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 46,15,07,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न है कि अनुदान संख्या 64—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 46,15,07 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक कार्य विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 66—साँस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 29,22,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक विभाग के अन्तर्गत 29,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रसासन विभाग

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 67— सामान्य प्रसासन विभाग के अन्तर्गत 62,000 रुपये की अनूपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

अनुदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,25, 60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2, 25 60, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये, स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,45,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुनान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,45,38000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आवास भवन श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,42,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकर की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न है कि अनुदान संख्या 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,42,34,000 रुपये की अनुपूरक माँग वितीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या—72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 36,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 36,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 16,96,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 16,96,43,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल का सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 74-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 15,17,40,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 15,17,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 75-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 46,12,77,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 46,12,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76-सूचना विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 76-सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,72 84,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष -

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,72,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77-सैनिक कल्याण निर्माण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 77-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 30,69,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष -

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 30,69,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-78-स्पोर्टस विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 78 स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78-स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 79-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 79-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,00,70,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,00,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83) का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

विधेयक की प्रतियां बांट दी जांय ।

(विधेयक को प्रतियाँ बांटी गई)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करता हूँ ।

श्री ब्रह्मदत्त —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983

31 मार्च, 1983 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष-नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1983 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1982-83 के लिये रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1983 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 10,55,17,90,000 रुपये (दस अरब पचपन करोड़ सत्रह लाख नब्बे हजार केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1983 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	21,23	....	21,23
		पूँजी	10,00	....	10,00
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	2	....	2
		पूँजी	3,00,00	....	3,00,00
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	8,14	....	8,14
		पूँजी	...	....	...
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	1,97,53	26,25	2,23,78
		पूँजी	66,00	23,24	89,24

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3	4	5
5	उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)	राजस्व	...	....	....
		पूँजी	3,88,32	...	3,88,32
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	1,15,80	....	1,15,80
		पूँजी	50	...	50
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1	....	1
		पूँजी	21,78,15	....	21,78,15
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	5,13	43	5,56
		पूँजी	....	...	...
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,70,87	1	1,70,88
		पूँजी	1,39,27	....	1,39,27
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	10,88,20	1,44	10,89,64
		पूँजी	4,41,81	...	4,41,81
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	3,98,75	....	3,98,75
		पूँजी	...	10,11,00	10,11,00
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	55,94	1	55,95
		पूँजी	6,25,00	....	6,25,00
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	10,11	...	10,11
		पूँजी	8,50,00	....	8,50,00
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	3,23,16	....	3,23,16
		पूँजी	...	....	....
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	16,45,27	56	16,45,83
		पूँजी	...	...	...
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	25	....	25
		पूँजी	...	....	...
18	ग्राम विकास विभाग	राजस्व	14,27,50	4	14,27,54
		पूंजी	12,66	....	12,66
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	19,76	1,14	20,90
		पूंजी	...	....	...
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	8,46,68	...	8,46,68
		पूंजी	1	....	1
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	2,63,10	29	2,63,39
		पूंजी	....	....	...
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	90,04,33	....	90,04,33
		पूंजी	2,12,72	...	2,12,72

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3	4	5
23	नगर उड्डयन विभाग	राजस्व	2,27,76	...	2,27,76
		पूंजी	...	...	....
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	96,53	....	96,35
		पूंजी	...	...	....
26	नियोजन विभाग	राजस्व	4,34	....	4,34
		पूंजी	...	....	...
29	न्याय विभाग	राजस्व	1,01,22	52,97	1,54,19
		पूंजी	...	...	...
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	3,48,05	....	3,48,05
		पूंजी	...	....	....
31	परिवहन विभाग	राजस्व	4,03	....	4,03
		पूंजी	2,00,00	...	2,00,00
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	8,29	....	8,29
		पूंजी	10,00	...	10,00
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	4,91,16	71	4,91,87
		पूंजी	4,28,98	39	4,29,37
34	पशुधन विभाग	राजस्व	1,69,25	12	1,69,37
		पूंजी	1,11	....	1,11
35	पशुधन विभाग	राजस्व	19,43	....	19,43
	(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	13,44,30	....	13,44,30
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,04,76	2,06	1,06,82
		पूंजी	4,00	...	4,00
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	52	....	52
		पूंजी	....	...	...
40	राजस्व विभाग	राजस्व	3,12,84	...	3,12,84
	(जिला प्रशासन)	पूंजी	....	...	....
41	राजस्व विभाग	राजस्व	7,00,00	....	7,00,00
	(दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	पूंजी	2,71,65	...	2,71,65
42	राजस्व विभाग	राजस्व	3,38,23	...	3,38,23
	(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी	....	...	...
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	...	3,12	3,12
		पूंजी	....	....	...
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	3,00	...	3,00
		पूंजी	....	...	....

अनुसूची (क्रमश:)

1	2		3	4	5
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	....	32,04	32,04
		पूंजी	...	....	...
46	वन विभाग	राजस्व	2,45,27	....	2,45,27
		पूंजी	91	....	91
47	वित्त विभाग	राजस्व	....	...	...
	(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	5,70,91,88	5,70,91,88
49	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व	1,16,52	...	1,16,52
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	...	....	...
50	वित्त विभाग	राजस्व	3,01	...	3,01
	(राज्य लाटरी)	पूंजी	....	...	....
51	वित्त विभाग	राजस्व	5,45,13	60,77	6,05,90
	(लेखा परीक्षा, अल्प बचत	पूंजी	...	...	...
	सामूहिक बीमा आदि)				
53	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	11,13	...	11,13
		पूंजी	...	...	....
54	विज्ञान एवं प्रोद्योग	राजस्व	28,43	....	28,43
	विभाग	पूंजी	...	....	...
55	शिक्षा विभाग	राजस्व	62,49,12	....	62,49,12
		पूंजी	...	....	....
56	श्रम विभाग	राजस्व	50,27	7,56	57,83
	(श्रम कल्याण)	पूंजी	....	...	...
57	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	17,24	....	17,24
		पूंजी	....	...	...
58	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	4,24	...	4,24
	(निदेशालय)	पूंजी	...	...	...
59	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	2,74,39	30	2,74,69
	(बिक्रीकर)	पूंजी	...	...	...
60	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	5,10	....	5,10
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	....	...	...
61	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	34,56	....	34,56
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी	8,00	...	8,00
62	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	2,13,37	....	2,13,37
		पूंजी	...	...	...

*भारित विनियोग से संबंधित-क्रम संख्या

अनुसूची (समाप्त)

1	2		3	4	5
63	सतर्कता विभाग	राजस्व	20,16	65	20,81
		पूंजी	...	...	....
64	सहकारिता विभाग	राजस्व	55,45	12	55,57
		पूंजी	45,59,62	....	45,59,62
66	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	29,22	....	29,22
		पूंजी	...	....	...
67	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	62	...	62
		पूंजी	....	....	....
69	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2,25,60	....	2,25,60
		पूंजी	....	...	...
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	31,35	5,12	36,47
		पूंजी	1,14,03	...	1,14,03
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,71	14,26	17,97
		पूंजी	1,38,63	....	1,38,63
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	....	....	...
		पूंजी	36,44	...	36,44
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	16,96,32	....	16,96,32
		पूंजी	11	....	11
74	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	13,89,84	15	14,89,99
		पूंजी	1,27,56	...	1,27,56
75	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	27,33,90	....	27,33,90
		पूंजी	18,78,87	12,22	18,91,09
76	सूचना विभाग	राजस्व	92,84	...	92,84
		पूंजी	80,00	....	80,00
77	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	30,96	1	30,70
		पूंजी	...	....	....
78	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	1,02	...	1,02
		पूंजी	...	....	....
79	हरिजन एवं कल्याण विभाग	राजस्व	9,70	...	9,70
		पूंजी	91,00	....	91,00
	योग	राजस्व	3,26,49,39	2,10,13	3,28,59,52
		पूंजी	1,45,19,65	5,81,38,73	7,26,58,38
	कुलयोग	....	4,71,69,04	5,83,48,86	10,55,17,90

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाँय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वतीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 पारिक क़िया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 3 बजकर 35 मिनट]

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 7 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

***उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,33,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,14,17,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां पर जो आबादी रहती है उसकी 86 परसेंट आबादी खेती पर निर्भर करती है । मान्यवर, आजादी के पहले या यों कहें जब हमारी पंचवर्षीय योजनायें शुरू हुईं उसके पहले हमारे प्रदेश में जो पैदावार होती थी वह इतना कम थी कि उससे हम अपनी आजीविका नहीं चला सकते थे । आप जानते हैं कि उस वक्त हमारी आबादी इतनी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद खाने की व्यवस्था पूरी नहीं होती थी । लेकिन आज आबादी इतनी बढ़ गयी है । उस समय हमारा उत्पादन 120 लाख टन था लेकिन आज हमारे प्रदेश का कृषि उत्पादन 245 लाख टन हो गया है । तो इसका मुख्य कारण सिंचाई है क्योंकि जब सिंचाई नहीं होती थी तो इतना कम पैदावार होती थी । आज हमारे यहां सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये गये हैं उससे प्रदेश में इतनी पैदावार बढ़ गयी है कि हम अपने प्रदेश के लोगों के खाने के अलावा दूसरे प्रदेशों को गल्ला भेज रहे हैं, जहाँ कम पैदावार होती है । हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

यहाँ जो प्राकृतिक सम्पदा है जो हमारे साधन हैं खासकर गंगा यमुना और घाघरा का दोआबा जो बहुत फर्टायल है तथा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो वर्ष भर चलती हैं चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो उनमें पानी आता रहता है। यही कारण है कि जहाँ हम खरीफ की फसल कर लेते हैं वहाँ जब वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई के साधन जो हमारे हैं उसकी पूर्ति करते हैं साथ ही साथ रबी की फसल में सिंचाई के साधन अधिक होने से हमारा अनाज का उत्पादन अधिक हो रहा है पहले जहाँ मोटा अनाज होता था वहां अच्छे अनाज की पैदावार जैसे तरह तरह के चावल, गेहूँ आदि की पैदावार आज हो रही है। उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो सरफेस वाटर है उससे हमने बहुत-सी योजनायें बना ली हैं। हमारे प्रदेश में 203 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें से इस समय केवल 175 लाख में कृषि की जाती है और उसमें से भी केवल 68 लाख हैक्टेयर में दो फसली पैदावार हम करते हैं। जितनी जमीन हमारे पास इस समय है उसमें हम खेती नहीं कर पा रहे हैं उसमें सिंचाई का अभाव रहा है। अभी जो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में हमारा सरप्लस वाटर है वह 272 मिलियन एकड़ फीट सरप्लस वाटर हमारे पास है उसमें से 45 मिलियन एकड़ फीट यूज हम कर पाये हैं। इसको प्रयोग किया जाय तो 150 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई कर सकते हैं। अगर इसका उपयोग कर लें तो बहुत बड़ा काम हम कर लेंगे।

इसके साथ भी अंडर ग्राउन्ड वाटर हमारे प्रदेश में बहुत है जो लगभग 100मिलियन एकड़ फीट है। इसमें से केवल 25 मिलियन एकड़ फीट वाटर को हम प्रयोग कर पाये हैं। बाकी वैसा ही पड़ा हुआ है। इस समय जो सरकारी ट्यूबवैल लगे हुए हैं जिनकी बोरिंग हमने की है उनकी संख्या लगभग 23 हजार है और प्राइवेट ट्यूब वैलों की संख्या 150 लाख है। जिससे हम सिंचाई करते हैं। लेकिन यदि हम सारे पानी का इस्तेमाल कर लें तो 50 हजार ट्यूबवैल राजकीय और बहुत से प्राइवेट ट्यूबवैल लग सकते हैं। लेकिन सारे पानी को इस्तेमाल करने के लिये हमारे पास साधनों की कमी है जिससे सारे पानी का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी बड़ी पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं उनका पानी, बरसात में मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ पैदा कर देता है जिससे तरह तरह की समस्यायें यहाँ पैदा होती हैं, इसलिये पहाड़ों में बड़े बड़े रिजरवायर बनाकर पानी से सिंचाई करें और साथ ही साथ बिजली भी पैदा कर सकते हैं जिससे जो उद्योग धन्धों को हम पूरी बिजली नहीं दे पाते हैं, इसलिये आज आवश्यकता है कि औद्योगीकरण करना है, सिंचाई करना है तो बिजली पैदा करना होगा।

मान्यवर, जो रिर्सोसिज प्राप्त हैं प्राकृतिक जो देन है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उन सबके बावजूद भी हम जो बिजली आवश्यकतानुसार पैदा नहीं कर पाते हैं तो इसका एक कारण है कि हमारे पास साधनों की कमी है और यदि साधन हों तो इस प्रदेश के अलावा दूसरे कई प्रदेशों को हम बिजली दे सकते हैं। आज हम कई प्रोजेक्टस की बात करते हैं। जैसे लखवार व्यासी प्रोजेक्ट, विष्णु प्रयाग प्रोजेक्टस आदि बहुत से प्रोजेक्टस हैं लेकिन साधन की हमारे पास कमी है जिससे उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, जो यहाँ प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं उन सबका उपयोग कर लें तो उ०प्र० गरीब नहीं रह सकता है। मान्यवर, जापान आज क्या है वहाँ बहुत सी चीजें नहीं हैं लेकिन वहाँ के लोग मेहनती और परिश्रमी हैं और जो वहाँ प्राकृतिक सम्पदा है उसको वहां पूरा उपयोग किया जा रहा है इसलिये जापान आगे है लेकिन हमारे यहाँ आबादी इतनी है कि उ०प्र० के लोग दूसरे प्रदेशों में और यहाँ तक कि विदेशों में काम करने जाते हैं, तो अपने प्रदेश के लोगों को खाना कपड़ा जो देना है तो सिंचाई और बिजली को दूसरे कामों से प्राथमिकता देना है।

इसीलिये मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में जो प्राइरिटी देना है वह सिंचाई को दी गयी है, इसमें सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

अब मैं मान्यवर, थोड़ा संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि उ०प्र० में उत्तरी भाग पहाड़ी एरिया है और उसके बाद गंगा जमुना का दोआबा है, गंगा घाघरा का दोआबा है, घाघरा और गंडक का दोआबा है, बुंदेलखण्ड है, इस प्रकार उ०प्र० को भौगोलिक दृष्टि से 5 हिस्सों में हम बांट सकते हैं और हम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में आज पहाड़ों में जो सिंचाई के साधन हम कर पाये हैं छोटी-छोटी नहरें बनाकर उससे अब तक 120 हजार हेक्टेयर सिंचाई कर पाये हैं पहाड़ों में। मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में 60 हजार हेक्टेयर की सिंचाई करने का हम प्रबन्ध कर रहे हैं। जो छोटी छोटी योजनायें हैं उनको चलाने के लिये बड़ी कठिनाई हो रही है लेकिन पहाड़ों में जो छोटी छोटी खेती करते हैं उनको पानी की व्यवस्था कर दें तो थोड़ा सा उनका काम चल सकता है, इसलिये उधर ध्यान दिया गया है। और छोटे छोटे रिजरवायर बनाकर पानी की व्यवस्था किया है जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट सेन्टर बढ़ेंगे, पीने के पानी की कठिनाई दूर हो सकेगी और सिंचाई की सुविधा हो सकेगी। यदि उस पानी से बिजली पैदा करते हैं तो छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलेगा।

मान्यवर, वहां पहाड़ों में जो गरीबी है उसको हम इस प्रकार दूर कर सकते हैं। गंगा जमुना का दोआबा जो उपजाऊ है जहां पहले भी सिंचाई का बहुत काम हमने किया है। गंगा-यमुना नहर बनी थी और बाद में उसमें हमने बहुत-सा एक्सपेंशन किया है। इसमें काफी जिले हैं, जो इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाते हैं। उसमें सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, आगरा, इटावा, फर्रूखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि जिले शामिल हैं। मुरादाबाद और बिजनौर भी हैं, तो इस योजना से जो हम कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, नहरों आदि का, उनमे इन जिलों को काफी लाभ होगा। और हो रहा है। टेहरी बांध यदि बन जाता है तो इन ऊपर गिनाए जिलों को जो पानी मिलता है वह रबी की फसल के लिये पूरा नहीं हो पाता है, वह उसके फिर रबी के लिये पूरा पानी मिलने लगेगा। और हम उस ज्यादा एरिया के लिए पानी ले सकेंगे और वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा बढ़ा सकेंगे। इनसे अब वहाँ पर दो पूरी फसलें अच्छी तरह होंगी और एक बड़े एरिया में सिंचाई कर सकेंगे।

आगरा और मथुरा है, जहाँ के बारे में हम सिंचाई को लेकर परेशान रहते हैं। वहाँ पर ट्यूबवैल लगाने के बड़ी दिक्कत रहती है, वहां खारा पानी है। तो जहाँ ट्यूबवैल नहीं लग सकते हैं हमें वहाँ सिंचाई के लिए विशेषकर व्यवस्था करनी है। यदि यह हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं तो हमारी यह दिक्कतें अपने आप दूर हो जायेंगी और सारा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। फिर गंगा-घाघरा का एरिया है। इसमें शारदा नहर और शारदा सहायक दो हैं, जो पहले शारदा नहर है, उससे हम 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करते हैं और शारदा सहायक से भी हम काफी काम करते हैं। जो पिछले जिले हैं, जो हमेशा भुखमरी आदि से परेशान रहते हैं, आज शारदा सहायक बन जाने के कारण काफी ठीक हो गये हैं, उसमें काफी ग्रीनरिब्यूलूशन आया है। जब इसकी नहरें और यह प्रणाली और डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अभी नई नहरें है, उनसे सीपेज आदि की समस्या रहती है, लेकिन चार-पांच साल बाद जब वह पुरानी हो जाएगी, यहाँ के लोग अभ्यस्त हो जायेंगे, तो यह एरिया भी पश्चिमी क्षेत्रों की तरह हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका घाघरा और गंडक है, इसमें बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि आते हैं। इनमें गंडक परियोजना बनी थी, जिसमें गोरखपुर और देवरिया के कुछ एरिया को फायदा हुआ है जिससे आज वहाँ पर अच्छी पैदावार हो गयी है। फिर आपका बहराइच, गोंडा और बस्ती है, जो कि सिंचाई के मामले में सबसे पिछड़े

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

हुए है—कहीं पर 7 परसेंट, कहीं पर 10 परसेंट और कहीं पर 15 परसेंट सिंचाई है। इसीलिए इनके लिए सरयू योजना 300 करोड़ रुपये की बनाई जा रही है, जिससे उपरोक्त तीनों जिलों और गोरखपुर के काफी क्षेत्र को राप्ती के एरिया को पानी मिलेगा और हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतने भारी क्षेत्र में हमने पानी की व्यवस्था कर दी है।

जहाँ तक बुन्देलखण्ड का सवाल है। यह हमारा सूखा एरिया है और वहाँ पर हमें जितनी सिंचाई करनी चाहिए, जितनी सिंचाई की सुविधा सुलभ करानी चाहिए और वहाँ के लोग आशा करते है, उतना हम नहीं कर पाये हैं, न कर पाते हैं। उसके पीछे एक राज है, वहाँ पर मध्यप्रदेश से उनकी जो नदियां आती हैं, उनके पानी के बारे में हम मध्यप्रदेश से समझौता नहीं कर पाते हैं, उसके कारण से हम कोई प्रोजेक्ट बना नहीं पाते हैं। इसके लिये हम लोग समय-समय पर मध्यप्रदेश से बात करते रहे हैं, लेकिन कोई ऐग्रीमेंट नहीं हो पाया है। राजघाट बाँध वहाँ बन रहा है, जिससे झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों में 1.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी और उस क्षेत्र में पानी पहुँच सकेगा।

हम इसी प्रकार छोटे छोटे रिजरवायर बना रहे हैं, जैसे हमें शाहजाद बाँध बनाना है, जिससे ललितपुर और झांसी जिले में 20 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। हमीरपुर में मौदहा बाँध है, उससे 28 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हमीरपुर में होगी और यह 27 करोड़ की हमारी योजना है। इसी तरह उर्मिल बाँध है, जिससे पाँच हजार हेक्टेयर की हमीरपुर में सिंचाई होगी और इसी तरह से हमारा अर्जुन सहायक बाँध है, उससे 61 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकेगी और यह भी 28 करोड़ रुपये की योजना है। केन की जो हमारी नहर प्रणाली है, उससे जितना बांदा को पानी मिलता था आज नहीं मिलता है। रबी की फसल में हम पूरा पानी नहीं दे पाते हैं, तो उसका भी इक्सपैंशन हम कर रहे हैं। पहले 1800 क्यूसेक था, अब हम 2500 क्यूसेक करने जा रहे हैं। हम खरीफ की फसल में पानी दे ही देते हैं और रबी की फसल को हम पानी इस इक्सपेक्शन से दे सकेंगे। मध्य प्रदेश की गंगेटर गंगाऊ परियोजना का नाम लिया गया, हमारी जो मांग है, पानी की, मध्य प्रदेश सरकार इस पर अभी एग्री नहीं हो रही है। अगर हमको पानी मिल गया, जितना हम चाहते हैं, जितना पानी अभी हमको मिल रहा है, उसका तिगुना पानी हो जायगा, अगर मध्य प्रदेश सरकार हमको पानी दे देगी. तो हम अपनी सिंचाई पूरी कर सकेंगे।

स्माल बैराज बनाकर सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे यहां प्रदेश में सिंचाई के काम हो रहे हैं, अगर आने वाले समयों में इस प्रकार से काम करेंगे, तो हम इस काम को सुधार सकेंगे। 20 लाख हैक्टेयर पोटेशियल हम क्रियेट कर रहे हैं। इस प्रकार हम छठी पंचवर्षीय योजना के लिए करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हम सिंचाई में ला सकें। ये जो हमारी सूखी एरिया हैं, इनके लिए डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम लाया गया था। इसमें 8 करोड़ रुपया अगर लगाया जायगा, इसके लिए भारत सरकार से अगर धन मिल गया, तो इस एरिया को सूखे से बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ एक भयंकर बात है, बरसात के दिनों में दो-तीन महीने हमारे तराई के इलाके बाढ़ से परेशान रहते हैं। हमारी बड़ी-बड़ी नदियाँ जो पहाड़ों से आती हैं, मैदानी इलाकों में बहुत सा पानी लाती हैं और इतना पानी और रेत डाल देती हैं कि उनसे वहाँ पर संकट उत्पन्न हो जाता है। घाघरा, गंडक, राप्ती जो बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, ये मैदान में, तराई में पानी डाल देती है, तो मैदानी इलाके इससे परेशान हो जाता है। हमने बाढ़ से बचाने के लिए कुछ प्रयास किये हैं। ड्रेनेज प्लान मैंने 36 जिलों का बनाया

है, कुल 45 जिलों का बनाना है। इसको हम बना लेंगे, तो 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

मान्यवर, बाढ़ को रोकने के लिए राप्ती बेसिन योजना बना रहे हैं, जिसमें 200 करोड़ की आवश्यकता इन कटानों को रोकने के लिए होगी। हम गोमती बेसिन योजना बना रहे हैं, जिससे सीतापुर, लखनऊ, जौनपुर, नीमसार जो गोमती के किनारे बड़े-बड़े शहर हैं, साथ ही साथ जो एरिया गोमती से प्रभावित रहता है, इसको हम पूरा कर देंगे, तो इन सारी एरिया को बाढ़ से बचाया जा सकता है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री भीखा लाल---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने बाढ़ से रोकने के लिए बहुत सी बातें बतायी हैं। गंगा का कटाव जो उन्नाव की तरफ हो रहा है और 2 दर्जन गाँव कट चुके हैं और हर वर्ष एक आध गाँव कट जाता है जिससे गंगा घाट के पुल और शुक्लागंज को खतरा पैदा हो गया है, तो इसके संबंध में जो योजना बहुत दिनों से विचाराधीन है और अभी अमल में नहीं आ सकी है उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। कभी सुनते हैं कि बैराज बन रहा है। केसा पावर हाउस को पानी नहीं मिलता है, उन्नाव के गाँव बह जाते हैं तो इसके लिए क्या योजना है ? जरा प्रकाश डाल दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है बहुत दिनों से गंगा बैराज की बात चल रही है। अगर यह बनाया जाय तो कानपुर और उन्नाव में जो काटन होता है वह रुकेगा और सिंचाई का काम बढ़ सकेगा। इस पर सरकार प्रयास कर रही है कि इस काम को लिया जाय और इसके लिये कार्यवाही कर रहे हैं कि कुछ काम शुरू किया जाय।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो हमारे साधन हैं हमें उनको भी देखना पढ़ेगा। छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ को रोकने के लिये 132 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था प्लान में। लेकिन अभी तक 3 वर्षों में लगभग 56 करोड़ रुपये ही मिल सके हैं।

मान्यवर, हमने राप्ती बेसिन प्लान, गोमती बेसिन प्लान बनाये हैं अगर हम इनको पूरा कर लें तो 600 करोड़ रुपये चाहिए और कुल प्राविधान 3 वर्षों में 56 करोड़ रुपये का हुआ है। तो जो बाढ़ आ रही है, कटान हो रहा है, गतवर्ष जो बाढ़ आयी उसमें 4 सौ 5 सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई, तो इसको रोकने के लिये हमें बहुत बड़ी योजनायें बनानी पड़ेंगी। इसके लिये जब तक धन की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इतना नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, और भी हमारे बहुत से जैसे गंगा बेसिन प्लान, हम बनाने जा रहे हैं, घाघरा बेसिन प्लान, यमुना बेसिन प्लान, हम नहीं बना लेते हैं और सारे काम नहीं कर लेते हैं तो जो बाढ़ के समय रुकावट का काम होता है उसको उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो जितने साधन हैं, उसका हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रायरिटी देते हैं कि कहाँ पर ज्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ ज्यादा नुकसान होता है उस काम को जल्दी करते हैं। और जहाँ पर कम नुकसान होता है वहाँ पर काम बाद में करते हैं। तो मैंने संक्षेप में उत्तर प्रदेश के सिंचाई, बाढ़, सूखे के संबंध में सदन के सम्मुख रखा है। मैं माननीय सदस्यों के सुझाव चाहूँगा जिससे हम आगे जाकर प्रदेश की सिंचाई के लिये और अन्य बातों के लिये काम कर सकें। इन सारी बातों की तरफ आप इशारा करेंगे तो आगे

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

आने वाले समय में जो योजनायें बनायेंगे उनको बनाते समय आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। माननीय सदस्यों की बातों से हमें काफी फायदा पहुँचेगा।

(मेजों की थपथपाहट।)

(श्री मोहन सिंह के कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष —

आपको दोनों तरफ से तालियां मिल गयीं।

***श्री मोहन सिंह** —

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

बड़े इन्तजार के बाद बानगी दिखाई बाबू मोहन सिंह।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने कटौती का प्रस्ताव रखते समय एक रुपया प्राविधान करने की बात कही है।

एक सदस्य—

ज्यादा है।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन मेरी मंशा ऐसी है नहीं। लेकिन जो अपने नियम प्रक्रिया और संविधान है उसके तहत हम इस प्रस्ताव को रखकर सभी आदरणीय सदस्यों को चर्चा में हिस्सा लेने के लिये एक अवसर प्रदान करते हैं। मुझको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई के बारे में कोई संकल्प, लक्ष्य और नीति नहीं है। यह जो कार्य विवरण की पुस्तिका है उसमें इन्होंने जो नीति की घोषणा की है वह नीति केवल जो उपलब्ध सिंचाई के संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग करते हुये यथा संभव सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना है। मैं समझता हूँ यह इनका अपने आप नाकाफी, कमजोर और लचर लक्ष्य है। जब तक कोई भी सरकार एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने सामने नहीं रखेगी, तब तक प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई सफलता भी नहीं मिल सकती। मेरी समझ में सम्पूर्ण और मुफ्त सिंचाई होनी चाहिए वैसे मुफ्त सिंचाई एक आदर्श स्थिति होगी, लेकिन यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुफ्त सिंचाई हमारे संसाधनों को देखते हुये संभव नहीं है तो सम्पूर्ण सिंचाई हमारा लक्ष्य होना चाहिये, उसके साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण सम्पूर्ण रूप से होना चाहिये और आकाश से टपकने वाले एक-एक बूंद को हम समुद्र में नहीं जाने देंगे, जब तक यह हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक हमारा इस प्रदेश को हरा भरा बनाने का जो संकल्प है, जिसकी उद्घोषणा अभी माननीय मन्त्री जी ने की है, उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, मैं इस बात से विभक्ति रखता हूँ। माननीय मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखते हुये, अनुदान की मांगें पेश करते समय एक बात बड़े जोर शोर से कही कि सफलता सिंचाई विभाग की है, हमारा प्रदेश खेती के मामले में तरक्की कर रहा है, लेकिन मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे प्रदेश करीब-करीब दो करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसमें खेती की जा सकती है लेकिन उस 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से केवल 68 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल बोयी गयी, ऐसा क्यों है ऐसा इसलिये है।

एक सदस्य—

दो फसला है।

श्री मोहन सिंह—

मैं आपकी बात मानता हूँ। एक करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें फसल बोवाई हो सकती है, 68 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो दो फसला है, ऐसा क्यों है, यदि आप में संकल्प होता तो आप सम्पूर्ण दो करोड़ हेक्टेयर भूमि को दो फसला भूमि में बुवाने का प्रयास करते, लेकिन आपको इसमें संतोष है कि 68 लाख हैक्टेयर भूमि बोयी गई, ऐसा क्यों है? सिंचाई के बारे में इनकी जो योजनायें हैं, हर साल 5 फीसदी हमारा सिंचाई विभाग का बजट बढ़ रहा है। मान्यवर, 1979-80 में 321 करोड़ का सिंचाई विभाग का बजट था, वह इस साल बढ़कर लगभग 470 करोड़ या 471 करोड़ रुपये के आस-पास का है। 5 फीसदी के हिसाब से हमारा बजट बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका आउटपुट है, रिटर्न है, यह केवल 3 फीसदी है, इसलिये कि अनुत्पादक खर्च आपके विभाग का निरन्तर बढ़ रहा है, तो इमानदारी से मजबूती से इसमें आपको हमको सोचना पड़ेगा। अधिष्ठान पर खर्चा करीब-करीब 70 करोड़ रुपया है, 5-6 करोड़ रुपया हर साल यात्रा व्यय पर आपके विभाग का खर्च हो रहा है, यह एक अफसोसनाक स्थिति है कि इतना अधिष्ठान पर खर्च बढ़ रहा है, और यहां इतना हर साल यात्रा का व्यय बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यदि हम नहरों की लम्बाई के रूप में देखें, 1982-83 में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में नहरों की लम्बाई 57,500 कि० मी० थी, और जो इस साल आपने बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, वह 60,000 कि० मी० केवल है, इसके आधार पर यदि सम्पूर्ण सिंचाई की 2 फसला जमीन बोने की बात सोचते हैं, तो वह असंभव परिकल्पना है। पिछले साल 20,000 राजकीय नलकूप थे, इस साल 22,222 नलकूपों की योजना है। यदि इसी रफ्तार से सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की बात होगी, तो कैसे होगा। डाल योजना में एक करोड़ की मद घटा दी, उसको कम कर दिया, लघु मध्यम श्रेणी की जो सिंचाई योजनायें हैं, उनकी रफ्तार में कमी आयेगी, तो तरक्की नहीं होगी। मदें बढ़नी चाहिये, लेकिन वह लगातार घट रही हैं और यही कारण है कि इस प्रदेश में हम सिंचाई क्षमता बढ़ाने में विफल होते चले जा रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे मुख्य कारण यह है कि जो आपका बजट बढ़ता है, उसी हिसाब से आपके अधिकारियों का हिस्सा भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहिले आपके कितने मुख्य अभियंता थे, अब कितने हो गये हैं, उनकी फौज लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं होनी है। मुख्य अभियन्ता आपके 2-2, 3-3 महीने के लिए हैं, मेरे विधान सभा का कार्यकाल 5 साल का है, मुख्य अभियंता पाँच साल

[श्री मोहन सिंह—]

में आधे दर्जन हो गये । इसके बारे में आपको निश्चित तौर पर यह तय करना होगा कि कोई भी प्रमुख अभियन्ता 4 महीने के लिये जिसका कार्यकाल 3 वर्ष से कम होगा, प्रमुख अभियन्ता के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा । उसका नतीजा यह होता है कि जो पकड़ उनकी विभाग पर होनी चाहिये, जो नीति प्रस्तावित होती है, शासन द्वारा जो नीति प्रतिपादित की जाती है उसका कार्यान्वयन यह ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं । इस पर आपको गम्भीरता के साथ सोचना होगा । दूसरी प्रमुख समस्या बाढ़ की है मान्यवर बाढ़ के लिये इस बजट में न्यूनतम प्राविधान किया गया है । सन् 78 में 5 सौ करोड़ इसके लिये था । श्रीमन् हर साल सामान्य तौर पर 33 करोड़ रुपये का हमारा नुकसान होता है । यह उपज के हिसाब से क्षति होती है । राजस्व विभाग उस बाढ़ के दौरान जो सहूलियत और सहायता देता है वह भी करीब-करीब 20-25 करोड़ हो जाता है । क्या आपका विभाग इस जबरदस्त समस्या के बारे में सोचने के लिये तैयार है । जिस बाढ़ के चलते 5 सौ करोड़ का नुकसान हमारे प्रदेश का होता है उसको नियंत्रण करने के लिये केवल 11 करोड़ का प्राविधान किया गया है । मंत्री जी ने कहा कि राप्ती वेसिन योजना के लिये 3 सौ करोड़ गोमती वेसिन के लिये 2 सौ करोड़ और एक सौ करोड़ और किसी के लिये 16 सौ करोड़ रुपया हो तो बाढ़ योजना की नीति को माननीय मंत्री क्रियान्वित करेंगे ।

इसी सन्दर्भ में अभी माननीय सदस्य ने सवाल किया पिछले साल गंगा बैराज के लिये 11 लाख रुपये आपने खर्च के लिये दिया । उसका बांया तट कट रहा है शुक्लागंज कटने की स्थिति में है । आपको केसा में बिजली उत्पादन की योजना भी बनानी है । लेकिन उस बैराज के लिये एक रुपया भी जिसको टोकन कहते हैं, एक रुपया भी नहीं दिया । मान्यवर, जो गाँवों को ऊँचा उठाने की योजना थी पिछले तीन सालों से सिंचाई विभाग ने एक पैसा इसके लिये नहीं दिया । जो गाँव बाढ़ से डूब जाते है नीचे है उनको उँचा करने की योजना थी लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । पिछले 2-3 सालों से किसी भी बजट या अनुपूरक बजट में एक भी पैसा इस योजना के लिये नहीं दिया जा रहा है । यह काफी अफसोस नाक स्थिति है । हमारी विडम्बना और दिक्कत यह है कि आपके सिंचाई विभाग ने जिस परियोजना पर शुरु में जितने खर्चे का अनुमान किया और जो अनुमानित अवधि थी उसके अन्दर वह योजनायें पूरी नहीं हुई और खर्चा बढ़ता गया । इन योजनाओं के समय से पूरा न होने के कारण इनका खर्च 8 गुना और 10 गुना बढ़ गया । मैं आपको माध्यम से अध्यक्ष महोदय उदाहरण देना चाहता हूँ जैसे 1961 में रामगंगा परियोजना शुरु हुई और यह 66 करोड़ की थी सन् 68 में इसको पूरा होना था लेकिन 167 करोड़ खर्च हो चुका है लेकिन यह योजना अभी पूरी नहीं हुई है । 61 में पश्चिमी गण्डक परियोजना शुरु हुई इसको 68 में पूरा हो जाना चाहिये था यह 61-62 करोड़ की थी लेकिन इस पर एक सौ करोड़ खर्च हो गया । टेहरी की जो परियोजना है प्रारम्भ में जो इसका अनुमान था 167 करोड़ का इस पर 168 करोड़ खर्च हो गया है अब इसका जो अनुमान तैयार किया गया है वह करीब आठ अरब का है । मेरा पूरा विश्वास है कि 1990 तक यह परियोजना पूरी नहीं होगी और इस पर 15 अरब खर्च करना पड़ेगा । दो अरब से कोई योजना प्रारम्भ होती है और पूरा होने तक 15 अरब की हो जाती है । यह इस गरीब प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है । यह गरीब खजाने के साथ अन्याय है ।

मान्यवर, 1 अरब की शारदा सहायक परियोजना प्रस्तावित थी उस पर 4 अरब से अधिक खर्च हो गया । मान्यवर. बेशक यह प्रदेश गरीब है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । हमें इसका सही ज्ञान है । एक साथ अनेक योजनायें लेने से अच्छा है एक योजना ठीक से, मन में विचार करके, पूरा सर्वेक्षण करा कर, उसका मसविदा तैयार करा कर, पूरी योजना तैयार करें और जब तक वह, जो निर्धारित अवधि उसमें, पूरी न हो

जाय, तब तक दूसरी टेक-अप नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से योजनाओं को चलायेंगे तो आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें और जो किसान की बरबादी हो रही है, उसको भी बचाने में आप सफल हो सकेंगे।

एक और अभिशाप हमारे सामने है। नहरों का जाल बिछाया गया। आपने कोशिश की कि हमारा उत्तर प्रदेश हरा भरा हो जाय, सिंचाई की व्यवस्था हो जाय लेकिन उसके साथ-साथ जहाँ जहाँ नहरें फैलीं वहाँ नीचे का जो जल स्तर है, बड़ी तेजी के साथ ऊपर उठता जा रहा है और यही नहीं भूगर्भ सर्वेक्षण सही सही न करने के कारण, भूगर्भ विभाग और सिंचाई विभाग का तालमेल न होने की वजह से योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया गया और इससे सीपेज की समस्या गम्भीर होती गयी। केन्द्रीय जल आयोग है, उसने सम्पूर्ण देश में 36 योजनाओं को टेकअप किया। उसने संतुति की कि 36 योजनाओं, जो पूरे हिन्दुस्तान में हैं, का आधुनिकीकरण करें। उसमें प्रदेश की दो योजनाओं के बारे में टेकअप करने की बात कही-एक तो अपर गंगा कैनाल और दूसरी शारदा सहायक, अगर मैं गलत नहीं हूँ योजना आयोग ने इस पर टिप्पणी कर दी कि नहरों के आधुनिकीकरण के बारे में पंजाब और हरियाना के अतिरिक्त कोई भी सूबा गम्भीरता से विचार नहीं कर रहा है। नतीजा यह हुआ कि जहाँ बजट दिया जाना चाहिए, हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग के निकम्मेपन क कारण आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित पैसा योजना आयोग ने नहीं दिया। उसने हमारी पीठ भी नहीं थप-थपाई, प्रकारान्तर से छीटा-कसी, निन्दा जरूर कर दी और जब तक नहरों का आधुनिकीकरण नहीं होगा, मैंने मान्यवर, जौनपुर जिले में देखा है, वहाँ पर लिफ्ट इरीगेशन है और उसके जरिये नहरों में पानी भेजा जाता है। बीस साल पहले के बने पक्के मकानों को देखा, सब सीपेज की बजह से गिर गये। इसके लिए योजना बनानी चाहिए, नलकूप और नहर विभाग को युद्ध स्तर पर उनको पक्का करने के लिए। युद्ध स्तर पर उन को चालू करना होगा।

नलकूप योजना बनायी। विश्व बैंक की योजना थी, 12 सौ नलकूप लगाये गये, भूगर्भ का जल बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है, 5-6 फिट नीचे ही रह गया है, सम्पूर्ण क्षेत्र दल-दल हो जायेगा। इसलिए नहरों को पक्का करने के लिए युद्धस्तर पर करने की नीति अगर नहीं अपनाई गयी तो सारा इलाका जो हरा भरा करने के लिये नीति आपने बनायी थी, उस से सारा इलाका दल-दल हो जायेगा, बागान समाप्त हो जायेंगे और लोगों के मकान भी गिर जायेंगे। शहरों में आवाद होने के लिए घर बार छोड़ने को मजबूर हो जायेंगे, परिस्थितियाँ ऐसी आ गयी हैं।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग आप से अलग है, ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत है। उसकी सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम सिंचाई विभाग का है। सर्वे करके रिपोर्ट देते रहते हैं, आपका विभाग उस पर अमल नहीं करता। मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूँ कि जिसमें एक नये पैसे का भी खर्च नहीं है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग भी सिंचाई विभाग का ही एक अंग तत्काल बना देना चाहिए। जो उसकी संस्तुतियाँ हैं, उस पर सिंचाई विभाग को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। इसके बारे में आप को सोचना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योंजनायें हैं उनमें जो ठेकेदारी प्रथा है उस पर बहुत दिनों से समय-समय पर चर्चा होती रही है और यह विचार होता रहा है कि काम ठेकेदारी प्रथा से कराया जाये या विभागीय लोगों से। जब फैजाबाद में गोली चलती है तो यहाँ पर यह कह दिया जाता है कि टेन्डर लूटने के लिए गुण्डों के गिरोह ने घेर लिया आदि, पर जब विभाग द्वारा काम कराया जाता है तो यह भी सत्य है कि सारा पैसा आपके इन्जीनियर्स खा जाते हैं। एक समय था जब कि विकास के कामों में जूनियर इन्जीनियर 5 प्रतिशत, सहायक इन्जीनियर 3 प्रतिशत, अधिशासी अभियन्ता 1 प्रति०

[श्री मोहन सिंह—]

इस तरह से कुल मिलाकर 8-9 प्रतिशत ही सब लोग मिल कर खाते थे। जब से अधिशासी अभियन्ता के ऊपर तमाम अधिकारी बना दिये गये हैं, तब से उनका भी प्रतिशत बन गया और यह प्रतिशत सबका बढ़ते-बढ़ते कनवर्ट हो गया है शेयर में। अब तो जो काम होता है उसमें 50-50 का शेयर तय होता है। इसके द्वारा सम्पूर्ण जीवन में आज भ्रष्टाचार छा गया है और ऐसा लगता है कि वह हमारे जीवन का अंग बन गया है। गाँधी जी के आगे की आने वाली पीढ़ी इसको देखकर क्या कहेगी ? मान्यवर, इसलिये में यह कहना चाहता हूँ कि हमें इसको रोकने के तरीकों पर विचार करना चाहिये। इसके लिए आपको अपने विभाग में कुछ ऊपर से प्रशासकीय कार्यवाही करने की जरूरत है। आपकी फाइनेंशियल हैंड बुक में 1939में एक जूनियर इन्जीनियर के लिये वर्क आर्डर की जो सीमा निर्धारित थी अवर अभियन्ता और अधिशासी अभियंता को जो सीमा उस समय में आर्डर प्लेस करने की थी, आज भी वही चली आ रही है जब कि रुपये का मूल्य इतना गिर गया है और योजना का प्रारूप कहीं अधिक बढ गया है। आपको नीचे के स्तर के कर्मचारियों पर, उनकी निष्ठा पर, उनकी नेक नीयती पर विश्वास नहीं रह गया है। नतीजा हो रहा है कि यदि किसी काम की शिकायत हम करते हैं और उसकी जाँच करने के लिये जब मुख्य अभियन्ता भेजा जाता है और उसकी जानकारी में कोई घपला आता है तो वह उनसे कहता है कि भाई, हमारा हिस्सा दो और वह बटवारे की बात करने लगता है। इसलिये आपको अपने नीचे के अधिकारियों पर विश्वास करना पड़ेगा।

इसके अलावा ट्रान्सफर के सम्बन्ध में एक ठोस नीति बनानी होगी। वर्क आर्डर के सम्बन्ध में निर्धारित सीमा को बढ़ाना होगा। यह दोनों काम आपको एक साथ करने होंगे। आज होता यह है कि जो भी इन्जीनियर निर्माण इकाइयों में है, या मैदान में है, वह येन-केन प्रकारेण उसी जगह पर बना रहता है और जो प्लानिंग और डिजाइन सेक्शन में पहुँच गया वह जीवन भर नक्शा बनाते-बनाते ही मर जाता है। इसलिये आपको इसके सम्बन्ध में कोई ठोस नीति बनानी होगी उसी प्रकार से जैसे कि स्वास्थ्य विभाग ने बनायी है। आप यह कर सकते हैं कि जो निर्माण कार्य में 5 साल तक रह ले उसको फिर दो साल तक प्लानिंग एवं डिजाइन में रखा जाये। जो प्लानिंग और डिजाइन में 2 साल रहे, उसे फिर निर्माण में भेज दिया जाय। इसको कम्पलसरी किया जाये। जब इस सम्बन्ध में कोई ठोस नीति आप बनायेंगे तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश आप लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री मोहन सिंह—

ठीक है, मान्यवर, डेढ़ दिन की बहस है। यह इतना बड़ा विभाग है, मैं समझता हूँ कि इसकी करनी यहां जितनी भी सुनाई जाये कम है।

मान्यवर, इनका विभाग व्यापक पैमाने पर खरीद करता है इन्स्ट्रमेंट्स् की। करोड़ों रुपये के इन्स्ट्रमेंट पड़े हैं। वृहद इन्स्ट्मेंट खरीदकर ठेकेदारों को दे देते हैं। ठेकेदारों की आमदनी का इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। धीरे धीरे काम होता है, करोड़ों रुपये के इन्स्ट्रूमेंट बेकार पड़े रहते हैं इस्तेमाल नहीं होते। इनका स्तेमाल होना चाहिये। आपको इस पर एक नीति बनानी चाहिये। बहस डेढ़ दिन तक चलेगी। सभी सदस्यों को इस पर बोलने का मौका मिले। इसलिये मैं अधिक नहीं कहूँगा। एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपके विभाग ने फिजूल खर्ची के लिये कमीशन बना दिया। उसको सिंचाई आयोग कहते हैं। 10 अरब की बाढ़ नियंत्रण की योजना है।

इसको भी आप देखें। उद्वासित नेताओं को पुर्नवास देने के लिये यह आप कर रहे हैं। महत्वपूर्ण नेताओं को समायोजित करने के लिये आपने किसी मोहन सिंह को, मेरे नामधारी को, पुराने उद्वासित राजनेता को इसमें ले लिया। बनाया इन्होंने अपने मोहन सिंह को 150 बधाई पत्र मेरे पास आ गये। मेरे प्रति टिप्पणियां की गयीं। बहुत से हमारे मित्रों ने आलोचना की कि सरकार के हाथों बिक गये। किसी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख दिया कि दोनों रिस्तेदार हैं, विपक्ष के आदमी को खुश करने के लिये पोस्ट दे दिया। आपको मेरा मजाक उडाने के लिये सिंचाई विभाग ब्रिज कमीशन बनाने की क्या आवश्यकता थी। आपका नलकूप निगम है भ्रष्टाचार की जड़। कई करोड़ रुपयों का घपला है। मथुरा में लगे, बेकार हो गये। विश्व बैंक की ओर से नलकूप बनाने की योजना आई। उनका माडल है। मेरी समझ में माडल बहुत ही अच्छा है। अगर उसी तरह की व्यवस्था सारे नलकूपों में कर दी जाये तो समाधान हो जाये। कहीं आपरेटर नहीं है, स्टार्टर नहीं है, मीटर नहीं है और अगर सब है तो बिजली नहीं है। हमारी जो योजना है, बाइस हजार नलकूप लगा दिये। एक नलकूप की 300 एकड़ की सिंचाई क्षमता है, 50 एकड़ से अधिक सिंचाई नहीं कर पाता। सेपरेट लाइन से जोड़ दें तो जो शास्त्री जी को गलत बयानी देनी पड़ती है कि 14 घण्टे बिजली दे रहे हैं, यह न करना पड़े। सारी व्यवस्था ठीक हो जाये। नलकूप निगम में सत्यपाल ने जो एक अधिकारी हैं, उसने जियालाल मुख्य अभियन्ता को पत्र लिखा कि निगम में ऐसा नियम है कि गाड़ियों को निजी प्रयोग के लिये चलाने की इजाजत दी जा सकती हैं।

मान्यवर, श्री बी०सी० मित्तल के पास दिनांक 1-12-1980 से अपने निजी कार्य में चल रही है मान्यवर, कहने का मतलब यह है कि ये विभाग की गाड़ियां हैं। एक तो अपने चलाने के लिए और दूसरी अपने परिवार के चलाने के लिये और एक अपने रिश्तेदारों के चलाने के लिए होती है। इन नियमों के बारे में चूँकि विधान सभा में बहस नहीं होती है इसलिये उसके सारे संसाधनों का उपयोग उसमें बैठाये गये अधिकारीगण करते हैं और उसके सारे संसाधनों का अपहरण करके हमारे प्रदेश के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मान्यवर, इसीलिये केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिया है कि जो अनावश्यक 3 नियम हैं उनको तत्काल तोड़ दिया जाय। इस संबंध में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्युत परिषद् और उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का कोई आउट-कम नहीं है उसी प्रकार नलकूप निगम का भी कोई आउट-कम हमारे सामने नहीं है। इन नियमों को तोड़ने के बारे में आप विचार करेंगे।

मान्यवर, एक बात जिला सुल्तानपुर के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। इनके प्रमुख अभियन्ता ने वहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में एक चिट्ठी लिखी है और वह चिट्ठी सभी जगह प्रसारित हुई उन्होंने यह कहा कि शारदा सहायक वितरण प्रणाली, सुल्तानपुर नहर शाखा में किलोमीटर 78.08 पर बैंक का दिनाँक 13 सितम्बर, 1982 को कटान हुआ है उसकी मरम्मत के ऊपर लाखों रुपया खर्च हुआ है। इनका कहना था, मुख्य अभियन्ता काही, न कटान हुआ और न जोड़ी गई। तो मान्यवर, कटान दिखाकर उसके नाम पर लाखों रुपया दुरस्त कर लिया गया। श्रीमन्, यह बात श्री राजीव गाँधी व आपके सामने सुलतानपुर में रखी गयी लेकिन ऐसे लोगों को दण्ड देने में आपका विभाग विफल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री बीर बहादुर सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत, न वे बीर है और न बहादुर तो फिर वे सिंह कैसे हो सकते हैं, बजट का विरोध करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री दीना नाथ—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। और माननीय श्री मोहन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश 298 लाख हेक्टेयर में बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 203 लाख हेक्टर भूमि कृषि योग्य है जिसमें से मात्र 174.8 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और 68 लाख हेक्टेयर भूमि दो फसलीय है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष गाँवों का देश कहा जाता है। यहाँ की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और जिसकी जीविका का एक मात्र साधन खेती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये दो फसलीय भूमि को या दो फसलों को उत्पन्न करने के लिये हमें सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने होंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में कार्य केवल खण्डों से किया जा रहा है। हमारे पूर्वी अँचलों में, पश्चिमी अँचल में, मध्य भाग में जिसमें 25 जिले आते हैं। मान्यवर मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी अँचल से चुन के आया हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका होती है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें। आपका भाषण कल जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सर्वश्री—राजेन्द्र कुमार गुप्त, जटाशंकर सिंह, कुँवर सिंह नेगी तथा नरेन्द्र सिंह भण्डारी, सत्यपाल सिंह, राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, खैरुल बशर, मित्रसेन, मोतीलाल देहलवी, सुलतान सिंह, रियासत हुसैन, राम गोविन्द, गौरी शंकर भैय्या, अजीत कुमार सिंह, गंगा सागर शंखवार और श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह। मैंने इन सूचनाओं को देखा है और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना जो राजकीय परिवहन निगम की बसों द्वारा उनके कर्मचारियों की सांठ-गांठ से भारी पैमाने पर हो रही स्मगलिंग के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है शेष सूचनाएं अस्वीकृत है।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री दिगविजय सिंह केन्द्रीय उप मन्त्री से भेट हेतु बैठक की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना और देना चाहता हूँ लेजिस्लेटर्स इनवायरमेण्ट फोरम में सक्रिय रूप से सहयोग देने के इच्छुक विधायकों से माननीय दिग्विजय सिंह, उपमन्त्री, भारत सरकार की भेंट हेतु एक बैठक दिनांक 10 मार्च, 1983 को सदन उठने के तुरन्त बाद तिलक हाल, विधान भवन में आयोजित की गयी है। आप सब से प्रार्थना है कि कृपया वहां पहुचें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

डा० ब्रज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 301 में दिया, स्वीकार नहीं हुआ, नियम 51 में दिया, स्वीकार नहीं हुआ। इतना इम्पार्टेंट मसला है कि 13 आदमियों को गोली लगी है, 7 बजे डकैती हुई, पूरा जनपद व्यग्र है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

आपकी नियम 51 में कोई सूचना नहीं है, आप बैठें ।

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दरें पुनः निर्धारित करने विधेयक दिनांक 1 मार्च 1983 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

[4 बजकर 30 मिनट]

श्री जयदीप सिंह बरार —

श्रीमन् नियम 49 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन की दरों के बारे में जो चर्चा स्वीकार कर आपने इन मजदूरों के लिए जो अपने दिल की पीड़ा का परिचय दिया है, उसके प्रति आपका अभारी हूँ ।

मैंने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इसे उठाना चाहा था कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में कृषि मजदूरों के लिये अलग-अलग दरें निर्धारित करने का कोई औचित्य नही है । भारत के संविधान में भी राज्य की नीति निर्धारण के लिए निदेशक सिद्धान्तों के अन्दर स्पष्ट निदेश दिया गया है अनुच्छेध 39 (डी) में कि राज्य पुरुषों और महिलाओं के बराबर कार्य के लिये बराबर वेतन देने की व्यवस्था करेगी विभिन्न समितियों में और न्यायालयों में भी इस बात को तय किया गया है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाना चाहिये । सबसे अधिक निर्बल और कमजोर वर्ग यह है, भूमिहीन और समाज में भी नीचे है । उसके लिये भिन्न-भिन्न प्राविधान किया है । मैं मा० श्रम मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह कृषि मजदूर पूर्णतया संगठित नहीं है । यह प्राविधान जरूर है कि वह अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है लेकिन वास्तव में कोई ऐसा मौका नहीं है कि वह न्यूनतम मजदूरी के बारे में अपनी आपत्तियाँ रख सके ।

मैं दो बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा । एक तो यह कि वेतन देने का सिद्धान्त क्या है । शायद कोई यह कहे कि पूर्वी क्षेत्र के काश्तकारों की मजदूरी देने की क्षमता कम है, शायद कोई यह कहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजदूरी देने की क्षमता अधिक है, यह बात जरूर है श्रम विभाग के मन्त्री जी भी सहमत होंगे कि न्यूनतम मजदूरी देने का जो सिद्धान्त है, वह मजदूर की आवश्यकताओं पर निर्धारित है । उसकी आवश्यकतायें क्या हैं, इससे मजदूरी की दर निर्धारित करते हैं । जब हम उसकी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान करते हैं तो जो खाद्यान्न है, वह पूर्व उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा मंहगा है इसलिये जो मजदूर की दर उत्तर प्रदेश मैं कम रखे हुए हैं, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है । इसमें हो सकता है कि मा० मन्त्री जी कोई भ्रम डालने वाली बात कह दें । ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मजदूर कम काम करता है । और वही मजदूर अगर पंजाव जाता है बम्बई जाता है और कलकत्ते जाता है तो वह वहाँ के लोगों के बराबर काम करता है, दूसरी बात अगर यह कही जाए कि पूर्वी मजदूरों के खाने की आवश्यकता कम है, तो यह बात भी नहीं है । इन सारी बातों को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों की प्रदेश में हर स्थान पर एक दर रखने के लिए न तो कोई कानून, न संविधान मना करता है और न ही यहाँ के समस्त माननीय सदस्यों की भावनाएँ इस बात को मना करती हैं ओर स्वयं श्रम मन्त्री जी के दिल में भी अवश्य पीड़ा होगी इस बात को लेकर । तो जितने भी मजदूर हैं, सबका वेतन समान होना चाहिए उनकी जरूरत को देखते हुए, आज के दौर को देखते हुए, और उनकी सारी समस्याओं को और मेहगाई को देखते हुए, इस बात को स्वयं माननीय श्रम मन्त्री जी सहर्ष, मैं समझता हूँ, कि स्वीकार करेंगे और इस सम्बन्ध में कोई एक निश्चित दर अवश्य निर्धारित करके घोषणा करेंगे ।

*श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, कृषक मजदूरों का जो शोषण होता है, उसको रोकने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था कि कृषक मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। यह काफी समय पहले निर्णय लिया था और 15 सितम्बर 1952 को पहली बार उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों [सुल्तानपुर, बांदा, बस्ती बाराबंकी, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजियाबाद तथा जालौन] है न्यूनतम वेतन कृषि में लगे हुए मजदूरों के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद समय समय पर इसका पुनरीक्षण किया गया और पिछला पुर्नीक्षण जनवरी 81 में हमारी सरकार ने किया। फिर उत्तर प्रदेश में 4 न्यूनतम वेतन अलग-अलग स्थानों पर निर्धारित किये गये, वह इस प्रकार हैं,

पूर्वी उत्तर प्रदेश में	साढ़े 6 रु० प्रति दिन
मध्य पूर्वी उ०प्र० में	7 रु० प्रति दिन
पर्वतीय क्षेत्र में, तथा	8 रु० प्रति दिन
पश्चिमी क्षेत्र में	साढ़े 8 रु० प्रति दिन के

हिसाब से थे। जो प्राईस इन्डेक्स होता है, उसमें अगर 50 पर प्वाइंट की वृद्धि हो जाए या दो वर्ष बीत जाएं तब न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी जाती है। और यहाँ पर जब दो वर्ष पूरे हो गये तो जनवरी, 83 में हमने 24 जनवरी, 83 को एक अधिसूचना जारी की कि विभिन्न क्षेत्रों में दर निर्धारित करके घोषणा की। और उसकी आपत्तियों एवं सुझाव के लिए विज्ञप्ति के द्वारा उनके सुझाव मांगे। मान्यवर, जैसे ही यह समय समाप्त होगा, हम अपने उन क्षेत्रों में नई दरें लागू कर देंगे। इस समय जो हम लोगों की विज्ञाप्ति में दिया हुआ है पूर्व और मध्य क्षेत्र में 8 रुपया प्रतिदिन, बुन्देलखण्ड में 9 रुपया प्रतिदिन तथा पश्चिमी क्षेत्र में साढ़े नौ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है।

हमारे माननीय श्री बरार ने कहा कि अलग-अलग तरह की दरें क्यों निर्धारित की गयी हैं। मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब न्यूनतम वेतन की बात आयी है कि उस समय यह समझा गया कि प्रदेश में 12 जिले जो बहुत पिछड़े हुये हैं और वहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा है इसलिये यह मजदूरी दिये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप संक्षेप में ही उत्तर दें, बाद में आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं उन्हीं की बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि 12 जिलों में यह किया गया और जैसे जैसे समय बीतता गया तो नये स्थानों पर जहाँ हम समझते थे कि अधिक शोषण हो रहा है वहाँ न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया। अब अलग-अलग दरों के बारे में तीन-चार बातें हैं। एक तो जोतों का एरिया देखा जाता है, दूसरे कृषि में कितना प्रोडक्शन है। उसे देखा जाता है। तीसरी बात कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, यह भी देखा जाता है जहाँ असानी से हमारे कृषि मजदूर मिल जाते हैं और कठिनाई से मिलते हैं, यह सब बातें देखी जाती हैं। इसके अलावा परकेपिटा देखकर ही वेतन की दर निर्धारित की जाती हैं। उसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनकी क्षमता कितनी है देने के लिये, यदि उनकी क्षमता अधिक देने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मजदूरों को कम दिया जाय। और यदि उनकी क्षमता कम देने की है, प्रोडक्शन कम है, परकेपिटा उनकी इनकम कम है, वहाँ पर हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर कितनी दर निर्धारित की जाय। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य के सामने रख दिया है, इसके अलावा और जो जानकारी वे चाहेंगे वह मैं उनको देने का प्रयास करूँगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसमें केवल प्रश्न पूछ सकेंगे, भाषण नहीं देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की मजदूरी की निर्धारित दर के बारे में अभी आपने कहा कि हम कृषि के उत्पादन को देखते हैं। तो क्या आपके पास कोई आंकड़े उपलब्ध हैं कि कृषि में मजदूरी की पूरी इनकम परके पिटा कितनी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

पश्चिम उत्तर प्रदेश में तीन-तीन फसलें ली जाती हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक या दो फसल ली जाती हैं। इन सब बातों को हम देखते हैं वेतन निर्धारित करते समय और परकेपिटा इनकम को भी देखते हैं। यह सब बातें करनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप प्रश्नों को सुनते चलें और नोट करते रहें अन्त में उसका जबाब आप एक साथ दे दें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी 5 पाव मजदूरी दी जाती है जबकि आपने 8 रुपया निर्धारित किया है लेकिन वहाँ अभी भी 5 पाव ही दी जाती है जिसमें कि बटखरे पत्थर के होते हैं, कंकड़ होते हैं। जब कि वह पिसाने पर साढ़े तीन पाव की ही मजदूरी पड़ती है।

आपने नियम बना दिया लेकिन उस नियम का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। उनको न छुट्टी मिल पाती है और न कोई अन्य सुविधायें मिल पाती है, साढ़े तीन पाव मजदूरी पर वह कार्य कर रहे हैं।

श्री बाबूसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटाई के दिनों में कृषक मजदूर को 8 और 10 किलो गेहूँ मिलता है जिसकी कीमत 30 रुपया होती है उसको देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सचिवालय में जो लेवर लगी है जिसमें स्त्रियाँ भी हैं। ऊपर नीचे आती जाती हैं उनको केवल 8 रुपया मजदूरी मिली है। आप पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं परन्तु सचिवालय में ही आप देखें, ठेकेदार उनके द्वारा काम कराता है परन्तु जितनी मेहनत उनसे ली जाती है उसके अनुरूप उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी उनकी मजदूरी को बढ़ायेंगे ?

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में आज भी साढ़े पाँच रुपया मजदूरी मिलती है। आज प्राइस इन्डेक्स को देखते हुए क्या आप उनकी मजदूरी बाजार भाव को देखते हुए करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहताहूँ कि 1952 से यह कानून बना हुआ है, हमें बड़ा कष्ट है कि 35 वर्ष में 32 वर्ष इस कांग्रेस की सरकार ने शासन किया है। लेकिन आज तक किसी ने भी इस कानून के अन्तर्गत मुकदमा दायर नही किया, किसी की हिम्मत जमींदार के विरुद्ध दायर करने की नहीं हुई। तो इस प्रकार का कानून बनाने से क्या लाभ केवल 5 पाव मजदूरी दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसका आप सर्वेक्षण करायें और इस चीज को देखें कि मजदूरों को कितनी वास्तविक मजदूरी मिल पा रही है। आप इस कार्य को दृढ़ता के साथ करें।

कु० अलमेलु अम्माल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, वह बहुत ही गरीब है, हम पूर्वी इलाके के हैं और वहाँ की डालने जानते हैं। वहाँ पर पर जो खेतीहर मजदूर है वह ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के होते हैं। उनको आज 3 रुपया 4 रुपया और 5 रुपया मजदूरी मिल रही है। जब मजदूरी बढ़ाने की बात कही जाती है तो जमींदार लोग कहते हैं कि उन्होंने मजदूर को जमीन दी है, जिसको वह बोते हैं और जिस पर वह रहते हैं, तो उसको भी मजदूरी में शामिल कर लिया जाता है। मान्यवर मैं कहना चाहती हूँ कि वह जमीन उनकी नहीं रह गयी है, वह अब उन गरीब मजदूरों की हो गयी है, उससे जमींदार का कोई ताल्लुक नहीं है। जो मजदूरी आज तक उनको मिल रही है उसमें उनको दवा नहीं मिलती है और न पैंशन मिलती है। बिहार सरकार जिसकी आर्थिक स्थिति हमारी सरकार से खराब है उसने यह प्राविजन कर रखा है कि अगर मजदूर 60 साल का हो जाता है तो उसको पैंशन दी जायेगी। यहाँ केवल मजदूरी के अलावा दवा, पैंशन, इन्शोरेन्स, प्रावीडन्ट फन्ड आदि उनको कुछ नहीं मिल रहा है।

उनके लिये दवा नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आज भी हमारे इलाके में बस्ती जिले में मजदूरी 3 रुपये 4 रुपये पाने पाले हैं। जब इसके बारे में कलैक्टर से शिकायत की जाती है तो वह उनका मुकदमा दाखिल नहीं करते हैं और न ही उसके बारे में कोई जांच कराते हैं। मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर कांग्रेस की उपाध्यक्ष की हैसियत से हमेशा दौरा करती रहती हूँ। मुझे मालूम है कि उन लोगों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। बड़े-बड़े जमींदारों से उन गरीब के बाप दादाओं को जमीन मिली थीं उसको भी वे मजदूरी मैं जोड़ देते है। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के मुताबिक जो लोग जिस जमीन पर बसे हैं वह जमीन उनको मिल जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी साढ़े छ रुपये उ० प्र० में न्यूनतम बता रहे हैं उनके लिये न दवा है, न उनका कोई प्रोविडेन्ट फन्ड है, न ओवर टाइम है और न ही बुढ़ापे की पेंशन है। बिहार राज्य जो आर्थिक हालत मैं उ० प्र० से कमजोर है वहां 60 साल के बाद वाले ग्रामीण मजदूरों को पेंशन मिलती है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे यहां क्या सोच रहे है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मजदूरी रिवाइज करते हैं। पहले आपने

सन् 52 में रिवाइज किया था फिर 82 में किया और फिर 83 में आप मजदूरी रिवाइज करने जा रहे हैं। हम लोग गांवों में रहते हैं और देखते हैं कि जो मजदूरी सरकार निर्धारित करती है वह उन्हें नहीं मिल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा माध्यम अपनाने पर विचार कर रही है कि जो सरकार न्यूनतम मजदूरी फिक्स करे वही मजदूरों को मिले उसमें कोई कटौती न होने पाये। क्या सरकार इस पर विचार करने के लिये तैयार है कि उसके लिये कोई एजेन्सी या कोई ऐसी मशीनरी खड़ी करने के लिये तैयार है कि जो न्यूनतम मजदूरों के लिये तय हो वह निश्चित रूप से मजदूरों को मिले जिससे उनको शोषण न हो सके। क्या सरकार इस पर कानून बनाने के लिये तैयार है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ और उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है वह आवश्यकता मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजदूरी कम मिलती है और उनको काम के कम अवसर मिलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजदूरों की संख्या कम है इसलिये उनकी मजदूरी ज्यादा है। मान्यवर, यह मांग और पूर्ति का अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है। ग्रामीण मजदूरों की आज स्थिति यह है कि वहां पर न तो उनकी संख्या निर्धारित है और न उनका नाम और पता ही होता है साथ ही न उनका कोई विवरण होता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सर्वेक्षण हो, ग्रामीण मजदूरों का इस तरह से एक रजिस्टर बना लिया जाय जिससे यह मालूम हो जाय कि वहां पर उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि ग्रामीण मजदूर के लिये जो आप कानून बनाते हैं न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हैं वह भी उनको नहीं मिलती है। कहीं पर यह स्थिति है कि मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है तो कहीं पर उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। आपकी जो ग्रामीण रोजगार योजना चल रही है उसके अन्तर्गत भी मजदूरों का शोषण हो रहा है जो सरकार के माध्यम से उनको फायदा होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। आपने किसान के लिये 12 एकड़ की सीमा निर्धारित कर ली है उससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता है। यदि किसी के पास इससे अधिक है तो वह बेइमानी से रखते है। छोटा किसान है वह अपने घर वालों से ही मजदूरी करा लेता है। इस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसलिये ऐसा नियम होना चाहिए कि मजदूरों का जिससे लाभ हो सके, उनको हानि न हो। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप सर्वेक्षण के आधार पर हर तहसील में ब्लोक में, एक एरिया में एक न्यायपंचायत में जो ग्रामीण मजदूर हैं उनकी एक सूची बना लें और तब उनके कल्याण की बात करें। हाँ मजदूरी दोनों क्षेत्रों में बराबर रहनी चाहिए, इस पर विचार करे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं मननीय मंत्री जी के सामने कुछ शंकायें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्य खलीलाबाद जनपद-बस्ती ने कहा जो गाँवों के मजदूर हैं उनको बारीस में भीग-भीग कर और गरमी बरसात मैं गांवों में काम करना पड़ता है। यह जो मजदूरी आपने बताई है यह किन स्थितियों में आँकलन करके बताया है। भारत सरकार का एक आदेश हो चुका है कि इस देश में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण आदमियों की ऊंचाई कम हो रही है और मोटाई भी कम हो रही है इसलिए जो फौज में जाते हैं उनकी उंचाई कम कर दी जाय। गांवों में जो लेबर काम करता है उसको कोई सुख सुविधा नहीं है, उनकी दवा दारू की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

व्यवस्था ठीक नहीं है। खासकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मजदूर है उसके लिए इन सब को समन्वित करके, कितने उसके कार्य के घंटे होने चाहिये, कितना कठोर परिश्रम करना है उन सब को देखते हुए उनको कितनी मजदूरी दी जाय इसको देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर) यह आखिरी सवाल है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जो यहां पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है इसके साथ साथ क्या ग्रामीण खेती हर मजदूरों को कुछ शिक्षा संबंधी सुविधा कुछ स्वास्थ संबंधी सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे ?

खेतिहर मजदूरों को सस्ते गल्ले की दुकानों से अधिक से अधिक सामग्री प्राप्त हो सके और जो इस समय 8 कि० ग्रा० प्रतिमाह अनाज दिया जाता है उसको 15 कि० ग्राम प्रति माह करने की कृपा करेंगे ? अभी जैसा एक माननीय सदस्य ने बात उठाई कि बुदेलखंड में यह देखा जाता है कि जो सरकारी विभाग हैं जिनमें निर्माण कार्य होता है वहाँ पर मजदूर ठेके पर आते हैं जो महाराष्ट्र, मद्रास आदि से ठेकेदार ले आते हैं। तो इसके लिए सरकारी आदेश होना चाहिये कि जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें वहाँ के स्थानीय मजदूरों को ही काम दिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन् मैं आभारी हूँ मंत्री जी का जिन्होंने अपने विचार रखे और माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार बताये। मैं चाहता था कि इस बहस को एक विशेष दिशा में रखा जाता तो अच्छा रहता बजाय इसके लिए चारों तरफ फैला दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने बताया कि कृषि उत्पादन, जनसंख्या, मजदूर कितने उपलब्ध हैं, परकैपिटा इनकम क्या है ? और पैसे देने की क्षमता है या नहीं ? तो यह ऐसी बात है जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारण करने की यह बात नहीं आनी चाहिए। यहाँ अगर श्रमिकों के लिए डिमाण्ड एण्ड सप्लाई का सिद्धान्त अपनाया जाता है वह उचित नहीं है। जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर 15, कहीं पर 14 रु० में मजदूर मिलते हैं, जहाँ अधिक में मिलते हों वह अच्छी बात है। लेकिन न्यूनतम वेतन को मालिक की क्षमता से जोड़ना गलत है अविवेकपूर्ण है और सामाजिक न्याय के विपरीत है।

एक बात जो रह गयी थी जहाँ भी मजदूर हैं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूरों की बात कर रहा हूँ उनको सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का लाभ उतना नहीं हो पाता है जितना कि शहरों के मजदूरों को होता हैं, या मिलों के मजदूरों को होता है क्योंकि वह संगठित हैं। उन मजदूरों को चाहे फ़ैक्ट्री घाटे में हो या लाभ में दोनों में एक जैसी तनखा उनको मिलती है। ....

आप हर जगह पर एक वेतन दिला रहे हैं तो कृषि में चूँकि मजदूर असंगठित हैं इसलिए उन्हें समान न्यूनतम वेतन नहीं दिला रहे हैं इसलिए क्या आप चाहते हैं कि वह भी संगठित होकर संघर्ष करें तो मेरा कहना है कि यह नीति अच्छी नहीं है भविष्य के लिए।

इसलिए मैं चाहूंगा कि मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर पूरे प्रदेश में समान न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करें और इसमें अपना स्पष्ट निर्णय मंत्री जी दें।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, अभी बहुत से मा० सदस्यों ने कहा कि जो न्यूनतम वेतन निर्धारित होता है उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार करना चाहती है तो मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया जाता है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। जहाँ तक कृषक मजदूरों का सवाल है, तो हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इसका स्थान पाँचवे नम्बर पर है तो हमारा दायित्व हो जाता है कि हम देखें कि किस तरह वेतन जो न्यूनतम निर्धारित करते हैं वह सभी को प्राप्त हो। इसलिए जहाँ केवल श्रम विभाग के अधिकारी ही निरीक्षण करते हैं उसमें सरकार ने परिवर्तन किया और अधिनियम के अन्तर्गत सब पावर्स नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ए०डी० ओ०, बी० डी० ओज० को भी दे दिया। इस समय 4500 से अधिक अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और पिछले वर्ष 18 हजार से कुछ अधिक निरीक्षण हुए थे तो इस वर्ष हम लोगों ने 1982 में 55 हजार से अधिक निरीक्षण किये। यही नहीं जनवरी फरवरी जो बीत गये हैं उसमें 28-29 हजार से अधिक निरीक्षण किये गये और यह निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे हैं कि जो वेतन निर्धारित किया गया है वह सबको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। मान्यवर, मुझे खुशी है कि प्रदेश में जहाँ यह वेतन नहीं दिया जा रहा है उनके विरुद्ध डाइरेक्शंस दिये गये हैं कि कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध में 80 व्यक्तियों को प्राजेक्यूट किया है और जितनी धनराशि कृषक को देय थी उसे वसूल किया है। और दो महीनों में 50 हजार से अधिक धनराशि के केसेज दिये गये हैं और जैसे ही यह धनराशि उन संबंधित लोगों से प्राप्त हो जाती है तो ठीक है अन्यथा उनको प्रोजेक्यूट करेंगे और दिलायेंगे।

मान्यवर, जहाँ तक मा० सदस्यों ने नीचे सचिवालय में मजदूरों के बारे में कहा तो अभी हाल में स्टोन क्रशिंग के मजदूरों का वेतन 8 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया है उनको भी यहाँ दिया जा रहा है, इसमें मतभेद नहीं हो रहा है।

जहाँ तक अन्य दूसरे स्थानों की बात कही गयी है कि कम वेतन मिल रहा है तो मैं मानता हूँ कि चूँकि इतना बडा प्रदेश है, अधिक मजदूर हैं, उन सब का वेतन जो निर्धारित किया गया है, नहीं मिलता है, इसीलिए निरीक्षण कराते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रदेश में हर एक का निरीक्षण भी संभव भी नहीं है लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस स्थान पर न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी हमारे पास आती है तो हमारी स्पेशल टीम वहाँ जायेगी और निरीक्षण करेगी।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने कांट्रेक्ट लेबर्स के बारे में जो कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करते हैं, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार उनको स्वयं नहीं लेती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कांट्रेक्ट लेबर ही क्यों न हो, ठेकेदार के अधीन क्यों न हों, लेकिन जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है यदि ठेकेदार नहीं देगा तो उसके खिलाफ श्रम विभाग कार्यवाही करेगा और दण्डित किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मा० सदस्यों की शंकाएँ दूर हो गयी होंगी। अन्त में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जहां उ० प्र० को पहले चार क्षेत्रों में बांटा था अब तीन क्षेत्रों में प्रदेश को बांटा है जैसे पूर्वी उ० प्र० को मध्य क्षेत्र के साथ मिला दिया है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र के साथ मिला दिया हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे [पूर्वाह्न] बैठेंगे ।

(इसके बाद) सदन 5 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
10 मार्च, 1983

भालचन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

विधान सभा

नत्थी "क"

[देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 697 पर]

माननीय विधायक श्री हरिवंश सहाय के पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 1982 में की गई मांग पर कृत कार्यवाही का विवरण :—

1 देवरिया जिले को माह अक्टूबर, 1982 से फरवरी, 1983 तक चावल और गेहूँ की निम्न आपूर्ति की गयी :—

[मात्रा मी०टन में]

	चावल	गेहूँ
[क] अक्टूबर, 1982	500	400
[ख] नवम्बर, 1982	500	800
[ग] दिसम्बर, 1982	600	700
[घ] जनवरी, 1983	300	1096.1
[च] फरवरी, 1983	1200	1726.5

2 खाद्यान्नों के बिहार के संचारण की चेकिंग के लिये क्षेत्रीय सचल दस्ते के अतिरिक्त विभिन्न विभागों का संयुक्त चेकिंग दल जिसमें उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस, जी० आर० पी० तथा रेलवे के अधिकारी सम्मिलित हैं, के द्वारा कड़ी चेकिंग कराने का प्रबंध किया गया है ।

3 रामपुर बुजुर्ग, [बनकटा ब्लाक] भिगारी बाजार, खोरीबारी तथा मेहरौना में गुठनीघाट स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित हैं ।

4 भाटपार रानी गल्ला मण्डी के लाइसेन्सियों के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है और समय-समय पर उनकी चेकिंग करायी जाती है और अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

नत्थी "ख"

(देखिये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 703 पर)

दिनांक 14/15 फरवरी, 1983 की मध्य-रात्रि से लागू प्रदेश में स्थित विभिन्न तेल डिपो पर उपलब्ध मिट्टी के तेल [सब्सीडाइज्ड तथा नानसब्सीडाइज्ड] एवं हाई स्पीड डीजल आयल की भारत सरकार द्वारा संशोधित डिपोवार दरें निम्नवत् हैं :—

(मूल्य रुपयों में प्रति किलो लीटर)

क्र०सं०	तेल डिपो का नाम	मिट्टी का तेल सब्सीडाइज्ड/नान-सब्सीडाइज्ड		हाई स्पीड डीजल आयल
1.	मथुरा	1544.93	2844.93	2849.55
2.	मुरादाबाद	1632.67	2932.67	2951.41
3.	सहारनपुर	1635.55	2935.55	2954.90
4.	बरेली	1645.66	2945.66	2967.21
5.	काठगोदाम	1634.88	2934.88	2954.16
6.	पनकी	1691.47	2991.47	3022.59
7.	झांसी	1626.33	2926.33	2943.44
8.	मुगलसराय	1655.92	2955.92	2974.29
9.	सूबेदारगंज	1700.86	3000.86	3027.96
10.	बस्ती	1668.55	2968.55	2989.63
11.	गोरखपुर	1658.79	2958.79	2977.78
12.	मेरठ	1613.29	2913.29	उपलब्ध नहीं

नोट :- ये मूल्य बिक्रीकर, डेस्टीनेशन चुंगीकर के अतिरिक्त हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 721 पर)

परिशिष्ट 1

दिनांक 22-11-73 के सदस्यों की सूची

क्र० सं०	नाम सदस्य	पिता का नाम	पता
1.	ब्रदर डुवर्ट	कम्पोकोल	ग्राम सिकरोहर पो० करतौरा जिला फैजाबाद
2.	ब्रदर गिलवर्ट	पिटर रिवैलो	,,
3.	ब्रदर थामस	मार्सल	,,
4.	ब्रदर अलवर्ट	अन्थोनी क्राव्ल्स	,,
5.	ब्रदर एनाक्लेतुस	औसफ वर्की	,,
6.	ब्रदर अनीयल	जोसफ मौप्यू	,,
7.	ब्रदर बियरनी वेक	पिरोवेक	,,
8.	ब्रदर इन्नासेंट	साइमोंन	,,
9.	ब्रदर करनेलियस	लैजारिवर	,,
10.	ब्रदर जूलिवज	वी० टी० जौर्ज	,,
11.	ब्रदर फिलिप नैरिल	मैनुययल	,,
12.	ब्रदर चाकरी यम०	मैरिवन	,,
13.	चार्ल्स बी०	मथाई	,,
14.	ब्रदर मैश्यूब बी०	डियागों	,,
15.	ब्रदर निक्लोस	अन्थोनी	,,
16.	अन्थोनी फर्नांडिस	फर्नांडिस	,,
17.	जोन बुटो	बुंटो	,,
18.	रैनाल्ड अन्थोनी	अन्थोनी	,,
19.	राजेश्वर जौर्ज	जौर्ज लायल	,,
20.	आर० वी० कासमस	इयेन	,,
21.	ब्रदर आइसफ	कुरी वाको	,,
22.	रामदेव	धुपई	,,
23.	फूलावीयन	सुलेमान	,,

परिशिष्ट 2

वर्तमान समय (27-2-83) को सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य	पिता का नाम	पता
1.	ब्रदर थामस	श्री मार्सल	ग्रा० सिकरोहूर पो० करतौरा जनपद फैजाबाद
2.	एनाक्लेलुस	श्री औसफ वर्की	,,
3.	ब्रदर अनियल	श्री जोसेफ मेस्यू	,,
4.	ब्रदर निकलस	श्री अन्थौनी	,,
5.	अन्थोनी फर्नांडिस	श्री फर्नांडिस	,,
6.	जान ब्रटो	श्री ब्रटो	,,
7.	रैनाल्ड अन्थोनी	श्री अन्थोनी	,,
8.	रोजश्वर जार्ज	श्री जार्ज लायल	,,
9.	आइसक	श्री कुरिवाकों	,,
10.	रामदेव	श्री धुपई	,,
11.	फ्लावियन	श्री सुलेमान	,,
12.	प्रकाश	श्री रामनाथ	,,
13.	टकई	श्री वल्हर	,,
14.	सिलवरियस	श्री चरियन	,,
15.	वेलसेट	श्री फिमोदुर	,,
16.	नोबस	श्री संगा	,,
17.	शान्ति लाल	श्री बेजनमीन	,,
18.	ब्रदर फिदोलिस	श्री वर्कीचाको	,,
19.	जोसेफ विही	श्री वेतेसेट	,,
20.	जिरोम	श्री पौलुस	,,
21.	पोल हरिमिट	श्री थामस	,,

परिशिष्ट 3

24-5-79 को समिति से सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों की सूची

क्र०	नाम सदस्य	पिता का नाम	सदस्यता से अलग होने की तिथि
1.	ब्रदर अलवर्ट	अन्थौनी क्राब्रन	24-5-79
2.	ब्रदर गिलबर्ट	पिटर रिबैलों	,,
3.	ब्रदर इन्नावेट	साइमोन	,,
4.	ब्रदर कारनोलिस	लैनारिवर	,,
5.	ब्रदर जूलियस	बी० टी० जौर्ज	,,
6.	ब्रदर चाकरी एम०	मैंरिवन	,,

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट–4

2-8-77 से अब तक समिति में बने नये सदस्यों की सूची

क्र०	सदस्यता ग्रहण करने की तिथि	नाम सदस्य	पिता का नाम	पता
1	24-5-79	प्रकाश	रामनाथ	ग्रा० सिकरोहर पो० करतौरा जिला फैजाबाद
2	,,	टेकई	मलहर	,,
3	,,	बदरसिलवारियस	चरियन	,,
4	,,	बेनसेट	थिपोदुर	,,
5	,,	नोबस	संग्गा	,,
6	31-5-80	ब्रदर शान्ति लाल	बेंजमिन	,,
7	,,	ब्रदर फिदैलिस	वरकीचाकों	,,
8	16-8-80	जोसेफ विहाँ	विनसेट	,,
9	,,	जीरोम	पौलूस	,,
10	,,	पोल हरिमिट	थामस	,,

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 732 पर)

विधान सभा प्रश्न में उल्लिखित जनपदों में वर्ष, 1980-81 व 1981-82 में खाद्यान्न व्यापारियों को जारी किये गये लाइसेन्सों का विवरण

जनपद	वर्ष, 1980-81	वर्ष 1981-82	योग
गोरखपुर			215
देवरिया			159
बस्ती			117
वाराणसी	10	62	72
	निरस्त किये गये लाइसेंसों का विवरण		
गोरखपुर	2	9	11
देवरिया	—	9	9
बस्ती	1	2	3
वाराणसी	2	5	8

नत्थी "ड."

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 742 पर)

परिशिष्ट-1

लाखों रु० में

बैलेंस शीट के अनुसार सुपर बाजारों के हानि/लाभ की स्थिति

क्र०	नाम या बाजार	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1	कानपुर	-3.32	0.13	0.14	-1.00	अप्राप्त
2	लखनऊ	0.38	-6.56	-6.36	-9.06	अप्राप्त
3	मेरठ	0.13	0.03	0.17	0.69	अप्राप्त
4	देहरादून	-0.01	0.10	-2.25	-3.12	-1.96
5	इलाहाबाद	-1.41	-0.02	0.72	0.48	0.17

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 744 पर)

विकास खण्ड बाँकेगंज में हरिजनों की नीलामी दिनांक 1-1-82 से 31-12-82 तक की सूचना

क्रमांक	नाम	पता	भूमि का रकवा	देय धनराशि			नीलामी मूल्य प्रति एकड़	सर्किल रेट प्रति एकड़	क्रेता का नाम व पता	अन्य विवरण
				मूलधन	ब्याज	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–श्री शिवचरण पुत्र मगरे मृतक वारिश निरंजन पुत्र शिवचरन		ग्राम सिछनपुर पो०सरकारपुर	6–21	3,104-21	3246-75	6350-96	1,095/–	3,500/-से 4,500/-रु.	श्री वीर सिंह चौहान पुत्र तालेश्वरसिंह चौहन ग्राम गोला	प्रत्येक में वाजिब पेनल ब्याज एवं मु. 95/-
2–श्रीमती तुलसा पत्नी नत्थू मृतक वारिश संतराम पुत्र शिवचरन		ग्राम–रामपुर पो. सरकारपुर	3–69	4,500-00	6907-96	11407-96	2981/-	3500/-	–तदैव–	रु. नीलामी व्यय ब्याज में शामिल है।
3–श्रीमती भिखाना उर्फ शांती देवी पत्नी छेदालाल		ग्राम रमतलिया पो. बाँकेगंज	7–48	3,300-00	10649-50	13949-50	1885/-	35,00/-से 4500/-रु.	श्री अखिल कुमार अग्निहोत्री पुत्र कालकानन्द अग्निहोत्री गोला	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4–मंजन पुत्र बल्देव व अन्य	ग्राम-रमतलिया पो. बाँकेगंज	3–75	2,000-00	6534-75	8534-75	2400/-	3500/–से 4500/-	–तदैव–		
5–होरे मृतक वारिश फकीरा व अन्य	ग्राम-रमतलिया पो० बांकेगंज	5–00	3,500-00	11236-19	14736-19	3000/-	4500/-	श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री कृष्ण विहारी नि० गोला		
6–बनवारी पुत्र मोहन	ग्राम-रमतलिया पो० बांकेगंज	3–71	5,500-00	5897-28	11397-28	3100/-	3500/-से 4500/-	श्री विपिन कुमार अग्निहोत्री पुत्र बालकानन्द अग्निहोत्री नि० गोला		
7–नत्थू पुत्र लिक्खा मृतक वारिश गुरुचरन	ग्राम-अयोध्यापुर बनबुधेली पो0 महेशपुर	3–05	4 925-44	3961-40	8886-84	3115/-	4500/-	अजमतखाँ व जयमलखाँ पुत्र अल्ताफ खाँ ग्राम गनेशपुर		
8–रूपन पुत्र ठीका मृतक वारिशान मु०जशोदा पत्नी रूपन	ग्राम-अयोध्यापुर पो० महेशपुर	3–50	4,382-51	4803-75	9186-26	3000/-	4200/-से 4500/-रु.	–तदैव–		

पी०एस०यू०पी०—वि० सभा—17-1-84—835—256